हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुद्धवार, दिनांक 26 अगस्त, 2015 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौसिंल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

26.08.2015/1100/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1828 (स्थगित)

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है कि इतने आवेदन आए, इतने सही पाए गए, इतने रिजैक्ट हुए और इतना धन दिया गया। साथ ही उत्तर में कहा है कि यह सारी सूचना देने के लिए ज्यादा समय लगेगा; अगर विधायक चाहे तो चुनाव क्षेत्रवार सूचना भेज दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जितने आवेदन जिलाधिकारी के पास जिलावार आते हैं, उनमें चयन करने का क्या क्राइटेरिया है? मान लो एक जिले में 400 व्यक्तियों की लिस्ट आ गई ,उनमें से पात्र व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया क्या है, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह विस्तृत जानकारी से संबंध रखता है। इसके बारे में पहले भी दो अवसरों पर कहा गया है कि यदि ये चाहें तो मैं इन्हें खंडवार ब्योरा देने में भी सक्षम हूं, परंतु उसमें थोड़ा समय लगेगा। इनके क्षेत्र का ब्योरा तो विधान सभा सत्र के समय में दे सकते हैं परंतु अगर इन्हें पूरे हिमाचल प्रदेश का ब्योरा चाहिए ,तो उसमें थोड़ा समय लगेगा; अगले सैशन तक हम यह पूरी जानकारी दे देंगे। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है वह है कि जब तहसील वैलफेयर आफिसर के बाद आवेदन डिस्ट्रिक्ट वैलफेयर आफिसर के पास जाते हैं,

जारी ..श्री गर्ग द्वारा

26/08/2015/1105/RG/AG/1

प्रश्न सं.-----1828क्रमागत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री----क्रमागत

वह है कि जब तहसील कल्याण अधिकारी के बाद यह आगे जिला कल्याण अधिकारी को जाता है ,तो उसकी चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया तो बहुत आसान है। जो जिला कल्याण समिति है, वह बैठती है, इस पर विचार करती है और इसकी पूरी सूची को चैक किया जाता है। जो भी उस सूची में पात्र व्यक्ति पाए जाते हैं उनका चयन यह

समिति स्वयं करती है और based on that Committee only जो धन की उपलब्धता होती है उसके अनुसार फिजीकल टारगेट्स को अचीव करने का प्रयास किया जाता है।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्न पूछने का यह मतलब था कि यदि आपके जिले में 400आवेदन-पत्र आ गए ,आपने बजट के अनुसर 15मकान अलॉट किए ,तो उन 15का चयन सलैक्शन कमेटी कैसे करेगी? अधिकांश सत्ताधारी दल के लोग इस कल्याण समिति के चेयरमैन होते हैं, वे 40 नंबर, 25नंबर, एक नंबर या दो नंबर पर ,या तो इसका क्राइटेरिया first come, first served किया जाए या सर्वे के आधार यह देखा जाए कि इन व्यक्तियों में से कौन पात्र व्यक्ति है, उनको मकान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले बिलासपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। बिना कल्याण समिति के ही मकानों का चयन कर लिया गया जिसमें श्री रणधीर शर्मा जी सदस्य थे और मैं भी उसका सदस्य हूं। तो क्या इस प्रक्रिया पर आप ध्यान देंगे? इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि यह first come, first serve हो जिसका नाम आता है, जिस पात्र व्यक्ति का पहला नाम आया हो, उसको पहले मिले ,दूसरे पात्र व्यक्ति का आया हो, तो दूसरे नंबर पर उसको मिले? क्या यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह एक ऐसा प्रश्न पूछा है ,ये स्वयं एक प्रतिष्ठित चेयर पर रहे हैं और स्वयं भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सक्षम रूप से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब कोई भी इस प्रकार का कार्य किया जाता है ,तो उसमें हम सबकी ही भूमिका है। मैं समझता हूं कि इसको कोई ------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

26/08/2015/1110/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 1828 क्रमागत----सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जारी----

इसमें मैं समझता हूं कि कोई रूलिंग पार्टी के कैन्डीडेट ही करेंगे या आप भी करेंगे, मेरा यह मानना है कि यह आप सब लोगों का सामूहिक निर्णय हो और होना भी चाहिए। सभी लोगों के सामूहिक निर्णय के अनुसार पात्र व्यक्ति देखा जाएगा कि कौन है तथा

किसका घर बनना चाहिए। However, there are cases of fire; cases of flood where it needs a little bit of different consideration. It merits our conscious consideration, I personally feel. और मैं समझता हूं कि हमारी वीरभद्र सिंह सरकार ने इस बात को निश्चित किया है कि इस प्रकार के कमजोर वर्गों को दी जाने वाली सहायता वरीयता के आधार पर दी जाए और पारदर्शी हो। अगर आप पिछले दो-अढाई वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो यही हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम समग्र विकास करें और कल्याण की तरफ जाएं। मैं समझता हूं इसमें आप सभी लोगों का सामूहिक चिन्तन होना चाहिए। इसकी एक बैठक मई के महीने में तथा एक जनवरी के महीने में होती है और मैं समझता हूं कि जनवरी वाले महीने में सभी हमारे जितने भी विधायक महोदय हैं , वे विद्यमान होते हैं। इसलिए इस प्रकार का किसी प्रकार का संशय होना कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है, ऐसा नहीं है। इसमें मैं समझता हूं कि आप सब लोगों का एक सामूहिक निर्णय ही होना चाहिए।

श्री रिखी राम कौंडलः जो आपके कम्प्यूटराइज्ड पैंशन के फॉर्म आते हैं उनको कम्प्यूटर सीरियलवाइज अपने आप उठाता है। माननीय मंत्री जी गृह निर्माण के लिए भी क्या ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, before I answer the Hon'ble Member's query, I would like to say that there are so many other fund streams which are coming for House perception for this category of people. It is Rajeev Gandhi Awas Yojna. There is Indira Awas Yojna and the department of Rural Development is handling that. मैं ऐसे ही आप लोगों को बता दूं कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय चाहें तो मैं

26/08/2015/1110/MS/AS/2

हाउस को बता सकता हूं कि In 2013-14 we have constructed 10,588 houses in our Himachal Pradesh. In 2014-2015 total 8,489 houses were constructed in Himachal Pradesh under Indira Awas Yojna and Rajeev Awas Yojana in which the housing subsidy is included. अब यह प्रश्न उठता है कि जब इतने घर बन ही रहे हैं इसलिए यदि गृह निर्माण बनाने में किसी प्रकार की आप समझते हैं कि

लिस्ट बननी चाहिए। We shall definitely make that. Government will consider that. We will also have one of the waiting list based on software.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, प्रश्न बिल्कुल सरल है। 17 861,कुल पात्र व्यक्तियों ने एप्लाई किया है, जिनके आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो उत्तर दिया गया है उसमें 17,861 में से 5083 को मकान दिये गये यानी स्वीकृत किये किए। हमारा पहला प्रश्न यह है कि 5083 जो आपने स्वीकृत किए हैं, इसके लिए कोई तो व्यवस्था रही होगी? आपने कहा कि जिला कल्याण कमेटी के माध्यम से ये स्वीकृत किए गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने जिला कल्याण कमेटी को अंतिम रूप से यह अख्तियार दे दिया है कि जो उनकी रिकॉमडेंशन्ज होंगी ,वही स्वीकार्य होंगी, वही केस स्वीकार्य होंगे। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, वास्तव में हो क्या रहा है कि इसमें वक्त लग रहा है । जिला कल्याण कमेटी में बैठकर हम कुछ निर्णय करते हैं लेकिन जब मकानों की लिस्ट निकलती है तो वह कुछ और ही निकलती है। कुछ रेफ्रेंसिज सी0एम0 ऑफिस से गए हैं, उनकी भी प्राथमिकता देने का विषय कई बार आता है और किया भी है। उसके साथ-साथ दूसरे भी जो नेता चौधरी बने होते हैं जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है लेकिन उनकी रिकॉमडेशन पर भी, वे किसी मंत्री या मुख्य मंत्री के ऑफिस से सीधे फोन करते हैं कि फलां-फलां को मकान दो। ऐसे करते-करते जो जैन्युअन आदमी है, जिनको वास्तव में मदद होनी चाहिए ,नहीं हो पाती। आपने कहा कि जिसका मकान जल गया, वह प्राथमिकता होनी चाहिए। जिनका मकान बाढ़ में बह गया है, वह प्राथमिकता होनी चाहिए । हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। उस पर तो हम डिस्प्यूट ही नहीं करते हैं और जिला कल्याण कमेटी की बैठक में हमने कहा है कि जिसका मकान जल गया है उसको मकान मिलना

26/08/2015/1110/MS/AS/3

चाहिए। जिसका बाढ़ में मकान गिर गया, उसको भी मकान मिलना चाहिए लेकिन उसके बावजूद मकान उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो पात्र नहीं हैं और जिला कल्याण कमेटी की उसमें रिकॉमडेशन भी नहीं है। उनको स्वीकृत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

26.08.2015/1115/जेएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः ------- 1828**जारी**-----

श्री जय राम ठाकुरः-----**जारी**-----

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर कमेटी की रिकोमैंडेशन है और जिन ग्राऊंड्ज़ के ऊपर आपने पैरामीटर्ज/गाईड लाईन्ज बनाई हैं उसके आधार पर जो होंगी वह अन्तिम होंगी?

दूसरे, अध्यक्ष महोदय मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यहां पर तीन आवास योजनाओं का जिक्र किया गया। इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए वैल्फेयर डिपार्टमैंट आवास योजना है। इन तीन योजनाओं के तहत हम गरीब आदमियों को आवास देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर अप्पर कास्ट का यानि शैड्यूल कॉस्ट और ओ.बी.सी. से न होकर यदि जनरल केटैगरी वाले का मकान जल जाता है, किसी का मकान बाढ़ में बह जाता है उसके लिए इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। आज इंदिरा आवास योजना में 98 प्रतिशत मकान केवल अनुसूचित जाति के लोगों को दिए जा रहे हैं। उसमें हमारा कोई ऐतराज़ नहीं है वह होना चाहिए। उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयत्न करने की आवश्यकता है वह करने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो जनरल केटैगरी का आदमी है यदि उसका मकान आग में जल जाता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। उसका मकान बाढ़ में बह जाता है और वह गरीब है तो उसको मकान मिलना चाहिए। वह तम्बू में रह रहा है। क्या ऐसी परिस्थिति में सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसी केटैगरी के लिए अलग से प्रावधान जो स्टेट की हमारी 100 प्रतिशत फंडिंग स्कीम है वह है राजीव आवास योजना, उस योजना के अन्तर्गत क्या आप इसका प्रावधान करेंगे?

26.08.2015/1115/जेएस/एएस/2

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो फीगर्ज बताए हैं, बिल्कुल ठीक है। अलिजिबल केंडिडेट्स को इस के दौरान 17,161 हैं और सिर्फ 5,083 को ही मकान सेंक्शन किए गए और लम्बित 12,778 आज हमारे पास इस पीरियड़ में है जो मैं समझता हूं कि 1 जनवरी, 2013 से पहले के भी शामिल हैं। यह

प्रक्रिया चलती जा रही है। हम आज कुछ भी फीगर्ज दें वह बढ़ती ही जाएगी। Because we must understand two factors. In this Hon'ble House, I would like to say that there are two factors which are responsible. Firstly, the raise in the income criteria which has gone up to Rs. 35,000 and secondly we have increased the amount of grant from Rs. 48,500/- to Rs. 75,000/-. So, with these two factors, the horizon has expanded. The number of applicants has gone up. As a result, the house which was being made at a cost of Rs. 48,500/-, today Rs. 75,000/- are being provided for its construction. So, the numbers are come down. Now coming to the eligibility . जो आपने पात्रता की बात कही कि किस प्रकार से हम इसको और पारदर्शी बनाएं? मेरा मानना है कि जब भी कभी मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास इस प्रकार का केस दिया ,ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह अटैंड न हुआ हो। चाहे वह किसी भी केटैगरी से हो, अगर उसका घर गिर गया है, आगजनी हो गई है, तबाह हो गया है, वह केस अटैंड हुआ है। मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि यही इस सरकार की वचनबद्धता भी है और पारदर्शिता भी है। So far future course of action is concerned, yes, we must think over it and consider this that if there are general category people affected how to help them. They are also very much; so many of them are poor and that point can be considered. The House can take this subject and the Hon'ble Chief Minister and in the presence of the House, we may consider that point. That point needs consideration. The eligibility criteria, which I have read out to you, is being followed in toto.

26.08.2015/1115/जेएस/एएस-3

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ये 5,083 मामले स्वीकृत हुए क्या वे उन्हीं आवेदन-पत्रों में से हुए हैं जो कि 1.1.2013 के बाद आए या उससे पहले भी जो लम्बित मामले थे उनमें से भी कुछ मामले स्वीकृत हुए? जो 12,778 मामले लम्बित हैं ये 1.1.2013 के बाद जो आए उन्हीं में से लम्बित है तो उससे पहले भी कुछ मामले लम्बित होंगे। कुल अभी तक कितने लम्बित मामले हैं और जो 5,083 आवेदन स्वीकृत हुए इनमें से पहले में से कितने हुए और अभी में से कितने हुए?

दूसरे, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रिखी राम कौंडल जी ने पूछा था कि जिला बिलासपुर में बिना वैल्फेयर कमेटी की मीटिंग के कुछ मकान अलॉट हुए थे जबकि मंत्री महोदय ने कहा कि ये मकान अलॉट करने की प्रक्रिया वैल्फेयर कमेटी की मीटिंग में ही फाईनल होती है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी-------

1120/26.08.2015/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 1828 जारी----
श्री रणधीर शर्मा जारी-----

जबकि मंत्री महोदय ने कहा कि ये मकान अलॉट करने की प्रक्रिया वैल्फेयर कमेटी की मीटिंग में ही फाईनल होती है तो जो मीटिंग के बिना मकान अलॉट हुए, क्या मंत्री महोदय उस लिस्ट को रिव्यू करेंगें या उसका कोई समाधान निकालेंगें?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ ऐसे मामले ध्यान में आए हैं कि पिछड़े क्षेत्र के गरीब लोगों को वहां मकान मिले। उन्होंने एक किश्त ले ली । कुछ कारणों से जो औपचारिकताएं दूसरी किश्त लेने के लिए पूरी करनी थी, उसमें उन्हें देरी हो गई और विभाग ने उनका पैसा ट्रेज़री में वापिस भेज दिया और अब उनको दूसरी किश्त नहीं मिल रही है। अब न तो उनको दोबारा मकान अलॉट हो सकता है, न उनको रिपेयर में पैसा आ सकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगें कि ऐसे जो कुछ मामले हैं,ये बहुत थोड़े हैं, क्या उनको दूसरी किश्त जारी करने के लिए, जैसे बिलासपुर का केस है तो बिलासपुर के वैल्फेयर डिपार्टमैंट को पैसा देंगें और उनको दूसरी और तीसरी किश्त मिल पाएगी?

अध्यक्षः मंत्री जी, संक्षेप में जवाब दे दीजिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो डिटेल्ड इन्फोर्मेशन मांगी है, जैसे मैंने कहा कि यह एक निरन्तर प्रक्रिया है जो बदलती रहती है । I will send the exact pendency to the Hon'ble Member. दूसरे, जो आपने कहा कि सैकिण्ड इंस्टॉलमैंट के बाद कुछ ब्यूरोक्रेटिक हैसल्ज़ हुए हैं, I assure you that if it comes to my notice, we will make sure that house gets

constructed. जो पात्रता की बात है, इसमें हमें दिया गया क्राईटेरिया ही फॉलो करना चाहिए और जिस प्रकार से हमारी वरीयता लिस्ट बनी है, उसको फॉलो करने में

1120/26.08.2015/केएस/डीसी/2

कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर कमेटी जब हो जाती है, अगर उसमें किसी प्रकार के सुझाव हो, ऐसा कोई भी प्रोसिज़र नहीं
है कि आपके सुझाव को मान्यता नहीं दी जाएगी। मैं समझता हूं कि उसमें आपके सुझाव को मान्यता जरूर दी जाएगी।

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो 75 हज़ार रुपये मकान के हैं, इसमें क्या बजट भी बढ़ाया जा रहा है या नहीं क्योंकि जितना मकान का पैसा ज्यादा दिया जा रहा है, लाभार्थियों की लिस्ट कम हो रही है तो इस बारे में सरकार विचार करेगी? दूसरा, मेरे ध्यान में कुछ केसिज़ ऐसे भी आए हैं, जहां पंचायत के प्रधानों ने एक ही व्यक्ति को दो-दो बार मकान सेंक्शन कर दिए और इसमें क्लीयर दिखता है कि इसमें थोड़ा-बहुत उनका प्रैसैंटेज़ होता है। मैं विभाग के बारे में तो ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी लेकिन पंचायतों में ऐसा हुआ है कि कुछ प्रैसेंटेज़ प्रधानों,उप प्रधानों ने रख कर इनको दोबारा मकान सेंक्शन किए हैं। तो पिछले पांच सालों में प्रधान, उप-प्रधानों के बारे में आप चैक करवाएंगें कि किन-किन व्यक्तियों को दो-दो बार मकान मिले हैं? यदि यह सच है तो क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी और क्या बजट बढ़ाने के बारे में भी सरकार विचार रखती है?

Speaker :I think this matter will be resolved with the department.

Chief Minister:-This matter needs not to be taken in Question Hour. This is a suggestion for action and we will look into it.

श्रीमती सरवीन चौधरीः सर, आप पता करिए कि दो-दो बार मकान कैसे मिल गए?

Chief Minister:-You have suggested and we will look into it.

Speaker :You write to the Minister for the information. This should not be discussed here.

1120/26.08.2015/केएस/डीसी/3

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या स्वयं इस कार्यभार को बड़े सुचारु ढंग से और क्षमतापूर्ण तरीके से निभा चुकी हैं परन्तु फिर भी यदि कोई ऐसा मामला इनके ध्यान में आया है जहां एक ही पात्र व्यक्ति को दो बार पैसा मिला है , मुझे इसके बारे में सूचना दीजिए, इसको चैक किया जाएगा और। । assure you that we will recover that amount.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने यहां पर बड़ा विस्तृत जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में इंदिरा आवास और राजीव गांधी आवास योजना जो प्रदेश सरकार की है, इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत जो गृह निर्माण आपने स्वीकृति किए वे एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए किए। मैं जाननपा चाहता हूं कि सामान्य श्रेणी के लिए आपकी क्या योजना है और इसके लिए आपने गृह निर्माण हेतु---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

26.8.2015/1125/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 1828 ----------क्रमागत

श्री रविन्द्र सिंह --------- जारी

इसके लिए आपने गृह निर्माण हेतु कितने मकान स्वीकृत किए और उसमें कितनी राशि जारी की है? इसके अतिरिक्त, उसमें इंदिरा आवास योजना के तहत कितना सहयोग दिया जाता है? यहां पर जैसे जय राम ठाकुर जी ने कहा कि अकस्मात / आपदा की घड़ी में किसी के घर आग, बाढ़ या अन्य घटना में ध्वस्त हो जाते हैं तो वह चाहे सामान्य श्रेणी के हैं या अनुसूचित जाति, ओ.बी.सी या किसी अन्य श्रेणी के हैं। क्या नियमों में बदलाव करते हुए उनको; क्योंकि जिला स्तर पर ऐसी काफी पैंडेंसी पड़ी हुई है? विशेष तौर पर सामान्य श्रेणी के लोगों को उसमें कनसिडर नहीं किया जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनको सरकार प्राथमिकता देगी?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों से पहले मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि हमारे विभाग को एस.सी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज का ही दिया जाता है because there is also a separate sub plan for the tribal areas . जहां ताकि इंदिरा आवास योजना का पूरा विवरण है मैं उसको विभागों से एकत्रित करके माननीय सदस्य को दे दूंगा। इसके अतिरिक्त आपने जो दूसरा प्रश्न किया है कि आगजनी, बाढ़ या किसी और आपदा में किसी के मकान ध्वस्त हो जाते हैं और उनको सहायता का प्रश्न है तो definitely, this committee is empowered to go into that and consider such cases separately on merit. जहां तक सामान्य श्रेणी का सम्बंध है वह विचारणीय विषय है और इस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

समाप्त

26.8.2015/1125/av/dc/2

Question No1963 :

Shri Ravi Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, I would like to ask the Hon'ble Chief Minister by when proper suitable vehicles will be given to different Government departments in far flung areas in Lahaul & Spiti which are damaged due to winter snow every year and high altitude terrain? This needs good new vehicles along with new and good buses in public interest. Henceforth, the time frame may be given for the replacement of these busses and other vehicles. Is it also a fact that National Green Tribunal has passed orders that 10 years old vehicles and machines of the PWD and other departments creating pollution will not ply on Rohtang Pass? How many machines in the PWD Department and vehicles in Lahaul & Spiti are 10 years old?

Chief Minister: In my reply to the question, I have given a detailed reply that how many vehicles are to be changed. I can assure the Hon'ble Member that the vehicles which are required to be replaced will be replaced in a phased manner. Concluded

26.8.2015/1125/av/dc/3

<u>प्रश्न संख्या : 2300</u>

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है वह सरकार के विचाराधीन है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शिमला के सील्ड / रिस्ट्रिक्टिड रोड्ज पर परिवहन विभाग टैक्सी सेवा चलाता था। वह टैक्सी सेवा आपने बंद क्यों की है? नगर निगम--------

श्री टी सी वर्मा द्वारा जारी

26/1130/08.2015.टीसी/ए0जी01/

प्रश्न संख्याः 2300

श्री सुरेश भारद्वाज--- जारी

नगर निगम ने आपको ये गोल्फ कार्ट चलाने के लिए या टैक्सी सेवा चलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है? कितने साल इसको लम्बित पड़े हुए हो गए है और कब तक आप इस पर विचार करेंगे? माननीय मंत्री जी आप लेट हो रहे हैं । नगर निगम के प्रस्ताव आपके पास आ रहे हैं । आप तो विचार कर रहे हैं । परिवहन मंत्री श्री जी0एस0 बाली जी कांग्रेस के पार्षदों को अपने साथ लेकर करके चीफ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं । कल ही उन्होंने यह प्रश्न देखा और उससे पहले वे चीफ मिनिस्टर के पास पहुँच गये। वहां पर उन्होंने ने मांग कर दी की ये टैक्सी सेवा चला दी जाये। मैं आपसे जानना चाहुँगा कि क्या नगर निगम को यह टैक्सी सेवा चलाने को देंगे ? या आप परिवहन विभाग को ये टैक्सी सेवा चलाने को देंगे ? पहले सारे शहर में टैक्सी सेवा चलती थी, जो बूढ़े लोग थे, कोई बीमार, बच्चे या महिलाएं थी, उनके लिए टैक्सी सेवा बहुत महत्वपूर्ण थी और सब लोग इस टैक्सी सेवा को चाहते थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहुँगा कि कब तक इसके बारे में निर्णय करेंगे और इस टैक्सी सेवा को चलाएंगे?

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, शिमला में 23 रूटों पर टैक्सी चलती थी । 2007 में जब बार-बार लोगों की तरफ से प्रस्ताव आये तो सरकार ने उसमें निर्णय लिया कि 23 रूटों पर जो सीनियर सिटीजन है और स्पेशलीएब्ल लोग हैं, उनके लिए ये टैक्सी चलाई जाये। उसके बाद एक वर्ष तक ट्रांस्पोर्ट विभाग इसको चलाता रहा।

लेकिन यह प्रोफ्टि मेकिंग काम नहीं था, इसलिए 2011 में पी0पी0पी0 मोड़ पर टैंडर हुए। तीन वर्ष के लिए ये टैंडर किए गए और एक वर्ष के लिए इसकी अवधि बढ़ाई जानी थी । लेकिन यह टैक्सी केवल सीनियर सिटीजन है ,स्पेशलीएब्ल लोग हैं और दस साल की उमर के बच्चों के लिए चलाई जानी थी । परिवहन विभाग द्वारा यह बार-बार यह बताया गया कि इसमें और लोग सफ़र कर रहे हैं । उसके बाद इसमें से 22 रूटों का अक्टूबर में करार खत्म हो गया, जिनका

26/1130/08.2015.टीसी/ए0जी02/

पी0पी0पी0 मोड़ पर करार किया गया था। उसके बाद ये टैक्सी सेवा बन्द हो गई । लेकिन हाल ही में परिवहन विभाग ने होम डिपार्टमैंट को लिखा है कि इस सेवा को दोबारा आरम्भ करने के लिए परमिट इशु किए जायें । जहां तक आपने गोल्फ कार्ट की बात की है, गोल्फ कार्ट के नगर निगम ने दो बार टैंडर किए हैं । दोनों बार एक-एक पार्टी ने ही पार्टीस्पेट किया। लेकिन जो गोल्फकार्ट है वह सेंटर मोटर ब्हीकल एक्ट है के सैक्शन 39 (1989) उसके अन्तर्गत पब्लिक ब्हीकल में नहीं आता और क्लोज़ परमिसिज़ में चल सकती है। पूरे देश में सिर्फ एक ज़गह गोल्फ कार्ट कार चल रही है और वह है आगरा में। वह भी माननीय उच्चतम न्यायालय के इन्टर्वेशन के बाद। जो नगर निगम से हमें इनका प्रस्ताव आया है, सरकार के विचाराधीन है। लीगली उसको किस तरह से चलाया जाना है, क्योंकि उनका ट्रॉयल रन मार्च में हो चुका है, और एक ही टैंडर आया है। लीगली इसको एज़ए टांस्पोर्ट कैसे चलाया जाये, इसका एग्जामिन कर रहे हैं । जैसे ही कानूनी तौर पर इसकी क्लैरिटी आती है, इनको इसे चलाने की परमिशन देने के बारे में विचार करेंगे ।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पहले 2007 में बाली जी ने एक टैक्सी चलाई थी, बस स्टैंड से सी0टी0ओ0 तक । 2008 के बाद माननीय धूमल जी की सरकार आई तो उसके बाद सारे रूटस पर वह टैक्सी सेवा प्रारम्भ कर दी गई। पहले एच0आर0टी0सी0 ने चलाई और बाद में एच0आर0टी0सी0 ने ही उसे टैंडर करके प्राईवेट लोगों को दे दिया। वह टैक्सी सेवा सारे शिमला में बहुत अच्छे से चल रही थी। जब वह टैंडर खत्म हुआ तो नये टैंडर आपने किए। लेकिन नये टैंडर करने के बाद भी वह टैक्सी सेवा नहीं चलाई। बाली जी कहते हैं कि हमने होम डिपार्टमेंट को परमिट के लिए एप्लाई कर रखा है। वह परमिट कितने सालों में ईशु होगा। क्योंकि साल दो साल

से ज्यादा हो गया है आपको अभी तक वह परमिट ही ईशु नहीं हुए हैं । जबकि प्राईवेट लोगों को तो आप सुबह एप्लाई करते हैं और दो घण्टे बाद परमिट दे देते हैं । इन टैक्सी सर्विस के लिए और गोल्फ कार्ट के

26/1130/08.2015.टीसी/ए0जी03/

लिए कब देंगे ? जहां तक आपने आगरा (ताजमहल) में गोल्फ कार्ट चलाने की बात की कि वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसीज़ में हैं। क्या अब सारे देश की सरकारें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ----

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ----

26.08.2015/1135/NS/AG/1------

प्रश्न संख्या : 2300

श्री सुरेश भारद्वाज --------**क्रमागत।**

क्या सारे देश की सरकारें अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन से ही चला करेंगी? क्या सरकारें और लेज़िस्लेचर या ऐगज़ेक्टिव अपने तौर पर भी कुछ काम करेंगी या नहीं करेंगी? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय या हाईकोर्ट ही सरकारें चलाएंगी ऐसा नहीं है। सैंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है। नगर निगम की अपनी कोई ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी नहीं है। इसलिए जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वह भी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ही कार्य कर सकता है और इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जैसा मैने आपसे पहले भी कहा कि गोल्फ कार्ट की बात है तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं आती है इस तरह से चलाया जाना है। लीगली इसमें क्या होना है। क्या इसमें बदलाव करके इसको चलाया जा सकता है? उसकी राय लेने के बाद उसका निर्णय किया जाएगा। जहां तक टैक्सी चलाने की बात है वो विषय ट्रांसपोर्ट विभाग है। इन्होंने एप्पलाई कर दिया है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही टैक्सी सेवा शिमला के नागरिकों को उपलब्ध हो जाएगी।

श्री सुरेश भारद्वाजः इन्होंने एप्पलाई किया हुआ है। माननीय बाली जी भी कहते हैं कि एप्पलाई किया हुआ है। आप अर्बन डिवैलप्मैंट के मिनीस्टर हैं। शिमला सारे हिमाचल प्रदेश में केवल एक मात्र अर्बन निर्वाचन क्षेत्र है और इस निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ जो सेवा चलती है वह माननीय मुख्य मंत्री/श्री अनिरूद्ध सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में भी चलती है तो इनके साथ भेदभाव की भावना से क्यों काम हो रहा

26.08.2015/1135/NS/AG/1------

है। आप और श्री बाली जी आपस में तय करके यह क्यों नहीं तय कर देते कि हिमाचल की राजधानी में यह टैक्सी सर्विस जो भाजपा सरकार ने चलाई थी उसको आप कंटिन्यू कब करेंगे कब परमिट होम विभाग से जारी होंगे और आप यह टैक्सी सर्विस चलाएंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीः यह मसला काफी देर से चल रहा है और माननीय शहरी विकास मंत्री ने इस पर रोशनी डाली है। जहां तक यह गोल्फ कार्ट चलाने का प्रश्न है, it doesn't fall in the purview of the Act. ये रिस्ट्रीकटिड एरिया के अंदर या इनक्लोज़ एरिया के अंदर चल सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं चल सकती और अब एक ही विकल्प है कि ट्रांसपोर्ट विभाग पहले की तरह या वह रिस्ट्रीकटिड रोड़ के ऊपर रिस्ट्रीकटिड तरीके से ही चलाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि पहले था। जो बूढ़ों , बच्चों व मरीज़ों के लिए टैक्सियां थी उसमें नौजवान, मनचले लोग भर-भर कर आते थे वैसा नहीं होगा। जिन के लिए वह इंगित है वहीं उसमें आएंगे। अभी ट्रांसपोर्ट विभाग ने होम विभाग को इसके बारे में लिखा है। मैं होम विभाग को यह आदेश दूंगा कि इनके इस रूट को जल्दी सैंक्शन कर दें ताकि ट्रांसपोर्ट विभाग की नई व्हीक्लज़ बड़े सुविधाजनक तरीके से सिर्फ रिस्ट्रिक्टिड रोड / आईडैन्टिफाई रोड़ पर ही चले और जिन बूढ़ों के लिए वो ट्रांसपोर्ट चलनी है केवल वही उस पर जाएं और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी उसे चला देंगे।

समाप्त।

26.08.2015/1135/NS/AG/3------

प्रश्न संख्या :2301

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में प्रदेश में कितने होम स्टे का पंजीकरण किया गया है? इसकी

मुझे पूर्ण जानकारी नहीं मिली है केवल जिन्होंने सैक्शन 118 के अंर्तगत मकान बनाने हेतु जमीन।

श्री नेगी द्वारा जारी -------

26.08.2015/1140/negi/As/1

प्रश्न संख्याः .2302 जारी...

श्री अनिरूद्ध सिंह ..जारी..

जिन्होंने सेक्शन-118 के अन्तर्गत मकान बनाने हेतु ज़मीन ली थी उनका ही ब्यौरा मिला है और वह भी केवल शिमला और सिरमौर जिले का। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिन्होंने सेक्शन-118 के तहत मकान बनाने के लिए ज़मीन ली थी उन्होंने होम-स्टे चलाए हुए हैं और कसुम्पटी चुनाव क्षेत्र में, शिमला ग्रामीण चुनाव क्षेत्र में और जिला कुल्लू में बहुत से ऐसे केस हैं। इसमें मेरा सुझाव रहेगा कि जो इसके नार्म्ज हैं, जो इलिजिबिलिटी बनती है, इसमें यह ऐड होना चाहिए कि जो भी होम-स्टे चलाए वह एग्रीकल्चरिस्ट हो और बोनाफाइड़ हिमाचली हो। क्योंकि बाहर के लोग यहां आ करके सेक्शन-118 के तहत परमिशन ले करके आलीशान मकान बना करके खुद यहां रह नहीं रहे हैं और होम-स्टे चला रहे हैं। हमारे ग्रामीण लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे इतने आलीशान होम-स्टे बनाएं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, वैसे मैं जवाब से ही संतुष्ट हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है, वर्तमान में प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा 707 होम-स्टे ईकाइयों को पंजीकृत किया गया है। जो ये होम स्टे ईकाइयां हैं, ये सिर्फ शिमला के आसपास नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिमला में 182, कुल्लू स्थित मनाली में 219, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में 101, ऊना में 6, हमीरपुर में 2, सोलन में 40, सिरमौर में 16, मण्डी में 58, बिलासपुर में 7, चम्बा में 44, किन्नौर स्थित रिकांग-पिओ में 9 और लाहौल-स्पिति में 18, कुल मिलाकर 707 होम-स्टे ईकाइयां हैं । ये सारे हिमाचल के आंकड़े दिए गए हैं केवल शिमला के आसपास के नहीं हैं।

समाप्त

26.08.2015/1140/negi/As/2

प्रश्न संख्याः 2302.

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि शव गृह के निर्माण पर 36.48 लाख रूपये की धनराशि खर्च की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 36.48 लाख रूपये भवन निर्माण पर खर्च की गई है, इसके अतिरिक्त डीप फ्रीजर और वातानुकुल (Air condition) पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च हुई और डीप फ्रीजर का काम और एयर कंडिशन का काम कौन सी कम्पनी के द्वारा किया जा रहा है ? इसके साथ, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या ये रेफ्रीज़रेटर और ए.सी. वर्तमान में कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सिर्फ यह पूछा था कि शव गृह के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई है। क्योंकि यह बहुत बड़ी बिल्डिंग हैं और उसमें 4-3 कमरे बनें हैं और डॉक्टर का दफ्तर भी उसके अन्दर होगा। सारा शव गृह एयर कंडिशंड है, डी फ्रीज़र है जिसमें 4 लाशें रखी जा सकती है और हफ्ता, 10 दिन तक वो लाशें वहां रह सकती हैं। अगर माननीय सदस्य दूसरी सूचना चाहते हैं तो इसके लिए यह अलग प्रश्न करें।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो शव गृह बना है यह अस्पताल के गेट के बिल्कुल साथ बना है और इसके साथ में पार्किंग है। शायद आपको यह जानकारी नहीं है कि गत 3 महीने से आपका रेफ्रीज़रेटर भी खराब है, आपका ए.सी. भी खराब है । अब जब वहां डेड-बॉडिज़ रखी जाती हैं तो सारे इलाके में बदबू होती है। वहां गन्दगी है और वहां पर पशु जाते हैं । वहां पर कोई जा भी नही सकता।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

26/1145/08.2015.यूके/एएस/1

प्रश्न संख्या---2302---**क्रमागत**---

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर----**जारी**----

वहां पर कोई जा भी नहीं सकता । तो मैने आपसे यह पूछा था कि यह कब से खराब है, क्या आप ये बताएंगे क्योकि 3 महीने से खराब तो मेरी जानकारी में है । कब तक आप

इसको ठीक करवाएंगे ताकि लोगों को ठीक प्रकार से सुविधा मिल ? वरना वहां पर हालत यह है कि लोग कहते हैं कि अस्पताल में शव गृह बना कर गलत कर दिया । सफाई और हर प्रकार की अव्यवस्था वहां पर फैली है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं । ऐसी कोई बात नहीं है । नया शव गृह बना है, नया डीफ्रिज़र उसमें लगा है । एयर कंडिशन भी नए हैं और सभी वारंटी पीरियड के अन्दर हैं । इसकी हम जरूर निश्चत तौर पर छानबीन करवाएंगे, अगर ऐसा पाया गया तो इसकी इन्क्वायरी होगी और जिन लोगों ने ये लगाए हैं, उनको हिदायत देंगे कि उसको ठीक करे ।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि ऐसी इनको ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इतने महीनों से यह खराब है तो क्या जिस कम्पनी ने वह लगायी है ,ऐसे निर्देश देंगे कि जब भी कोई खराबी हो उसको वे एक दिन के भीतर तुरन्त आ कर ठीक करें । ताकि भविष्य में इस प्रकार से वह बन्द न रहे।

Health and Family Welfare Minister: Sir this is a good suggestion for action. Definitely इतना पैसा खर्च हुआ है तो यह ठीक रहना चाहिए, वारंटी पीरियड के अन्दर है । हम कहेंगे कि इनको ठीक करो । इस पर इन्क्वायरी की जायेगी और यदि कोई दोषी पाया गया तो उस कार्रवाई भी की जाएगी ।

प्रश्न समाप्त

26/1145/08.2015.यूके/एएस/2

प्रश्न संख्या -2303

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराहां का है, आपके आर्शीवाद से, आपके माध्यम से वर्ष 2006 में यह हाई से सीनियर सकेंडरी स्कूल हुआ था और आपने ही सराहां में जाकर इसकी इनोगरेशन की थी । मैं माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसी समय आपने वहां यह घोषणा की थी कि यहां सीनियर सकेंडरी स्कूल का एक अच्छा भवन बनेगा । इसके अतिरिक्त वर्ष 2004 में यह बिल्डिंग अनसेफ डिक्लियर हुई थी, 2004 से 2015 तक इस स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी और 400 बच्चे

इस निजी भवन में पढ़ रहे हैं । निजी भवन के मालिक ने उसको 3-4 बार नोटिस दिया । इस बार मेरे को स्वयं वहां जाना पड़ा और उनसे पर्सनली रिक्वैस्ट की और सन् 2004 से अभी तक उसको कोई रेंट भी नहीं दिया । अभी 31 मार्च के बाद मैने उनसे पर्सनली कहा है कि सरकार रेंट नहीं देगी तो मैं स्वयं दूंगा पर बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था की जाए । मैं यह भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसकी ए0ए0 एंड इ0एस0 की भी 4 बार फाईल आ गयी और चारों बार यह फाईल वापिस गयी है और टैंडर सिर्फ दो कमरे के लगे हैं, दो कमरे में सिर्फ दो क्लासें आनी हैं और छठी से बारहवीं तक, 7 क्लासों के लिए अभी तक बिल्डिंग की ए0ए0 एंड ई0एस0 ही अप्रूवल नहीं हुई है ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं और उन्हें भी मालूम होगा कि स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण कार्य हो रहा है और उसकी एक मंजिल बन कर तैयार भी हो गयी है । अब उसकी दूसरी मंजिल बननी है और मेरे संज्ञान मे बात आयी है तो यह भवन जल्दी से बने उसके लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन किए जाएंगे ।

26/1145/08.2015.यूके/एएस/3

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो बिल्डिंग का टैंडर हुआ है वह सिर्फ 2 कमरे का हुआ है । दो कमरे उसके तैयार होने वाले हैं पर स्कूल की सभी क्लासों को बिठाने के लिए 8 कमरे मिनिमम चाहिए । अभी जो 6 कमरे रहते हैं उनकी न ए0ए0 एंड इ0एस0 अप्रूवल हुई, न उसके लिए कोई फंड का प्रावधान हुआ है।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

26.08.2015/1150/sls-dc-1

प्रश्न संख्या : ..2303जारी

श्री बलबीर सिंह वर्मा ..जारी

न उसके लिए कोई और व्यवस्था हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि जो उस स्कूल के 8कमरे और बनने हैं उसकी AAES की अप्रूवल जल्दी-से-जल्दी दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आने से पहले कल जब मैं इस क्वैश्चन को पढ़ रहा था, तभी मैंने इस स्कूल के लिए पर्याप्त धन देने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं।

समाप्त

26.08.2015/1150/sls-dc-2

प्रश्न संख्या : 2304

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना ले की गई है, मैं उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। नंबर-1, उत्तर में कहा गया है कि पॉलिसी शार्टली नोटिफाई कर दी जाएगी। क्या मंत्री जी इसका कोई टाईम फ्रेम बताएंगे? नंबर-2 ,जो प्रौपराइटरी राईट्स या ऑनरशिप राईट्स हैं, क्या वह वाई वे ऑफ जनरल नोटिफिकेशन हो जाएंगे या इसके लिए इनडिविजुअल म्युटेशन होगा? नंबर-3, जिनकी भूमि 20 बीघा या 40 कैनाल से ऊपर है, जिनकी अपनी ऑनरशिप है, उनको चकौता वाली ज़मीन को लीज पर दिया जाएगा या ऐसे ही रखा जाएगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पॉलिसी की बात है, policy has already been prepared and sent for vetting. हम जल्दी-से-जल्दी कोशिश करेंगे कि यह पॉलिसी बन जाए। दूसरे, जो एच.पी. नौतोड़ रूल्ज हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति को नौतोड़ तब मिलती थी जब उसकी ज़मीन 5 बीघा से कम हो। इसमें भी हमने प्रावधान किया है कि 5 बीघा ज़मीन वालों को मालिक बना दिया जाएगा और जो उस व्यक्ति के पास फालतू ज़मीन है वह उनको 10 साल के लिए लीज पर दी जाएगी और इसी तरह से उसको आगे भी लीज पर देते रहेंगे। इसके लिए एस.डी.एम. को अथौराईज कर दिया गया है। यह सिर्फ़ सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना, चार जिलों में ही है क्योंकि जब पहले पंजाब में यह एरिया था तो पंचायतों ने यह ज़मीन चकौतादारों को चकौता बेसिज पर अलौट की थी। यह पहल तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है और हमने 1974 के एक्ट में अमैंडमैंट की है ताकि लोगों को फायदा मिले।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर :अध्यक्ष महोदय, जो मैंने 20 बीघे से ऊपर की ज़मीन की बात की, माननीय मंत्री जी ने उसके बारे में नहीं बताया कि उसको as it is रखा जाएगा या लीज पर दिया जाएगा। जो 20 बीघे से ज्यादा ज़मीन है उसका स्टेट्स क्या रहेगा। नंबर-2, नालागढ़ में कितने चकौतादार हैं, उनमें से कितने ऐलिजिबल हुए हैं और

उनके पास कुल कितनी भूमि है? जब उनको ज़मीन मिल जाएगी तो क्या उनको ऑफटर 10 या 20 ईयर, सैलिंग राईट्स होंगे जैसे कि लैंडलैस को मिले थे?

26.08.2015/1150/sls-dc-3

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, all the respective SDOs (Civil) have been authorized to find out within the jurisdiction of their Sub Division .उन लोगों को एस.डी.एम. के पास अप्लाई करना पड़ेगा और एस.डी.एस. महोदय उनको 5-5 बीघे के ऑनरशिप राईट्स देंगे। जो ये 20 बीघे से ज्यादा ज़मीन किसी के पास होने की बात कह रहे हैं, उनको हम ज़मीन लीज पर ही दे सकते हैं। फिर 10 साल के लिए कोई भी उस ज़मीन को नहीं बेच सकता है, यह इस पॉलिसी में प्रावधान किया गया है।

समाप्त

26.08.2015/1150/sls-dc-4

प्रश्न संख्या : 2305

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये क्लास है, जो हमें स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं, चाहे वह डॉक्टर्ज़ हैं या पैरा-मैडिकल स्टॉफ है,

जारी ..श्री गर्ग जी

26/08/2015/1155/RG/DC/1

प्रश्न सं. 2305-----क्रमागत

श्री संजय रतन----क्रमागत

चाहे डॉक्टर्ज हैं या पैरा-मैडिकल स्टाफ है। यह बहुत ही व्यस्त क्लास है और ये 24 घण्टे अपनी डियूटी देते हैं। जो डॉक्टर्ज को अपना पंजीकरण रिन्यु कराने के लिए तीन वर्ष की शर्त है। कई बार व्यस्तता के कारण ये भूल जाते हैं ,तो क्या सरकार इस पंजीकरण के रिन्युवल के समय को पांच साल करने का विचार करेगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पंजीकरण का समय इण्डियन मैडिकल कौन्सिल ऐक्ट 1956 ,के मुताबिक तीन वर्ष के लिए ही किया हुआ है। लेकिन इण्डियन मैडिकल कौंन्सिल से हम यह मामला उठा सकते हैं कि इनके पंजीकरण के

रिन्युअल का समय तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया जाए॥_Ultimately, decision will be taken by the Indian Medical Council.

प्रश्न समाप्त

2/-

26/08/2015/1155/RG/DC/2

प्रश्न सं. 2306

श्री मनोहर धीमान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में लिखा है 'जी हां,' और (ख) भाग के उत्तर में लिखा है' रिक्त पदों का भरा जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयासरत है।' मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि कृपया मुझे आश्वासन दें कि इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र में इस समय कुल 21 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं जिनमें प्रधानाचार्य के 18 पद भरे हुए हैं और तीन पद रिक्त हैं और ये जो तीन स्कूल हैं, ये अभी हाल ही में अपग्रेड हुए हैं। जल्दी-से-जल्दी वहां पर प्रधानाचार्य या अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा।

प्रश्न समाप्त

3/-

26/08/2015/1155/RG/DC/3

प्रश्न सं. 2307

अध्यक्ष : श्री बी.के. चौहान अनुपस्थित।

4/-

26/08/2015/1155/RG/DC/4

प्रश्न सं. 2308

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो हिमाचल भवन का बेसमैंट है, क्या आप इस बात से अवगत हैं कि अभी जिस पार्टी ने इसको किराये पर ले रखा है ,बहुत लंबे समय से इसको दिया गया है?

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी इनके कहने का मतलब यह है कि हिमाचल भवन का बेसमैंट काफी दिनों से किराये पर दे रखा है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेसमैंट का प्रश्न है वह किसी को किराये पर नहीं दिया गया है। वहां सरकार के कार्यालय चल रहे हैं। इसके अलावा जहां तक ऑडिटोरियम का प्रश्न है उसको हिमाचल भवन ,मांग पर डेली बेसिज़ पर किराये पर देता है। जो भी बुकिंग करे, उसके मुताबिक उसको दिया जाता है और बेसमैंट किसी को नहीं दिया जाता।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि यह ऑडिटोरियम काफी लंबे समय से एक ही पार्टी को किराये पर दे रखा है?

अध्यक्ष : यह तो मना कर रहे हैं ,इन्होंने कह दिया कि basement has not been leased out to anybody.

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऑडिटोरियम के बारे में पूछा है।

मुख्य मंत्री : नहीं, ऑडिटोरियम किसी को नहीं दिया, पहले था। Auditorium has been taken back. अब वह वहां के मैनेजमैंट के पास है। और डे-टू-डे बेसिज़ पर ऑन डिमाण्ड उसको अलॉट किया जाता है।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि यदि दुबारा से किसी पार्टी को साल के लिए देना हो, तो क्या इसकी ओपन बिड कराएंगे? क्योंकि इससे पहले भी कई कम्पनीज़ को एक साल के लिए यह दिया जा चुका है।

मुख्य मंत्री : ठीक है, इसकी ओपन बिड कराने पर भी विचार किया जाएगा।

प्रश्न समाप्त
एम.एस. द्वारा जारी

26/08/2015/1200/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2309

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, उसके अनुसार 3243पंचायतें पूरे प्रदेश में हैं। जिनकी पॉपुलेशन 2500 से ज्यादा हैं ऐसी पंचायतें 621 हैं। पंचायतों के गठन के लिए काफी समय से बात चल रही थी लेकिन अकारण यह गठन बंद कर दिया गया। इसके कारण कुछ ऐसे हैं जो विकास से जुड़े हुए हैं। आपने पहला कारण तो यही कह दिया कि कार्यालय खोलना पड़ेगा और इसमें कर्मचारी लगेंगे। क्या यह वेल्फेयर स्टेट नहीं है? पंचायत विकास का एक प्राथमिक केन्द्र होता है। लोगों का अगर विकास होता है ,उनको सुविधाएं मिलती हैं तो पंचायत के द्वारा मिलती है। आपने बताया है कि एक पंचायत में औसतन जनसंख्या 1905बनती है। अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिनकी पॉपुलेशन 4 हजार से ऊपर है। फिर एक और बात लेम एक्सक्यूजिज कि सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर तो सारी पंचायतों का एक जैसा होगा। जब कोई दूसरी पंचायत बनती है तो उसका डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। यह कौन सा बहाना है? इसके साथ ही बड़ी अजीब बात है। यह भी कहा गया है कि नई ग्राम सभाओं के गठन के फलस्वरूप सरकार के ऊपर खर्च बढ़ेगा। अरे, अगर पंचायतों के ऊपर ही आप खर्च नहीं कर सकते तो आप किस पर खर्च करेंगे? पंचायतें जो सारे प्रदेश के लिए बेसिक विकास का स्रोत हैं, यह कौन सा बहाना है? क्या यह पैसा लगेगा नहीं? क्या दफ्तर नहीं खोलेंगे, क्या कर्मचारी नहीं आएंगे ,लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा ?सरकार किसलिए है, यह साफ किया जाए? मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि पंचायतों का गठन किया जाए। दूसरी बात आपने यह कही है कि पंचायतों में कर्मचारियों का बोझ बढ़ जाएगा और वार्ड मैम्बर्ज को मानदेय देना पड़ेगा। अगर मान लो किसी पंचायत में 9 मैम्बर हैं उसके 7 हो जाते हैं और किसी पंचायत में5 मैम्बर हैं और 7 हो जाते हैं तो क्या मानदेय बढ़ जाता है?

26/08/2015/1200/MS/AG/2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि पंचायतें बननी चाहिए थी। जो जिक्र इन्होंने किया, मैं इनको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1962से लेकर 2005तक लगभग 1548 पंचायतों का गठन किया गया। जो आप कह रहे

हैं, हमें जो प्रपोजल प्रदेश के अंदर आई थी, वह लगभग 558 नई पंचायतों के लिए सरकार को आई थी और उसमें वित्तीय बोझ 125.58 करोड़ रुपये यानी 126 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ रहा था। एक सबसे बड़ा कारण जो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं ,वह यह भी है कि ग्राम पंचायतों के विभिन्न विकास हेतु धनराशि जनसंख्या अर्थात प्रतिव्यक्ति के अनुसार प्रदान की जाती है। जितनी छोटी पंचायतें होती जाएंगी उनमें फण्डज उतने ही कम आएंगे। यही कारण है जो आपने कहा कि वित्तीय संकट की बात है। यह भी हम कह रहे हैं कि 125 करोड़ रुपया जो पंचायतों के अंदर खर्च कर सकते हैं वह उनके विकास कार्यों के ऊपर खर्च किया जा सकता है। जैसे केरल है वहां मात्र 900 पंचायतें हैं। यहां पॉपुलेशन और टोपोग्राफी की वजह से वर्ष 2005 के बाद पंचायतें नहीं बनी हैं। उससे पहले हम पंचायतें बढ़ाते रहे। इसका वर्षवार अगर विवरण आप चाहते हैं तो वह भी हम आपको दे सकते हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

26.08.2015/1205/जेएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2309----जारी-------

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः-------जारी-------

तो वह भी हम आपको दे सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है जो मानदेय की बात की है जो आज पंचायत के प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनका मानदेय भी बढ़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है जो आपने पॉपुलेशन की बात की, 1 हजार से लेकर 5 हजार तक की पॉपुलेशन के ऊपर हम पंचायतें हिमाचल प्रदेश के अन्दर बनाते हैं। प्रदेश में जहां पर टोपोग्राफी की बात आती है उसके ऊपर भी सरकार निर्णय लेती है कि उस पॉपुलेशन के बेसिज पर भी हम पंचायतों का गठन करते हैं और सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वित्तीय संकट लगभग 125 करोड़ रूपये, यदि हम इन पंचायतों को बनाते हैं, इतना वित्तीय संकट पड़ने के कारण हमने इस पर फैसला नहीं लिया।

प्रश्नकाल समाप्त।

26.08.2015/1205/जेएस/एजी/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-ः

(i) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित(; और

(ii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित(।

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री कागजा़त सभा पटल पर रखेंगे।
शहरी विकास मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित (की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

26.08.2015/1205/जेएस/एजी/3

अध्यक्षः अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःपीसीएच-एचए(1)-1-2010/11

9750-9620दिनांक 11.08.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.08.2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

26.08.2015/1205/जेएस/एजी/4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर तो सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूं?

अध्यक्षः सदन की समिति के प्रतिवेदन खत्म होने दो। Let us finish the agenda. Then we will talk. उसके बाद आपने बोल लेना।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का 110वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के65 वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 111वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के7 8वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 112वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के79 वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट

सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है ।

26.08.2015/1205/जेएस/एजी/5

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं :-

(i) समिति का 42वां मूल प्रतिवेदन जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष-2011 1 2(वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 4.9 व 4.10 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 43वां मूल प्रतिवेदन जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष-2012 1 3(वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 3.11 व 3.1 2की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है।

26.08.2015/1205/जेएस/एजी/6

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार ,सदस्य, कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर भी रखेंगें।
श्री कुलदीप कुमार :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के48 वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)) वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)) वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर

कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालिया :अध्यक्ष महोदय ,मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का18 वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के11 वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा गृह विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी-------

1210/26.08.2015/केएस/एएस/1

अध्यक्षः अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या 2326 के उत्तर में शुद्धि के बारे में सदन को अवगत करवाएंगें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यवाही के तारांकित प्रश्न संख्या 2326 के उत्तर में उपलब्ध करवाई गई सूचना में कुछ संशोधन करना चाहूंगा । प्रश्न के उत्तर के भाग-"ख" में दी गई संख्या 262 को कृपया 58 पढ़ा जाए। यह टाईपिंग मिस्टेक है जिसका मुझे खेद है।

1210/26.08.2015/केएस/एएस/2

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।
अनुमति दी गई।

1210/26.08.2015/केएस/एएस/3

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करेंगें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 15) पुरःस्थापित हुआ।

1210/26.08.2015/केएस/एएस/4

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगें। ---(व्यवधान) ---मैं आपको समय दूंगा, वक्तव्य तो देने दो। ---(व्यवधान)----

Chief Minister: Let me make a statement. फिर आप बोल लेना। --(व्यवधान)--

Speaker: I am saying, I will give you time. मैं आपको समय दूंगा क्यों आप ऐसा कर रहे हैं?----(व्यवधान)----

मुख्य मंत्री: आप बैठिए। मैं बताता हूं आपको । ----(व्यवधान) ----
(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाज़ी करते रहे)
Hon'ble Speaker, Sir, The Hon'ble House is aware that during the Winter Session at Dharamsala the issue regarding illicit felling in Almi Beat of Chamba Forest Division was raised. Now the investigation has been held and I am giving a report of this thereof. The information was received during last year regarding illicit felling in Almi Beat of Chamba Division. The matter was immediately got inquired through the concerned officers of the

Forest Department as also the HP Forest Development Corporation and Government took following actions:-

a. Registration of FIR in which three officials of Forest Department and four Officials of HP Forest Development Corporation were arrested and also placed under suspension. ---(Slogans raised by the Opposition Party)--
b. Disciplinary proceedings have been initiated against concerned officials of Forest Department and HP Forest Development Corporation.
c. Joint Committee comprising officers of Police, Forest Department and HP Forest Development Corporation was constituted to physically inspect the entire area where the alleged illicit felling took place. Because the area was snow bound, the team could visit the spot only in June, 2015.

- The Joint Committee after the spot inspection submitted a report to the Government which was received on 23.7.2015.
- The report prima facie indicates that unauthorized felling of 1807 trees took place. After examination of

26.08.2015/1210/केएस/एएस/6

the report, the Government on 18.8.2015 has issued following directions to the Forest Department.

a. Registration of another FIR if required or else the findings of the report be shared with the Investigating Officer in the FIR already registered so that no aspect of the offence is omitted.
b. Levy of exemplary damages/penalty on the concerned contractors, as also the Forest Corporation.
c. Fixing specific responsibility upon official of both the Forest Department and HP Forest Development Corporation at each level.
d. Initiate immediate disciplinary proceedings against such officials without any prejudice to and in addition to the criminal proceedings already launched or further to be initiated.

- Government has also asked the PCCF, HP to submit a comprehensive report as to what preventive steps need to be put in place to eliminate the possibility of such gross illegalities. The entire policy of marking of the

1210/26.08.2015/केएस/एएस/7

forests should also be reviewed, if required so that greater and stricter control is exercised in such remote areas.

- It may be worthwhile to inform the House that marking of the trees in this forest was done in the year 2012 when the BJP Government was in power and this was handed over to Forest Cooperation on 15 December, 2012, i.e. just a few days before the change of the Government. Therefore, the responsibility for this irregularity lies on the previous government not on this Government.

.....continued...by AV

26.8.2015/1215/av/as/1

(विपक्ष के सभी सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्ष : मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस चीज के लिए प्रोटैस्ट कर रहे हैं? मैंने आपको कहा कि एजैंडा लगा हुआ है और मैं आपको बाद में समय दूंगा।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मुख्य मंत्री : आपके वक्त में ही फॉरैस्ट कार्पोरेशन को पेड़ फैलिंग के लिए दिए गए। यह आपके वक्त में हुआ है।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ,आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले कल और आज भी स्टेटमैंट पढ़ी है और हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान हमने अवैध जंगलों से सम्बंधित मामला बड़े जोरशोर से उठाया था। जिला चम्बा में हुए कटान के बारे में मैंने आरोप लगाया था कि वहां पर दो हजार से ज्यादा पेड़ कटे हैं। आपने जो उसके लिए कमेटी गठित की थी उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। उस कमेटी में वीर बहादुर, डी.एस.पी., हैड क्वार्टर(चम्बा) ऐज चेयरमैन, श्री मनीष रामपाल ,ए.सी.एफ,. फॉरैस्ट डिविजन नूरपुर ऐज मैम्बर, श्री कमल भारती, डिविजन मेनेजर, डिविजन न.1 फतेहपुर, कांगड़ा ऐज मैम्बर थे। यह तीन मैम्बर की कमेटी गठित की थी। मैं इसके विस्तार में न जाता हुआ यह कहना चाहता हूं कि इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार चम्बा में 184 3पेड़ काटे गये हैं जिसमें से 1402 पेड़ अवैध कटान के अंतर्गत काटे गये हैं। यह उस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जिस कमेटी का जिक्र किया है, । don't know what committee they are talking of. यह कोई आपके घर की कमेटी होगी।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कैल, देवदार और फर के 1339 हरे पेड़ कटवा दिए।

मुख्य मंत्री : मैंने कहा है कि पेड़ कटे हैं। । I admitted only trees and nothing else. मगर एक बात है कि आपके वक्त में पेड़ों की मार्किंग हुई है। आपके वक्त में ही मार्किंग के बाद वे फॉरैस्ट कॉर्पोरेशन को हैण्ड ओवर हुए हैं। That is the question.

26.8.2015/1215/av/as/3

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि यह मार्किंग दिसम्बर, 2012 में हुई है। दिसम्बर, 2012 में चुनाव हुए थे और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है----------

श्री टी सी वर्मा द्वारा जारी

261/08.2015.2/20टीसी/डी0सी01/

श्री रविन्द्र सिंह ---**जारी**

अध्यक्ष महोदय, 2012 में आम चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद इसको बन्द कर दिया जाता है। जून 2013 में फिर मार्किंग करवाई जाती है और उस समय जो माकिंग हुई है उसका कटान सितम्बर, 2013 में शुरू करवाया जाता है। अध्यक्ष महोदय वह सारी रिपोर्ट कमेटी ने हमें यहां पर दी है। अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करूंगा। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री ने धर्मशाला में जो रिपोर्ट दी है उस पर कार्रवाई करें । इन्होंने ने जंगल तो छोड़े नहीं (व्यवधान--)

मुख्य मंत्री : सर इलीगल फैलींग हुई है और इलीगल फैलिगं चाहे आपकी गलती से हुई है या किसी और की गलती से हुई है। हम उसके खिलाफ ऐक्शन लेंगे। आज भी वे लोग एरेस्टिड है, उन पर मुकदमा चला हुआ है। (व्यवधान--) मैंने आपको डेट्स दे दी है। सर, इस माननीय सदन को बताना उचित होगा कि इस जंगल में पेड़ो की मार्किंग वर्ष 2012 में हुई थी । जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के कुछ ही दिन पहले इस जंगल का लॉट दिनांक 2012-12-15 को वन निगम को सौंपा गया। यह सारा आपके व़क्त में हुआ। (व्यवधान--) एक बात और सुनिए । सुनिए--सुनिए उसके बाद शोर मचाईये। मैं कहना चाहता हूँ that let me be clear. The marking of this jungle was done up to November 2012 and the lot handed over on 15th of December 2012 and our Government came in power on 25th of December. यह सारा काला काम आपके व़क्त में हुआ है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री हर चीज़ में कोई काम होता है तो कहते हैं इनकी सरकार ने किया। बेनीफिट इनको होता है। यह सारे हाऊस को मिस -गाइड कर रहे हैं और सारे प्रदेश को मिस गाइड कर रहे हैं ।

261/08.2015.2/20टीसी/डी0सी02/

रिपोर्ट तो ये है कि जो पेड़ मार्क हुए वे काटे ही नहीं गये, अनमार्कड 1403 पेड़ काटे गये । (व्यवधान--) सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। । I have been allowed. You sit down. अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं, मार्किंग इनके टाईम में हुई। प्रश्न तो यही है कि मार्किंग जो हमारे टाईम में हुई, वह दरख्त नहीं काटे गये और उसके बाद इनकी सरकार आ गई। इनके तीन ऑफिसर्ज़ की रिपोर्ट है कि इन्होंने उसके वज़ाए दूसरे वृक्ष काट दिए। उनकी प्रॉपर कटिंग नहीं हुई, जो कटिंग हुई वह इलिसिट फैलिगं हुई है और प्रोसिज़र भी ठीक नहीं अपनाया गया। उस सारे पर मिट्टी डालने के लिए ये ऐसा कह रहे हैं । उस सरकार के समय में मार्किंग हुई, लेकिन मार्किंग वाले पेड़ तो आपने काटे ही नहीं। ये आपकी अपनी रिपोर्ट है, जो आप पढ़ रहे थे। (व्यवधान--) अध्यक्ष महोदय, -----

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ----

426.08.2015/1225/NS/DC/1------

प्रो. प्रेम कुमार धूमल------- क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उन्होंने कहा वो भी काटे हैं। उसके अलावा इललिगल भी काटें हैं। ये मान रहें हैं इस बात को। हम यही तो सवाल उठा रहे हैं। (---व्यवधान----)। आप बैठिए ज़रा जबाव दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री गुमराह कर रहे हैं। हमें कहते ठेकेदार ने काटे। हम भी यही कह रहे हैं कि जिसने भी काटे गलत काटे हैं। ठेकेदार ने काटे हैं तो उसको अंदर करो (---- व्यवधान---) और जो मंत्री महोदय ओवरऑल इन्चार्ज़ थे उनसे भी इस्तीफा लो। He should resign now.

मुख्य मंत्री : देखिए, मेरी बात सुनिए। Why should he resign?

श्री प्रेम कुमार धूमल : माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको एक बात बता दूं । I have been allowed by the Speaker.(---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं । Kindly listen to me. You have more ammunition to fire at me. I want to tell you that more than 1000 green trees were marked which is a gross irregularity. मार्किंग तो आपके वक्त में हुई है । 1500 दरख्त आपके वक्त में गलत मार्क किए गए हैं।

श्री प्रेम कुमार धूमल : आपके अपने चुनाव क्षेत्र में तारा देवी के पास 400-500 पेड़ देवदार के कटे हैं। (---व्यवधान---) अपने घर का अड्रैस पूछ रहे हैं कि कहां पर कटे हैं।

Chief Minister: If any irregularity comes to our notice, we will take action . वहां ट्री नहीं थे बल्कि वहां पर झाड़ियां थी।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार वन काटू है।

26.08.2015/1225/NS/DC/2------

Speaker : Let us proceed to the agenda now.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1500 ग्रीन ट्रीज की मार्किंग की है। This is a report of the Committee (---व्यवधान---)

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार के पास कमेटी की रिपोर्ट आई है आप उसको यहां पर लेकर आइए। नहीं तो मैं इसको ऑथैंटिकेट करके Lay करता हूं। इस पर कार्रवाई की जाए। मुख्य मंत्री महोदय यह जो वन मंत्री के आदेश से पूरे प्रदेश में हरा धंधा हो रहा है इसको बंद करो। इनको मुख्य मंत्री का पूरे-का-पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। जंगल तो काट दिए अब ये नागछत्री के ऊपर भी आ गये हैं। अब इनका निशाना जड़ी-बूटियों पर है कि उनको भी साफ कर दो। (--व्यवधान--)

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, आप यह मुद्दा बाद में उठा लेना। Let us finish this issue. Speaker, Sir, I was also shocked what I heard. I said that if anybody is found guilty, we will take action. In this case also in spite of the fact that the marking was done in your time and the allotment of contract was done in your time, उसके बावजूद जो इलिसिट फैलिंग हुई है। Who have done it, we will take stringent action against them. They are responsible on spot for it. वह चाहे ठेकेदार हो या मौके पर फॉरैस्ट डिपार्टमैंट के ऑफिसर्ज हों; जिन्होंने इलिसिट फैलिंग को अलाउ किया। You have marked it. You have given the contracts. (Interruption) आपका तो वह हिसाब है कि 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।' चोरी करवाने का काम आपका है और उनको सजा देने का काम मेरा है। (---व्यवधान---) वह आपने ही फॉरैस्ट कॉर्पोरेशन को हैण्ड ओवर किया था।

426.08.2015/1225/NS/DC/3------

श्री रविन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री महोदय, कटान कब हुआ? कटान करते वक्त सरकार में वन मंत्री कौन थे? वह कटान वर्ष 2013 में हुआ।
मुख्य मंत्री : आपकी गलत मार्किंग के ऊपर कटान हुआ है। (---व्यवधान---)
श्री रविन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री जी, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि

श्री नेगी द्वारा जारी -------

26.08.2015/1230/negi/Ag/1

श्री रविन्द्र सिंह .. जारी..
हरे पेड़ काट दिए गये।

मुख्य मंत्री : एक बात और है अध्यक्ष महोदय, हैरानी की बात है कि सिर्फ 36 ड्राई टीज़ मार्क हुए बाकी जो मार्क हुए सब ग्रीन ट्रीज हैं। This is a big scandal of your time. _____(व्यवधान)....

श्री रविन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री जी आप सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं? ...(व्यवधान)..

मुख्य मंत्री : अब तो चुप हो जाओ। इतना कुछ खुलासा हो जाने के बाद कुछ तो शर्म करो। ....(व्यवधान)... हम क्यों करेंगे। हमने तो आपकी चोरी पकड़ी है। ....(व्यवधान)... आपने सबको गुमराह किया, प्रैस को गुमराह किया और जनता को गुमराह किया । आज जब सच्चाई सामने आई है तो आप उसको सहन नहीं कर सकते। .....(व्यवधान) ..(नारेबाजी).....

श्री रविन्द्र सिंह : आपके पास जो रिपोर्ट आ गई है उसपर आप क्या कार्रवाई करेंगे, यह प्रदेश की जनता जानना चाहती है।

मुख्य मंत्री : ऐसा है जो रिपोर्ट आई है जो मैंने पढ़ी है, it is being circulated to the each and every Hon'ble Member. _____(व्यवधान)_____
मैं कह रहा हूं महाराज बब्बू लाल जी, हमारे पहाड़ों में बब्बू लाल होता था जो हर चीज़ को झपटता था। मैं यह कह रहा हूं कि रिपोर्ट आई है और इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक मेम्बर को दी जायेगी । .....(व्यवधान) ....हम कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों ने ग्रीन ट्रीज को मार्क किया है, जिन लोगों के इशारे पर ग्रीन ट्रीज को मार्क किया गया है और जिन्होंने ग्रीन ट्रीज को काटा है, उनके खिलाफ सजा होगी चाहे कोई भी हो। .....(व्यवधान) .... मार्किंग तो आपके वक्त में हुई है। ...(व्यवधान)...
प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ज़ोर से बोलने का कम्पिटिशन कर रहे हैं। .... (व्यवधान)....

26.08.2015/1230/negi/Ag/2

मुख्य मंत्री : उस वक्त के फोरेस्ट मिनिस्टर आज मिनिस्टर नहीं है और आपकी पार्टी में भी नही है। वह हैं गुनाहगार उसके लिए। जिन्होंने गलत मार्किंग करवायी है और उसकी मोरल जिम्मेवारी आप सबके ऊपर है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, बोलने से तथ्यों को बदला नहीं जा सकता। उनकी मार्किंग 2012 में भी हुई और जून, 2013 में भी हुई है। जो इनकी सरकार के टाईम मार्किंग हुई और जो हमारी सरकार के टाईम मार्किंग हुई है, वे दरख्त तो काटे ही नहीं गये। और जो बड़े ज़ोर से कह रहे हैं कि ग्रीन ट्रीज पर मार्किंग कर दी, मार्किंग वाले पेड़ तो काटे ही नहीं। सवाल यह है कि 1843 पेड़ों में से सिर्फ 402 वृक्ष जो मार्क्ड थे

वो लीगली काटे गए और 1405 वृक्ष आपने नजायज़ तौर पर काटे हैं। सवाल यह है। ...(व्यवधान)... क्या यह सवाल नही है? अन-मार्क्ड जो काटे गये ,वही सबसे बड़ा सवाल है। आपकी गवर्नमैन्ट के टाईम में सारे के सारे मार्क्ड और अन-मार्क्ड पेड़ काटे गए।

मुख्य मंत्री : ये हमारे वक्त में नहीं कटे। आपने मार्क किये और कटाई उसी विन्टर में हुई है। ....(व्यवधान)...

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : मुख्य मंत्री महोदय, लोकतंत्र में दिमाग खुला रखना चाहिए । अच्छे सुझाव विपक्ष की तरफ से भी आ सकते हैं। इस करके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसकी जो जांच करनी थी वह कर दी है और रिपोर्ट आ गई है ।

मुख्य मंत्री : इसके आधार पर आगे इन्क्वायरी होगी । ....(व्यवधान)... इस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी पाये जाएंगे, जिन्होंने गलत काम किया है उनको दण्डित किया जाएगा, चाहे वह ठेकेदार है, ठेकेदार के मज़दूर हैं और चाहे वह सरकारी अधिकारी है।.... (व्यवधान)... इसमें मंत्री का क्या कसूर है? आपके मंत्री ने तो मार्क किये।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : क्या हमारे मंत्री ने कटवा दिये?

मुख्य मंत्री : मार्क तो उन्होंने किये हैं।

26.08.2015/1230/negi/Ag/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : मार्क किये हैं तो काटे कब? उन्होंने मार्क्ड किये और आपने काटे ही नहीं। आप असली सवाल को जानबूझकर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मार्क्ड जो हुए हैं वो काटे ही नहीं गये ,यही तो सवाल है। इसको टेबल ऑफ दि हाऊस पर ले (lay) करिये। जांच तो हो चुकी है और अब कार्रवाई का वक्त है और टॉप तक कार्रवाई होनी चाहिए।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

26/1235/08.2015.यूके/एजी1/

मुख्य मंत्रीः हम हर टॉप पर कार्रवाई करेंगे और उस वक्त के जो आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उन पर कार्रवाई करूंगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से ब्लेटेंटिली गलत बोलना शुरू कर दिया हाऊस में ,इसके बाद तो मैं समझता हूं कि इस हाऊस में बैठने का औचित्य भी कोई नहीं रहा। हमें लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने मन बनाया है कि जो दोषी हैं, उनको बचाना है और जिन्होंने गलती प्वाइंट आऊट की है, उनके ऊपर दोषारोपण करना है। हम प्राटैस्ट में वॉक आऊट करते हैं। ऐसे वन काटुओं की सरकार के खिलाफ प्राटैस्ट कर रहे हैं।

(सर्वश्री महेन्द्र सिंह व रिखी राम कौंडल, सदस्यों को छोड़ कर बाकी विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से वॉक आऊट किया।)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट के मुताबिक उस पर कार्रवाई भी कर दी गई है।। want to say that वे झूठ फैलाते रहे, तनाव फैलाते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे, आज जब सच्चाई सामने आई है तो they can't face the truth and are leaving the House. This is the role of this irresponsible Opposition.

26/1235/08.2015.यूके/एजी/2

<u>नियम 130 के अन्तर्गत चर्चा</u>

अध्यक्ष : अब श्री महेन्द्र सिंह जी नियम 130 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

Chief Minister: Sir, there is no walk-out because the Hon'ble Members are sitting here. They don't agree with the action of their leader.

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम 130 के अन्तर्गत जो विषय पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में जंगली जानवरों, आवारा पशुओं द्वारा जान, माल व फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे ।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश में जंगली जानवरों, आवारा पशुओं द्वारा जान, माल व फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे ।

अब मैं श्री महेन्द्र सिंह जी कहूंगा कि वे इस प्रस्ताव पर बोलना आरम्भ करें और इसके बाद अन्य माननीय सदस्य बोलेंगे । श्री महेन्द्र सिंह जी ।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम 130 के अन्तर्गत जो चर्चा मैने और मेरे साथी कौंडल जी ने लाई है, आज प्रदेश के अन्दर किसान और बागवान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है । प्रदेश में जो कृषि योग्य क्षेत्र है, विकास की रफ्तार के साथ-साथ जहां वह क्षेत्र घट रहा है वहीं जो जंगली जानवर हैं, आवारा पशु हैं, उनकी वजह से एक ऐसी स्थिति आज पूरे प्रदेश के अन्दर पैदा हुई है, किसान और बागवान मजबूर हुआ है अपने कृषि क्षेत्र को कम करने के लिए । आज की जो चर्चा है आदरणीय अध्यक्ष जी

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

26.08.2015/1240/sls-as-1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

क्योंकि चर्चा विभिन्न जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से संबंधित है। मैं समझता हूं कि इस चर्चा का बहुत विस्तृत क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय, जंगली जानवरों में विशेषकर बंदरों की समस्या है जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर आतंक फैला दिया है। वर्ष 2004 में बंदरों की गणना की गई थी। उस गणना के मुताबिक प्रदेश में 3.27 लाख बंदर थे। उस गणना में लंगूरों की संख्या 65,000 दशाई गई थी। उसके उपरांत वन विभाग ने दोबारा से इनकी गणना की है। इस गणना में दर्शाया गया है कि 94,334 बंदर पकड़े गए हैं जिनकी 15.03.2015 तक नशबंदी की गई है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि वन विभाग कहता है कि 2004 की गणना में बंदरों की संख्या जो 3.27 लाख थी वह अब दूसरी गणना में 2.14 लाख के लगभग

बताई जा रही है। यह एक चिंता और आशंका का विषय है। हममें से लगभग सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। लेकिन आज बंदरों की समस्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं; चाहे ग्रामीण क्षेत्र हों या शहरी क्षेत्र हों, दोनों ही क्षेत्रों में बंदरों की समस्या है। आपने स्थापित किए गए 7नशबंदी केंद्रों के अंदर 94 हजार बंदरों की नशबंदी की और फिर उनको दोबारा से छोड़ा गया।

(माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, बंदरों को पकड़ने के लिए जो राशि आपने 500-/ रुपये प्रति बंदर के हिसाब से आंकी है, उसमें 3,22,25,399/- रुपये दिए गए। उसमें अभी तक राशि देने को भी शेष है। प्रश्न यह पैदा होता है कि बंदर किस क्षेत्र से पकड़े गए? जिस क्षेत्र से बंदर पकड़े गए, क्या बंदर उसी क्षेत्र में छोड़े गए हैं या उनको पकड़ कर दूसरे क्षेत्रों में छोड़ा गया है? आदरणीय उपाध्यक्ष जी, यह बात पूरे प्रदेश के अंदर चिंता का विषय बनी हुई है। मेरे पास एक किताब है। उस किताब के अनुसार वर्ष 85-1984 से लेकर लगातार, किस-किस क्षेत्र में, किन-किन पंचायतों में कितने-कितने बंदर थे ,वह सूचना मेरे पास उपलब्ध है। उस समय इस प्रदेश के अंदर बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जहां बंदर थे ही नहीं। लेकिन आज प्रायः यह देखने को मिल रहा है कि जिन क्षेत्रों में बंदर नहीं हुआ करते थे ,उन क्षेत्रों में भी बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यह एक चिंता का विषय है।

26.08.2015/1240/sls-as-2

इसके लिए मैं माननीय वन मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप इस बात को स्पष्ट करें कि आपने किस-किस क्षेत्र से बंदर पकड़े। किन ट्रकों के माध्यम से आपने उन बंदरों को पकड़ा, किन-किन केंद्रों में उनकी नशबंदी की गई और फिर किन ट्रकों या वाहनों के माध्यम से आपने उन बंदरों को किन-किन क्षेत्रों में छोड़ा है? पूरे प्रदेश के लोग आपसे यह जानना चाहते हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, 1978 से पहले बंदरों को बेचा जाता था। बहुत से ऐसे देश थे जैसे यू.एस.ए. जो बंदरों को क्रय करते थे। भारत से भी लगभग 65000 बंदर प्रति वर्ष बेचे जाते थे। मैं वन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक-एक बंदर की कीमत 2.50 लाख से लेकर 4.00 लाख रुपये तक दी जाती थी। लेकिन 1978 के उपरांत इस बिक्रय पर पाबंदी लगी है।

पाबंदी की वजह से आज ऐसी स्थिति बनी है। पाबंदी किन कारणों से लगी है? इसको लगाने में हिमाचल प्रदेश की विभिन्न सरकारों का कोई हाथ नहीं है।

जारी ..श्री गर्ग जी

26/08/2015/1245/RG/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह-----क्रमागत

इस पाबन्दी को लगाने में कोई हिमाचल प्रदेश की सरकार का या सरकारों का हाथ नहीं है। बल्कि इस पाबन्दी के पीछे समाज की कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं चाहे वे देश की हैं या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं ,वे हैं, उनकी वजह से यह सारा कुछ हुआ है। बन्दरों को मारने के लिए हमारे वाइल्ड लाईफ के चीफ वार्डन ने 26अक्तूबर, 1998 को आदेश जारी किए थे। 26 अक्तूबर, 1998 से लेकर वर्ष 2011 तक बंदरों को मारने की अनुमति थी ,लेकिन दिनांक 6-01-2011 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया कि आप बंदरों को मार नहीं सकते। माननीय न्यायालय ने कहा कि मारने के बजाय प्रदेश की सरकार कोई रास्ता ढूंढे, उच्च न्यायालय को कोई सुझाव दे कि जंगली बंदरों को किस प्रकार से रोका जाए ताकि ये प्रदेश के किसानों-बागवानों की खेती को नुकसान न पहुंचाएं। पिछले लगातार वर्ष 2014 ,2013एवं वर्ष 2015 से इस विषय पर माननीय सदन में चर्चा होती रही है ,लेकिन दुःख इस बात का है कि होता कुछ नहीं है। हम इस सदन में चर्चा करते हैं और माननीय मंत्री जी को भी अब तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मेरे पास आंकड़ें हैं कि वर्ष 2013, 2014 और वर्ष 2015 में भी इस विषय पर चर्चा हुई और अब वर्ष 2015 में इस विषय पर दूसरी बार चर्चा हो रही है। क्या आपने इस विषय में कभी कुछ सोचा कि हम प्रदेश में कोई ऐसी ठोस नीति लाएं? मैं ऐसा सोचता हूं कि आपने इस विषय पर कभी विभाग के साथ बैठकर कोई बैठक नहीं की होगी। अब इस पर किसी ठोस नीति को लाने का समय आ चुका है, आप कोई ठोस नीति लाइए और जो हमारा केस माननीय उच्च न्यायालय में लगा हुआ है, ऐडवोकेट जनरल प्रदेश की सरकार का और प्रदेश की जनता का पक्ष वहां पर रखें कि यहां जो जितनी कृषि योग्य भूमि थी ,इन बंदरों के कारण उसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से हमारी उपजाऊ भूमि लगातार बैरन होती जा रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वन मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप इस तरफ कदम उठाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब पूरे प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि पहले तो बंदर जमीनों को नुकसान करते थे या फलदार पौधों को नुकसान पहुंचाते

थे ,लेकिन अब वे जंगलों से पूर्ण रूप से गांवों की तरफ पलायन कर चुके हैं और प्रदेश के गांवों में ज्यादा-से-ज्यादा घर स्लेटपोश हैं। वे स्लेटपोश मकानों में क्या करते हैं कि ऊपर छप्पर से स्लेट इधर-उधर हटाते हैं और घर के अंदर घुसकर जो भी उन्हें घर में मिलता है, उसको वे उठाकर ले जाते हैं। इसके

26/08/2015/1245/RG/AS/2

अलावा सैंकड़ों नहीं बल्कि हजारों मामले प्रदेश में ऐसे सामने आए हैं कि बंदरों ने बहुत लोगों को काटा है। प्रदेश में अब यह मुश्किल हो चुकी है कि हमें अपने बच्चों विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत दिक्कत आ रही है। रास्ते में बंदर उन पर झपटते हैं और काट लेते हैं और बंदरों के काटने का इंजेक्शन हमारे पी.एच.सी. या सी.एच.सी. में आज उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिस मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। मेरा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से निवेदन रहेगा, वे अभी यहां नहीं हैं ,मैं सरकार से चाहूंगा कि उस इंजेक्शन का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्र के सभी पी.एच.सीज. एवं सी.एच.सीज. या आर.एच. में किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अब बंदरों ने इससे भी आगे बढ़कर जो महिलाएं घास काटने के लिए खेतों में जाती हैं ,उनके ऊपर झपटना और उनको काटना शुरू कर दिया है जोकि एक गंभीर विषय बना हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि हम इस पर विशेष ध्यान दें। इन बंदरों को पकड़ा जाए। मैंने पिछली बार भी आपको सुझाव दिए थे कि हमारे पास कुछ वाइल्ड लाईफ सैंक्चुरीज़ का एरिया है ,मेरे ख्याल से हमारे पास 32 वाइल्ड लाईफ सैंक्चुरीज, चार जू हैं और दो नए एरिया उसमें मर्ज होने जा रहे हैं। हमारे पास प्रदेश में इतना बड़ा क्षेत्र इन वाइल्ड लाईफ सैंक्चुरीज़ के लिए है और वाइल्ड लाईफ सैंक्चुरीज़ का मतलब ही यह है कि जितने भी जंगली जानवर हैं उन सभी वहां पर रखा जाए और उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी वहां की जाए ,तो वे निश्चित तौर पर वहां से बाहर नहीं आएंगे। होता क्या है कि जब बंदर किसी किसान या किसी बागवान की खेती या बाग पर झपटता है---------- जारी

एम.एस. द्वारा जारी

श्री महेन्द्र सिंह जारी---------

होता क्या है कि जब बंदर किसी किसान की खेती पर झपटता है या किसी बागवान के पेड़ पर चढ़ता है तो वह खाता कम है लेकिन सौ गुणा ज्यादा नुकसान करता है। उस सौ गुणा नुकसान को बचाने के लिए हमें चाहिए कि इन बंदरों को पकड़कर या जिन बंदरों को पकड़कर हम उनकी नसबन्दी कर रहे हैं ,अगर नसबन्दी करने के उपरान्त उनको उन क्षेत्रों में ले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो आपने आंकड़े प्रदेश सरकार की तरफ से इनके दिए हैं कि 21.04लाख (इक्कीस लाख चार हजार) के लगभग बंदर रह गए हैं। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि जो प्रदेश में बंदरों की संख्या वर्ष 2000 में 327. लाख (तीन लाख सत्ताईस हजार) थी, वह आज बढ़कर अगर कुछ भी नहीं होगा तो कम-से-कम 12और 13 लाख हो चुकी है। जैसे मैंने कहा है कि यह चिन्ता का विषय है, मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेरे पास एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा है कि "जापान के रेस्त्रां में वेटर बने बंदर"। क्योंकि बंदरों के बिक्रय पर वर्ष 1978 से रोक लगी है ,मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि आप भारत सरकार से अच्छे संबंध बनाइए और वहां इस बात को उठाइए ताकि वहां से यह जो प्रतिबन्ध लगा है इसको यदि खोल दिया जाए तो इससे हमें, विशेषकरके हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य को दोहरा फायदा होगा और हम बाहर के देशों को इन बंदरों का निर्यात करने में सक्षम होंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी, वन मंत्री जी आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि जहां एक तरफ बंदरों का अटैक है, दिन में बंदरों का अटैक है और रात्रि के समय सुअर, सेहल और सांभर का अटैक है। जहां तक सुअर के अटैक की बात है। जब मक्की के खेत में सुअर घुस जाता है तो उस खेत में आप मानकर चलो कि उसमें कुछ भी नहीं बचेगा और अंत में तो वह उसमें इतने बड़े-बड़े गड्ढे डाल देता है कि किसान को दुबारा से उन खेतों को काश्त योग्य बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जहां तक बंदरों की संख्या की बात है। बंदरी तो एक बच्चे को जन्म देती है लेकिन जो सुअरी है, वह 10 से 12 बच्चों की फौज को एक साथ जन्म देती है। माननीय महेश्वर सिंह जी कह रहे हैं कि बंदरी दो बच्चों तक जन्म देती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर किसानों के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी

26/08/2015/1250/MS/AG/2

है कि जो जंगल के साथ लगता हुआ उसका क्षेत्र है, वह सारा-का-सारा क्षेत्र सुअर, सेहल और सांभर से भर गया है। उस क्षेत्र में जो जंगली पक्षी हैं, उनकी लगातार इतनी बड़ी संख्या बन गई है कि किसान को अपने खेत में किसी भी किस्म की पैदावार न करने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि मैं कुछ न बीजूं और कुछ न बीजने के साथ-साथ फिर वे मनरेगा की तरफ बढ़ते हैं। मनरेगा के मस्ट्रौल आज पूरे प्रदेश में सभी पंचायतों में लगे हुए हैं। जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वे सभी मनरेगा में चली जाती हैं और वे बस एक ही बात कहती हैं कि हमने खेती किसलिए करनी है? अगर हम खेती करते हैं तो बंदर, सेहल और सुअर हमारी खेती को उजाड़ रहे हैं और इसके बाद जो बचता है उसको तोते और पक्षी खा जाते हैं और इससे भी जो बचता है तो जमीन के नीचे जो चूहे रहते हैं उनका बहुत बड़ा अटैक रहता है। इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि अगर इस स्थिति को हमने वक्त रहते हुए नहीं संभाला तो मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश के अंदर आवारा पशुओं की संख्या वर्ष 2012 में 32 130,थी और आवारा कुत्तों की संख्या 66 018,थी। माननीय वन मंत्री जी, अब किसान किस-किस से लड़ाई लड़े। वह बंदर से लड़ाई लड़े, सुअर से लड़ाई लड़े, सेहल से लड़ाई लड़े, चूहों से लड़ाई लड़े या पक्षियों से लड़ाई लड़े ?तो एक ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर पैदा हो चुकी है। प्रदेश सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं और इन तीन सालों में आपको इस प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए कोई ठोस नीति बनानी चाहिए थी लेकिन सरकार उस ठोस नीति की तरफ अभी नहीं सोच रही है। यह हमारा चिन्ता का विषय है। जो 32,130आवारा पशुओं की गणना वन विभाग ने की है या दूसरे विभागों ने की है, अगर इन आवारा पशुओं को गौ-सदन बनाने हों तो 80 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन गौ-सदनों में फिर इन पशुओं को हर वक्त पालने के लिए चारा चाहिए। उसके लिए भी 66करोड़ रुपया आपको प्रतिवर्ष चाहिए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

26.08.2015/1255/जेएस/डीसी/1

श्री महेन्द्र सिंहः ------- **जारी**----------

66करोड़ रूपया आपको प्रतिवर्ष चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी, वन मंत्री जी क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? इस हाऊस में जो आपका बजट अभिभाषण था उसमें

भी आपने कहा था कि हम पंचायतों में गऊ सदन बनाने के लिए पैसा रख रहे हैं। कितना पैसा रख रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर 45 लाख रुपया। 45 लाख रु0 तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। जहां 80 करोड़ रु0 लगने हैं वहां 45 लाख रख रहे हैं? मेरा निवेदन रहेगा कि इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपना फैसला दिया है, कहा है कि हर पंचायत के अंदर गऊ सदन बनाना आवश्यक है। यहां पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भी बैठे हैं ,मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसकी अनुपालना आपके विभाग ने आज तक की है ? कितनी पंचायतों में गऊ सदन बनाने की प्रक्रिया आरम्भ की हुई है? कितनी पंचायतों में गऊ सदन के लिए जमीन का हस्तांतरण हुआ है? यह एक चिंता का विषय है और मेरा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से भी निवेदन है कि यह माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है । माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आपको हर पंचायत में गऊ सदन बनाना है। बी.डी.सी. से इसके लिए आप धन की व्यवस्था अलग से करें । जिला परिषद के मैम्बर्ज़ से या पंचायतों के कोष में से कुछ राशि अलग करके उन गऊ सदनों को बनाएं। जिस गऊ माता की पूंछ पकड़ कर हम अन्तिम सांस लेते हैं तो वैतरणी पार होती है, आज वह गऊ माता सड़कों पर धक्के खा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, गाय के अलावा आज जो बैल है, जिनसे हम धरती को जोतते थे, अब जैसे-जैसे टैक्नीक एडवांस हो रही है और नए-नए, छोटे-छोटे ट्रैक्टर्ज़ आ रहे हैं उनकी वजह से अब बैलों को भी लोगों ने पालना बंद कर दिया है। मैं गांव में देखता हूं कि एक गांव में जहां 50 परिवार रहते हैं उनमें से ज्यादा से ज्यादा पांच परिवारों के पास बैल होगें और वह भी ऐसे हो रहा है कि एक बैल एक परिवार पालेगा और दूसरा बैल दूसरा परिवार पालेगा और जब जमीन जोतनी होगी तब दोनों बैलों को इकट्ठा किया जाएगा। लोग छोटे-छोटे ट्रैक्टरों से अपनी जमीन

26.08.2015/1255/जेएस/डीसी/2

को जोत रहे हैं। उससे नुक्सान यह हो रहा है कि हमारी खेती की उर्वरकता खत्म हो रही है। गाय, बैल, भैंस या बकरी पालने से जो गोबर इकट्ठा होता था, उसको हम अपनी जमीन में डालते थे अब वह गोबर कहां से होगा? अब तो पी.डी.एस. सिस्टम के अंतर्गत आटा, चावल, दाल आदि मिल रही है। किसानों ने इन जंगली जानवरों की वजह से अपनी जमीन जोतना छोड़ दिया है ऐसी स्थिति में हम प्रदेश को ले जा रहे हैं और दस साल के अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पूरे प्रदेश का कृषि योग्य क्षेत्र

कहीं पांच या दस प्रतिशत ही न रह जाए। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है इसलिए इस पर हम सबने मिलकर सोचना है कि इस पर हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जहां-जहां नलवाड़ें लगती है, प्रदेश के अंदर नलवाड़ के मेले लगते हैं, वहां पर बैल बेचे जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि नलवाड़ में जो बैल आते हैं जो बिक गए, बिक गए जो नहीं बिकते उनको वहां पर छोड़ देते हैं और फिर वहां की पंचायतें सौ-सौ, दो-दो सौ बैलों को कहां रखेगी? फिर उनका अटैक रात-दिन खेतों में होता है और लगातार किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अभी तो शुक्र है कि जो भैंसे हैं, उनको बूचड़ ले जा रहे हैं लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि उनको बूचड़ भी नहीं ले जाएंगें। फिर एक और समस्या खड़ी हो जाएगी कि लोग भैंसों को पालना भी बंद कर देंगें। जो प्लास्टिक के लिफ़ाफों में मिलावटी दूध आता है, उसको हमारे बच्चे पीएंगें प्रदेश के लोग उसका इस्तेमाल करेंगें जिससे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वह इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वह इस योग्य नहीं रहेगी कि काम कर सके। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी, वन मंत्री तथा प्रदेश सरकार से निवेदन रहेगा कि इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे पक्षियों में तोते हैं, कौए हैं----

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी-------

1300/26.08.2015/केएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे पक्षियों के बीच में तोते, कौए, मोर-मोरनी है, गिलहरी व चूहे भी हैं, ऐसे बहुत से पशु-पक्षी हैं जो लगातार नुकसान पहुंचाते हैं और लास्ट में जा कर जब किसान और बागवान अपनी फसल को सब्जी मण्डी में आढ़तियों के पास ले जाता है तो उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट वहां पर बैठा हुआ आढ़ती होता है क्योंकि वह उनका इस प्रकार से शोषण करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा कि हम इन बंदरों को पकड़ करके और दूसरे जो जंगली जानवर हैं, 1978 में जो इनके निर्यात पर पाबन्दी लगी थी, 2011 में जो मारने की पाबन्दी लगी थी, हम इस 1978 और 2011 की पाबन्दी को हटाने के लिए ठोस कदम उठाएं और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नई नीति बनाएं ।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

एक नई नीति बनाएं जिससे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कृषि व बागवानी क्षेत्र जो कम हो रहा है उसको हम बचा सकें क्योंकि प्रदेश में बड़े-बड़े आन्दोलन हो रहे हैं। किसान सभा व दूसरी सभाओं के लोग आज कई प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, बंदरों के बारे में, सूअरों के बारे में आंदोलन कर रहे हैं, मेरा प्रदेश सरकार से विशेष आग्रह रहेगा कि बंदरों व सूअरों के प्रति, दूसरे जंगली जानवरों के प्रति आप गम्भीर हो और आवारा पशुओं को गऊ सदन बनाने के लिए प्रदेश सरकार गम्भीर हो। जो पक्षी खेतों को नुक्सान पहुंचाते हैं, उनके प्रति गम्भीर हो करके कोई एक ऐसी नीति हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाएं ताकि हम सब अपने किसानों के कृषि व बागवानी क्षेत्र को बचा सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

1300/26.08.2015/केएस/एजी/2

अध्यक्षः अब दोपहर के भोजन का समय भी हो गया है तो इस चर्चा को लंच के बाद शुरू करेंगें।

अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

———

26.8.2015/1405/av/as/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.05 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : नियम 130 के अंतर्गत चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यहां बोलने वालों की काफी लम्बी लिस्ट आई है। अगर सभी माननीय सदस्य कम-से-कम समय लेंगे तो ज्यादा मैम्बर बोल सकेंगे और इससे आपका टाइम भी बचेगा। ऐसा है, मेन वक्ता जैसे श्री महेन्द्र सिंह जी बोले हैं और अब श्री रिखी राम कौंडल जी बोलेंगे तो मुख्य-मुख्य प्वाईंट्स उसमें आ जायेंगे। अगर किसी माननीय सदस्य ने अपनी बात रखनी है तो वह कोई अलग छोटी-मोटी बात रख सकता है। मैं किसी को पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा। उसके बाद मैं घण्टी

बजाऊंगा और फिर माइक बंद कर दूंगा। मैं फिर बोलने नहीं दूंगा। एक ही बात बार-बार कहना ठीक नहीं है। मैं किसी को पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा।

अब श्री रिखी राम कौंडल जी बोलेंगे।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में बहुत बड़ी ज्वलन्त समस्या जो हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों में उत्पन्न हुई है, उसके बारे में हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने नियम 130 के तहत चर्चा का शुभारम्भ किया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं।

पहले एक ऐसी स्थिति थी कि यहां राजाओं का शासन हुआ करता था। उसके बाद हमें आज़ादी मिली। स्वतंत्र हुए और हमारा संविधान बना तथा हमें वोट डालने का अधिकार मिला। उस समय से लेकर के आज तक हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी गांव के अंदर थी। अब धीरे-धीरे गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है। जमीन जितनी पहले थी वह घट रही है और आबादी बढ़ रही है। उस समय आमदनी के साधन बड़े कम थे। उस समय जो काश्तकार जमीन

26.8.2015/1405/av/as/2

काश्त करते थे वे अपनी जमीन पर पशु पालकर, भेड़-बकरी पालकर तथा उनका व्यापार करके अपनी आजीविका कमाते थे। जैसे-जैसे समय बदलता गया; मैं यह नहीं कहता कि बंदरों की समस्या और आवारा पशुओं की समस्या आपकी सरकार के समय उत्पन्न हुई। जो पशु खेती-बाड़ी पर निर्भर करते थे; हमने खेती-बाड़ी करना छोड़ दिया और हर ऐजुकेटिड लड़का/लड़की व्हाइट कॉलर की तरफ भागने लगे। उन्होंने खेती-बाड़ी करना बंद कर दिया। आज भी गांव के अंदर कुछ बड़े किसान ऐसे हैं जो खेती-बाड़ी मज़दूरी के माध्यम से करवाते हैं----------

श्री टी सी वर्मा द्वारा जारी

26/1410/08.2015.**टीसी/ए0एस01/**

श्री रिखी राम कौंडल--- जारी

माध्यम से करवाते हैं । आबादी पर नियंत्रण हुआ, पहले आबादी ज्यादा थी। अपनी जमीन का गुजारा उस आमदनी के साधन पर करते थे । इस प्रदेश के अन्दर 90

प्रतिशत खेती-बाड़ी करने वाले किसान हैं। निचले क्षेत्र में हमारी जो फसलें हैं उनमें हम दो फसलों पर निर्भर हैं। कृषि विभाग को आधुनिक तरीके से सब्जियों उत्पादन करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अब विशेषकर पॉलीहाऊस में फूलों को उत्पादन करने के लिए और सब्जियां पैदा करने के लिए लोगों को थोड़ा सा ध्यान गया है। इससे उनकी आमदनी के साधन थोडे बड़े हैं। इस प्रदेश के अन्दर सबसे गम्भीर समस्या बन्दरों की है। दिन को हर गांव में, अगर चार ज़गह उनकी ज़मीन लगती है तो चार ज़गह मच्छान बना करके उनको अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ती है। दिन को तो फसल की हिफ़ाजत करते हैं लेकिन रात को सुअर जिनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, का पहरा देना पड़ता है। यही नहीं साम्भर भी फसल को नुकसान करने वाले जानवर हैं, वह भी फसल को उजाड़ते हैं। माननीय महेन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा कि जब से मनरेगा का कार्यक्रम शुरू हुआ है, हरेक व्यक्ति यह सोचता है कि मैं दिहाड़ी लगाऊँ । फसलों की ओर कम ध्यान दे रहे हैं । यदि आंकड़े देखे जाये तो जो उत्पादन हमारा आज से चार साल पहले था, वह उत्पादन फसलों का इस समय घटा है। जंगली जानवरों के अतिरिक्त जो गम्भीर समस्या इस समय इस प्रदेश के अन्दर खड़ी हुई है, वह आवारा पशुओं की है। जैसे बन्दरों की समस्या इस सारे प्रदेश के अन्दर है, वह झुण्डों में रहते हैं अपना-अपना ग्रुप बनाकर, अपने-अपने एरिये में रहते हैं । इसी तरह से आवारा पशुओं की समस्या हैं । किसान गाय को जब तक वह दूध देती है, तब तक उसको घर में रखते हैं और जब गाय दूध देना बन्द कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं। वे भी अपना एक झुण्ड स्थापित कर लेते हैं। बड़ी अज़ीब बात है , मैं अपने चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देना चाहुँगा, सारे हिमाचल में ही ऐसा होगा । दिन के टाईम में ये आवारा पशु सड़क के किनारे बैठकर फुली रेस्ट करते हैं और इन्होंने अपने आशियाने पुलों पर बनाये हैं । शाम को सूरज छूपने के समय ये निकलते हैं और खेतों में पहुँच जाते हैं । आज

26/1410/08.2015.टीसी/ए0एस02/

किसान बड़ा परेशान है। माननीय अध्यक्ष जी बन्दरों के बारे में बड़ी चर्चा माननीय महेन्द्र सिंह जी ने की । सात स्टेरेलाईजेशन सेंटर इस प्रदेश के अन्दर स्थापित किए गए हैं जिनमें 77380 बन्दरों की नसबन्दी की गई है, और सारे प्रदेश के अन्दर सेन्सिज हुआ। मैंने तो नेट से जो आंकड़े निकाले है, उसमें तो फोरेस्ट विभाग ने रिवाइज्ड माँकी के सेन्सिज़ की एक नोटिफिकेशन निकाली है, जिसमें डेटें तय की है। इन्होंने डेटें तय

की 30 जून, 2015, 01 जुलाई, 2015, 02 जुलाई, 2015 । इन डेटों को जो वहां फोरेस्ट गार्ड है, इन्चार्ज है, उनको यह हिदायत दी कि इसी दिन 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जहां-जहां बन्दर ग्रुप में रहते हैं, उनकी तादाद गिनी जाये और फोरेस्ट विभाग को भेजा जाये। उन्होंने भेजा है या नहीं भेजा है, इसके बारे में ज्यादा -----

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ----

26.08.2015/1415/NS/DC/1------

श्री रिखी राम कौंडल------- क्रमागत

अभी तक शायद भेजा है या नहीं भेजा है, इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता और 2007 की जनगणना के अनुसार जो गौ जातिए पशु है हमारे इस प्रदेश के अंदर इनकी संख्या 22 लाख 69 हजार हैं। 2007 के बाद अगर वन विभाग ने जनगणना की है तो उसको अभी तक अपडेट नहीं किया है। वह इंटरनेट पर नहीं है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि अगर यह जनगणना 2007 की है तो इसके बाद 2015 तक इनकी तादाद घटी है कि बढ़ी है। इससे मालूम हो जाएगा कि प्रदेश में गौ जातिए पशुओं की तादाद कितनी बढ़ी है। इसी तरह से इन्होंने अन्य पशुओं, भेड़, बकरियों की भी जनगणना की है । कृपा करके अगर इसका सर्वे किया है तो इसको अपडेट करें ताकि हिमाचल की जनता को इसके बारे में ज्ञान हो और दूसरी बात माननीय उच्च न्यायालय ने लोगों के अनुरोध पर निर्णय लिया कि हर पंचायत में गौ सदन बनाया जाए और यह भी आदेश दिया उच्च न्यायालय ने कि 31 मार्च से पहले-पहले जो प्रधान गौ सदन को नहीं बनाएगा उनको सस्पैंड कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के आदेशों का क्या पालन हुआ? इसके बारे में माननीय मंत्री जी सपष्ट करें कि पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग विषय है और उसके बाद जब विकास खंडों में गौ सदन बनाने वाली चिट्ठी गई कि इनकी जगह आईडैंटिफाई कीजिए तो जब 3-4 पंचायतों का कलस्टर बनाया गया 10 गौ सदन खोलने के लिए मेरे चुनाव क्षेत्र में कलस्टर बने 3-4 पंचायतों में जहां पर अवारा पशु हैं और यह सब करने के बावजूद यह निर्णय आ गया प्रदेश सरकार का कि सरकारी जगह गौ सदनों को नहीं दी जाएगी। अगर सरकारी जगह गौ सदनों को नहीं दी जाएगी तो यह सदन कहां बनेगें? इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस पर विचार करें। जब तक सरकारी जगह गौ सदन बनाने के लिए नहीं दी जाएगी तो वहां पर गौ सदन निर्मित नहीं होंगे। मेरे चुनाव क्षेत्र में 13 आईडैंटिफाई किए गए उसमें से 2 की स्वीकृति मिली। यह स्वीकृति इसलिए मिली

26.08.2015/1415/NS/DC/2------

क्योंकि किसी किसान ने 2 बीघे जगह अपनी मलकियत दी और एक पंचायत का 10 बीघे का एरिया था उन पंचायत वालों ने अंडरटेकिंग दी कि हम अपनी पंचायत में गौ सदन बनाना चाहते हैं। इस गंभीर समस्या का समाधान कैसे होगा? इस गंभीर समस्या का समाधान अगर करना है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार गंभीरता से इसको ले और जहां- जहां सरकारी भूमि जहां पर पेड़ नहीं हैं , खड्डों का किनारा है, जहां पानी की व्यवस्था है वहां गौ सदन बनाने की योजना सारे प्रदेश के अंदर बनाई जाए ताकि उस जगह को विभाग को ट्रांसफर किया जाए और विभाग को पैसा दिया जाए । सरकार की तरफ से मेरे जो दो गौ सदन स्वीकृत हुए उसको बाबा बालक नाथ शाहतलाई ट्रस्ट की तरफ से पैसा दिया गया । सरकार की तरफ से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, ट्रस्ट को जो पैसा है, यह उस क्षेत्र की डिवैलप्मैंट के लिए होता है चाहे वह बाबा बालक नाथ का ट्रस्ट हो या शाहतलाई का ट्रस्ट हो या श्री नैना देवी मन्दिर का ट्रस्ट हो। यह ट्रस्ट का पैसा श्रद्धालु देते हैं, दान के रूप में देते हैं। उस पैसे से विकास उसी लिमिटिड क्षेत्र में होता है। इसके बारे में भी सरकार ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं । माननीय महेन्द्र सिंह जी ने बड़े विस्तार से इस बारे में चर्चा कर दी है। पशुओं, अवारा पशुओं, जंगली जानवरों , बंदरों से जो गंभीर समस्या इस प्रदेश में हुई है, हर बार सदन के अंदर इस पर चर्चा होती है। पिछली बार भी चर्चा हुई है और एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे लिए ओर खड़ी हो गई है कि जिन बंदरों की स्ट्रलाइजेशन करते हैं, ये मेरा और माननीय महेन्द्र सिंह जी का भी इल्जाम है हमारे ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में बंदर नहीं थे, उन क्षेत्रों में बंदर छोड़े गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने चुनाव क्षेत्र हैं क्या सारे बंदरों को पकड़ कर उन चुनाव क्षेत्रों में छोड़ने का आपने निर्णय लिया है और उन्हीं क्षेत्रों में छोड़े जा रहे हैं?

वन मंत्रीः यह दुरूस्त नहीं है।

26.08.2015/1415/NS/DC/3

श्री रिखी राम कौंडलः बिलकुल यह दुरूस्त है। अध्यक्ष महोदय, स्ट्रलाईजेशन करने के बाद बंदर कौन से ट्रक में भेजे? क्या चैक आपका है? वहां से स्ट्रलाईज करते।

श्री नेगी द्वारा जारी -------

26.08.2015/1420/negi/DC/1

श्री रिखी राम कौंडल ..जारी

क्या चैक आपका है? वहां जो स्टेरिलाइज़ करते हैं और उनको ट्रक में डालते हैं, न उसके साथ कोई व्यक्ति होता है और जहां दिल करता है वहां छोड़ देते हैं। एक सोची-समझी साज़िश के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तंग करने की योजना आपके विभाग ने बनाई है, यह मेरा इस सरकार पर इल्ज़ाम है। इस चीज़ को ध्यान में रखें और ऐसी बात जो आप करने जा रहे हैं यह प्रदेश के हित में नही है और न ही किसानों के हित की बात है।

अध्यक्ष महादय, इस पर बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं और आपने समय का राईडर लगाया हुआ है कि थोड़ा-थोड़ा बोलें। सारी बातों का जिक्र इस प्रस्ताव में माननीय सदस्य, ठाकुर महेन्द्र सिंह ने कर दिया है, मैं उन बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं। मेरा सरकार से एक ही मांग है कि ये जो आपने राईडर लगाया है कि गौ-सदनों को सरकारी जगह नहीं दी जाएगी आप इसपर पुनर्विचार करें।

दूसरा, हाईकोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि जहां-जहां गौ-सदन बनेंगे वहां पानी की व्यवस्था आई.पी.एच. विभाग करेगा। सड़क की व्यवस्था पी.डब्ल्यू. डी. करेगा। मान लो अगर कोई 4 बीघे ज़मीन डोनेट करता है और वहां फोरेस्ट से हो करके जाना पड़ता है तो एफ.सी.ए. क्लीयरेंस लेने में कितना समय लगेगा, अगर आप प्राथमिकता के आधार पर इन चीज़ों का समाधान नहीं करेंगे तो यह समस्या हल नही होगी। हम बार-बार इस सदन में इस विषय को उठाते आए हैं। जब आप इधर (विपक्ष) थे और हम उधर (सत्तापक्ष) थे तो आप भी इस समस्या को बार-बार उठाते थे। हमारे जो वन मंत्री थे उन्होंने स्टेरिलाइजेशन सेन्टर खोले और इनकी अलग-अलग डिटेल मेरे पास है। लेकिन मैं उन फिगर्ज में नहीं जाना चाहता। मेरा एक ही निवेदन है कि इस समस्या को गम्भीता से लिया जाए। आप इस समस्या को निपटाने के लिए गम्भीर नहीं हैं। आप एक बात से गम्भीर हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के चुनाव क्षेत्रों के साथ भेदभाव कैसे किया जाए और इनको कैसे दबाया जाए। सदन में अगर कोई जनहित का मुद्दा उठाना चाहें तो उसकी आवाज

26.08.2015/1420/negi/DC/2

दबा दी जाए। बदले की भावना से, राजनीतिक द्वेष की भावना से यह सरकार काम कर रही है । मेरा यह इल्ज़ाम आप पर है। आप इन समस्याओं का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26.08.2015/1420/negi/DC/3

अध्यक्षः अब इस चर्चा में श्रीमती आशा कुमारी जी भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, महेन्द्र सिंह जी और रिखी राम कौंडल जी ने नियम-130 के तहत सदन में जो प्रस्ताव रखा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । महेन्द्र सिंह जी ने विशेष करके इस चर्चा में बहुत ही विस्तार में आंकड़े रखे, तथ्य रखे और उन तथ्यों के बाद बोलने को है तो बहुत कम। मगर कुछ सुझाव और कुछ चीज़ें जो इनके वक्तव्य में नही आई थी, मैं सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करना चाहूंगी । वैसे मैंने भी इसी विषय पर प्राइवेट मैम्बर रेजोल्यूशन दिया था लेकिन बेलेट में वह नही आया। मैं नियम-130 के तहत हो रही इस चर्चा में हिस्सा ले करके कुछ बातें बोलना चाहूंगी। अक्सर जब हम जंगली जानवरों से नुकसान की बात करते हैं तो हमारी चर्चा अधिकतर बन्दरों तक सीमित रह जाती है। यह ठीक है कि बन्दर बहुत नुकसान करते हैं। हर क्षेत्र में कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा ग्रामीण या शहरी क्षेत्र नहीं है जहां बन्दरों का नुकसान देखने को नहीं मिलता हो। माननीय सदस्य, महेन्द्र सिंह जी और कौंडल जी ने ठीक कहा कि इस कारण लोगों ने खेती करनी छोड़ दी है क्योंकि मक्की लगाओ तो बन्दर तोड़ करके ले जाते हैं । धान लगाओ तो सुअर आ जाते हैं। सुअर तो इतना नुकसान करते हैं जिसका कोई हिसाब नही है। अध्यक्ष महोदय, जिस शैल का जिक्र माननीय महेन्द्र सिंह जी ने किया जिसको अंग्रेजी में Porcupine कहते हैं ,वो तो खेत को सत्यनाश कर देती है। शैल छोटा जानवर होता है इसलिए वह मक्की तक पहुंच नही सकती लेकिन वह नीचे से प्लांट को ही काट देती है और खेत के खेत बिछा देती है। एक रात में एक शैल किसी भी फार्मर का पूरा खेत नष्ट कर देती है।....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1425/26.08.2015यूके/एजी/1

श्रीमती आशा कुमारी--जारी

किसी भी एक फार्मर के जितने खेत लगे होते हैं सब को नष्ट कर देती है और तब नष्ट करती है जब कि फसल लगी होती है, तैयार होने के बिल्कुल कगार पर होती है। पूरा स्टॉक गिरा देती है । यह बहुत ही चालाक जानवार है, पकड़ने में मुश्किल है, मारने पर भी बैन है । अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में खास कर के चम्बा ,कुल्लू और शिमला के भी हिस्से होंगे । जो अपर एरियाज़ हैं उसमे जंगली जानवरों में और ज्यादा नुकसान करने वाला जानवर रीछ भी है, भालू से बहुत ज्यादा नुकसान खेतों को हो सकता है । हम कई बार गांवों में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि मक्की कैसी लगी, तो कहते हैं कि मक्की अच्छी लगी है । इस बार भालू खुश होंगे क्योंकि मक्की की फसल पूरी की पूरी भालू ही बरबाद कर देते हैं । यह ठीक अध्यक्ष महोदय, कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटैक्ट करना भी हमारा ही दायित्व है । मगर हमें वाइल्ड लाइफ सेंसिज़ भी करना चाहिए । हमें यह देखना चाहिए कि जिस इलाके में रीछ हैं, मृग हैं, इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो एरिया उनको केटर ही नहीं कर पाता । जान-माल का खतरा भी, इसमे इन्होंने जिक्र किया है कि शहरों के आसपास यहां तक नौबत आ गयी है, शिमला शहर में भी और विधान सभा में आपके मृग अन्दर आ गया था । यह इसलिए हो रहा है कि जंगल छोटे होते जा रहे हैं, हम इनका सेंसिज़ कर नहीं कर रहे हैं, किस एरिया मे कितने पैंथर्स है ,कितने बियर्स हैं, हम उनको रिलोकेट कर सकते हैं, उनको मारना नहीं है । हमारे ऐसे-ऐसे जंगल हैं जो खाली पड़े हुए हैं और वो सेंचुरी एरिया हैं । चम्बा में भी है, मेरी ही कंस्टिचुएंसी में, मेरे घर के साथ कालाटोप सेंचुरी लगती है, जिसमें वाइल्ड लाइफ की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गयी है और दूसरी तरफ दांगुल सेंचुरी है जहां पर वाइल्ड लाइफ उतनी है नहीं । आयलवडंतर का इलाका जो पहले मेरे चुनाव क्षेत्र में था अब माननीय हंसराज जी के चुनाव क्षेत्र में चला गया है । हम रिलोकेशन क्यों नहीं करते हैं? जब कोई भी एरिया ओवर पॉपुलेटिड वाईल्ड सेंचुरी का हो जायेगा और ठीक कहा महेन्द्र सिंह जी और श्री कौंडल जी ने कि बन्दर भी, मैं महेन्द्र सिंह जी से बिल्कुल सहमत हूं कि बन्दरों की तादाद बिल्कुल नहीं घटी है, मतलब ही कोई नहीं है । स्टरलाइजेशन का असर कहां हुआ है? यह मुझे मालूम नहीं मगर जो बन्दर के झुंड मिलते हैं ,अभी आप कहीं भी चल कर देख लीजिए एक पैक के साथ मे आपको कितने सारे बच्चे

मिलेंगे । अगर वह झुंड स्टरलाइज्ड है तो उसमें 8-8, 10-10 या 20-20 बच्चे कहां से हो रहे हैं ? क्या हमने इस बात को ईयरमार्क किया है कि हमने कौन सा बन्दर स्टरलाईज़ किया है । क्या हम उन पर कोई चिन्ह लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जिससे हमें यह पता लगे कि यह बन्दर हमने स्टरलाइज़ किया था । स्टरलाइज़ होने के बाद उसके बिहेवियर में चेंज आया है ? अध्यक्ष महोदय, स्टरलाईज़ के बाद मंकी के बिहेवियर में इतना चेंज आ जाता है कि वह लोगों को काटने लगता है । खास कर के आप शहरों में देखेंगे जहां स्कूल के पास, डलहौजी में बहुत सारे पब्लिक स्कूल्ज़ और होस्टल्ज़ हैं तो जहां उनका वेस्ट डिस्पोज़ल होता है, अध्यक्ष महोदय, जो भी सदस्य, जिस वक्त भी चाहे, शाम के टाइम आप हमारे साथ वहां चलें, आपको वहां भालू मिल जाएंगे । दिन के टाइम आप चलें तो वहां बन्दर मिल जाएंगे । वे वेस्ट डिस्पोज़ल के लिए वहां जाते हैं । उसके लिए हमारे मैनेजमेंट ठीक नहीं है और जो बन्दर हैं वे स्कूलों के पास रहते हैं और बच्चों को काटते हैं ।

एक और समस्या है, जिसका जिक्र महेन्द्र सिंह जी ने किया स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग की जो मिनेस है, अध्यक्ष महोदय, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा होगा कि कुत्तों के झुंड बच्चों को नोच रहे हैं । एक 5-6 साल का बच्चा था जिसको स्ट्रे डॉग के झुंड ने नोच कर मार दिया । ये बिहेवियर चेंजिज़ जो हो रहे हैं, इसके ऊपर भी गौर करना होगा ।

गौ-सदन की बात की । मुझे मालूम नहीं, माननीय सदस्य रिखी राम कौंडल जी ने कहा कि सरकारी भूमि न देने का फैसला है । माननीय पंचायती राज मंत्री जी इस बात को बताएंगे कि ऐसा तो कोई फैसला नहीं है । कि सरकारी जगह नहीं देंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा मैं बताना चाहूंगा कि गौ-सदन के लिए सरकारी भूमि विभाग के नाम पर ट्रांसफर की जाएगी, आगे उसको लीज़ पर दिया जाएगा ।

श्रीमती आशा कुमारीः माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि विभाग के नाम स्थानांतरित होगी और वह आगे गौ-सदन बनाने के लिए दी जाएगी । इसमें अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है । एस0एल0एस0 द्वारा जारी

26.08.2015/1430/sls-ag-1

श्रीमती आशा कुमारी...जारी

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य श्री रिखी राम कौंडल जी से भिन्न विचार रखती हूं। जो टैंपल ट्रस्ट गौसदन बनाना चाहते हैं उनको यह बनाने के लिए ज़मीन ज़रूर उपलब्ध करवाई जाए। मेरा मंत्री जी से निवेदन है और मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि टैंपल ट्रस्ट को ज़मीन ट्रांसफर करने के बदले लीज पर दे दीजिए ताकि यदि कोई ट्रस्ट गौसदन नहीं चलाएगा तो वह ज़मीन अपने आप रिवर्ट हो जाएगी। अदरवाईज अगर आप किसी संस्था के नाम कर देंगे, तो उस ज़मीन के मिसयूज का भी डर है और हो सकता है कि सरकारी जगह पर कब्जा करने का भी वह एक माध्यम बन जाए। अगर आप किसी भी ट्रस्ट को गौसदन बनाने के लिए ज़मीन लीज पर देते हैं तो यह प्रोसैस आसान हो जाएगा। अगर वह गौसदन नहीं खोलते हैं तो आप लीज क्लॉज में डाल दीजिए कि it will revert to the Government.

अध्यक्ष महोदय, मेरा वन मंत्री जी से निवेदन है कि बंदरों के साथ-साथ फोरैस्ट वाईल्ड लाईफ का भी सैन्सस कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय, एक समस्या नील गाय की भी है। नील गाय को अंग्रेजी में "Blue Bull" कहते हैं। उसका हिंदी में नाम नील गाय पड़ गया। नील गाय कहने की वजह से लोगों में धार्मिक भावना आ जाती है। अध्यक्ष महोदय, बेसिकली नील गाय एक गाय नहीं है, यह एंटीलोप की प्रजाति है। There is a difference between a deer and antelope. यह एंटीलोप है। मगर गाय शब्द आने की वजह से लोगों में इसके बारे में धार्मिक भावना आ जाती है और लोग इसको मारते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, हम, आप और सभी माननीय सदस्य पूरे हिमाचल प्रदेश में अपनी गाड़ियों से आते-जाते हैं। वैसे तो स्ट्रे कैटल होने नहीं चाहिए, मगर ये जहां खेतों में नुकसान करते हैं वहीं रास्तों और हाईवेज के ऊपर भी इनका एक न्युसैंस बन गया है। ये सड़कों पर और नेशनल हाईवेज के ऊपर बैठे होते हैं। गाड़ी स्पीड से चली होती है और इनमें

26.08.2015/1430/sls-ag-2

कई काले रंग के भी होते हैं जो नज़र ही नहीं आते। इसलिए इनके साथ बड़े हादसे होने का भी डर रहता है। नील गाय जो ऊना एरिया में ज्यादा है, यह सड़क में गाड़ियों के ऊपर कूद जाती है या गाड़ी के सामने आ जाती है जिससे दुर्घटना होने का ख़तरा

बना रहता है। इनको रीलोकेट किया जाए। जहां पर खाली वन भूमि है, जानवरों की आबादी नहीं है; आपके पास ऐसी सैंक्चुरीज हैं जो डिमारकेटिड तो हैं लेकिन वहां पर वाईल्ड लाईफ की तादाद कम है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर गांगुल की बात कही। गांगुल में एरिया बहुत ज्यादा है मगर वाईल्ड लाईफ उतनी ज्यादा नहीं है। वहां मुर्गे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे घरों के आसपास जो पहले 5-7 मुर्गे दिखते थे, अब वह 150 के ग्रुप में होते हैं। वह लोगों के खेतों में जाते हैं। जब बिजाई होती है उस समय वह बीज को ही निकाल लेते हैं। यह मुर्गे की फ़ितरत है, आदत है और तरीका भी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे मालूम नहीं। वाईल्ड लाईफ हंटिंग पर पूरी तरह से बैन है, मगर ये बढ़ते जा रहे हैं। यह एक समस्या है। लोगों ने खेतों में मक्की लगानी बंद कर दी है ,धान लगाना बंद कर दिया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जिस नरेगा और पी.डी.एस. की बात माननीय सदस्य महेन्द्र सिंह जी कर रहे थे; जब खेत में ही कुछ पैदा नहीं होगा तो पी.डी.एस. में क्या आएगा। जब तक हम एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सैक्टर को प्रायोरिटी नहीं देंगे और फार्मर को सबसे कीमती असैट नहीं मानेंगे, तब तक इस देश और प्रदेश का भविष्य भी बहुत उज्जवल नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

26.08.2015/1430/sls-ag-3

अध्यक्ष : अब डॉ० राजीव बिन्दल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ० राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका आभार।

श्री महेन्द्र सिंह जी और श्री रिखी राम कौंडल जी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर आए हैं। जो विषय अभी 3 सदस्यों ने रखा है, विषय वही है। सभी को मालूम है कि किस प्रकार से यह जंगली जानवर आज जीवन के ऊपर भारी पड़े हैं, चाहे वह बंदर है, सुअर है, नीलगाय है या अन्य जानवर है। अब सवाल जो भी सदस्य खड़ा कर रहे हैं, वह सरकार के सामने उसका समाधान ढूंढ़ने के लिए ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को समस्या का पता नहीं है।

जारी ..श्री गर्ग जी

डॉ. राजीव बिन्दल-----क्रमागत

ऐसा नहीं है कि सरकार को समस्या का पता नहीं है ,ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय वन मंत्री जी को समस्या का पता नहीं है। लेकिन जैसे अभी आखिरी शब्द मे श्रीमती आशा कुमारी जी ने कहा कि आप अपने किसान को बचाने के लिए कितनी प्राथमिकता तय करते हैं ,यह महत्वपूर्ण है। क्या सरकार के लिए बंदरों को समाप्त करना या कम करना या सुअरों को समाप्त करना या उन्हें कम करना प्राथमिकता में है अथवा नहीं है?

माननीय अध्यक्ष जी, आज आवश्यकता तो इस बात को जानने की है कि बंदर के कारण कितने खेत उजाड़ हुए और उनमें कितनी फसल पैदा की जा सकती थी? माननीय मंत्री जी जो मैं बात कह रहा हूं, यह महत्वपूर्ण है। यानि कितनी फसल हम बंदरों या सुअरों के कारण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इस कैलक्युलेशन को करके क्या हम उतने ही प्रयास इसके समाधान के लिए कर रहे हैं? क्या हमने उतनी प्राथमिकता उसके लिए तय की है? इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। यह केवल क्रिटीसाइज करने की बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, स्ट्रलाइजेशन की बात है ,आज तो फसल बर्बाद होने के साथ-साथ लोगों की जान पर भी बन आई है। जैसा यहां कहा गया कि महिलाएं घास काटने जाती हैं ,तो बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। वे ढांक से नीचे गिर गईं और महिला की मृत्यु हो गई। शहर में कोई छत पर चढ़ा है, बंदर आ गए ,उससे बचने के लिए उसने छलांग लगाई, तो पता चला कि उसकी टांग टूट गई। यह रोजमर्रा की घटनाएं हो गई हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों की क्या स्थिति है उसका वर्णन करने की यहां आवश्यकता नहीं है। जो नुकसान का आकलन है और जो हमारे प्रयास है, जो हमारा इन पुट है ,उसके बारे में हमको विचार करने की जरूरत है। जब आप उत्तर देंगे, तो कहेंगे कि हमने इतने जानवरों को या बंदरों की स्ट्रलाइजेशन कर दी। सवाल श्री महेन्द्र सिंह जी ने, श्री रिखी राम कौंडल जी और मैडम ने खड़े कर दिए कि हमारे हिसाब से लगातार बंदरों के झुण्ड चल रहे हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। क्या सच में स्ट्रलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है ,कहीं यह बहुत बड़ा कोई स्कैंडल तो खड़ा नहीं हो गया? बंदरों कलैक्ट हो रहे हैं ,स्ट्रलाइजेशन हो रही है, वापस जा रहे हैं ,न तो वे कलैक्ट हो रहे हैं, न स्ट्रलाइजेशन हो रही है और न ही वापस जा रहे हैं ,खाता पूरा है,

क्या ऐसा तो नहीं है? इसमें भी सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि उसके कारण जो नुकसान हो रहा है ,वह बहुत खतरनाक है या फिर

26/08/2015/1435/RG/AS/2

हमारे प्रयास हाफ-हर्टेड हैं। क्या हमको 150 ऑपरेशन थियेटर चाहिए ,क्या हमको एक विधान सभा क्षेत्र में एक ऑपरेशन थियेटर चाहिए ,क्या हमने कोई तीन, छः या नौ महीने की समयावधि तय की है कि इतने समय में हम सारे बंदरों को स्ट्रलाईज कर देंगे? हमारे सामने स्थिति तो निकलकर आए कि क्या हम 10 या 20 ऑपरेशन थियेटर चलाकर इतनी बड़ी मात्रा में तीन या चार लाख बंदरों की स्ट्रलाईजेशन कर पाएंगे? यह बात निर्धारित करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी श्री महेन्द्र सिंह जी ने जब अपनी बात शुरू की तब यही कहा कि चर्चा तो अनेक बार हो गई और अनेक बार उत्तर भी आ गए। बाहर विधायकगण खड़े थे, कह रहे थे कि अब पता नहीं चर्चा में भाग लेने का कोई फायदा है या नहीं। क्योंकि चर्चा होगी, उत्तर आएगा ,फिर उसमें होगा कुछ नहीं। यानि इस विषय के प्रति गंभीरता निरंतर कम हो रही है। यह आज सवाल खड़ा हो रहा है। यही एक सवाल है। सारे सवालों में समस्या क्या है, आपको पता है। अभी पिछले दिनों ब्राग के आतंक ने जितना परेशान किया ,वन विभाग का कोई अधिकारी नहीं बचा जिससे हमने संपर्क न किया हो। कुछ गांव ऐसे हैं जहां शाम को छः बजे ब्राग ने आकर गांव के मुहल्ले में बैठ जाना और तीन घण्टे तक उसने बैठे रहने और ऐसा माहौल हो गया जैसे सारे गांव में कर्फ्यू लगा हो। बार-बार कहते रहे, कुछ नहीं हुआ। उस क्षेत्र में ब्रागों की संख्या इतनी हो गई कि वे आ रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं और जब उनको कोई बकरी या गाय खाने को मिलेगी, तब वे पकड़कर ले जाएंगे। तो वे उनका वहां इन्तजार कर रहे हैं।

वन मंत्री : माननीय सदस्य, इनकी आबादी को कम कैसे किया जाए, इस पर सुझाव दें।

एम.एस. द्वारा डॉ. राजीव बिन्दल शुरू

26/08/2015/1440/MS/AG/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----------

अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे बाघ के विषय पर बहुत चर्चा करने वाला नहीं हूं। अगर हम एक ही समस्या का समाधान कर लें तो बेहतर होगा। अनेक समस्याओं का समाधान शायद

आपके पास आज की तारीख में नहीं होगा। अगर अकेले बंदर का समाधान कर दें तो ठीक रहेगा। कल को तो जंगली मुर्गे भी आ जाएंगे और भी बहुत कुछ आ जाएगा। यदि हम एक समस्या का पिन प्वाइंट करके समाधान कर लें तो हम समझेंगे कि हमने प्रदेश-हित में कुछ किया है। मैं एक बात मुख्य मंत्री जी और वन मंत्री जी को और कहना चाहूंगा। अगर आपने अपने जीवन में अपने नाम कुछ लिखवाना है कि मैंने प्रदेश के लिए कुछ बेहतर किया है तो अगर आप बंदरों के संबंध में कोई बेहतरीन फैसला करके निर्णायक मोड़ के ऊपर उसको ले आएंगे तो आपको जीवनभर खुशी रहेगी कि मैंने हिमाचल के हित के लिए कुछ किया है, अन्यथा आप दस बार भी मंत्रालय ले लेंगे, उसके बाद भी आपको रात को एक ही ख्याल आएगा कि मैं इस समाज के लिए कुछ योगदान नहीं दे सका। समाज ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है इसलिए कुछ करके दिखाएं। मैंने आपको जागृत करने के लिए केवल पांच मिनट का समय अध्यक्ष जी से मांगा था। अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया है, मैं आपका धन्यवादी हूं। गम्भीरता आपको पता है, समाधान आपको पता है। केवल और केवल आपकी इच्छा शक्ति और राजनैतिक इच्छा शक्ति यदि आप मन में धारण करें कि मैं कुछ योगदान करना चाहता हूं तभी आप कर पाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

26/08/2015/1440/MS/AG/2

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री जगत सिंह नेगी जोकि हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, भाग लेंगे।

उपाध्यक्ष (श्री जगत सिंह नेगी): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नियम 130 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्व का विषय माननीय विधायक श्री महेन्द्र सिंह जी तथा श्री रिखी राम कौंडल जी ने सदन में लाया है। प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या में वृद्धि के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है ,यह उसके बारे में है। इसमें महेन्द्र सिंह जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना तर्क पेश किया, उसके लिए मैं इनकी बड़ी प्रशंसा करता हूं। परन्तु मेरा इनसे एक गिला है कि जब-जब आप सरकार में रहे, उस समय आपने इस विषय को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। आपको कई बार मौके मिले और बढ़िया मौके मिले, उसमें आपको इसका समाधान करना चाहिए था। जो मुझसे पूर्ववक्ताओं ने यहां बातें रखीं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वर्ष 1995 में पहली बार मुझे इस सदन में आने का मौका मिला। तब से लगातार कोई भी सत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें यह मुद्दा सदन

में न रखा गया हो और ज्यादातर इस विषय को महेन्द्र सिंह जी ही लाते हैं। इन्होंने यहां इस विषय को बड़े अच्छे तरीके से रखा है परन्तु इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। अब इसका जो भी समाधान होना है, उसमें पक्ष और विपक्ष धार्मिक भावनाओं को लेकर देख रहे हैं कि पहले कौन बिल्ली के गले में घण्टी बांधे। इसका समाधान केवल-मात्र एक है कि जो भी जानवर चाहे बंदर है, सुअर है या नील गाय है। जो भी पशु आवारा हो जाता है या उनकी तादाद बढ़ जाती है तो दुनिया के विकसित देशों में उसका एक ही तरीका है कि उसको वे कलिंग करते हैं। उसकी पॉपुलेशन को एक निर्धारित सीमा के बाद खत्म करना पड़ता है। जब तक हम यह नहीं करेंगे, जितनी मर्जी हम यहां बैठकर तर्क-वितर्क पेश करते रहें, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। आज गांव के अंदर गरीबों की हालत दिन-प्रतिदिन बुरी होती जा रही है क्योंकि वे खेती करना चाहते हैं लेकिन खेती करने का जानवर उन्हें मौका नहीं देते हैं। माननीय वन मंत्री जी यहां बैठे हैं। मेरा विशेष कहना है कि आपने किन्नौर के बारे में दे रखा है कि वहां केवल 200 बंदर है। 200 बंदर तो मेरे घर के सामने के जंगल में होंगे। किन्नौर में कम-से-कम 20,000 बंदर

26/08/2015/1440/MS/AG/3

जन-जातीय इलाके में, जहां जंगल भी नहीं हैं तो बिना जंगल के भी बंदर वहां आए हैं। अब यह कहना कि बंदर जंगलों में ही रहते हैं, गलत है। बंदर तो किसी भी जगह पर आ जाते हैं। पूह जैसा इलाका जहां जंगल नहीं है ,वहां शिमला की तरह लोगों के घरों के अंदर बंदर पहुंचे हैं। पिछली बार विधान सभा में किसी माननीय सदस्य का एक प्रश्न लगा था कि कितने बंदरों की जिलावार नसबन्दी हुई। उसमें किन्नौर का भी नाम दिया हुआ था। जब मैंने वहां जाकर फॉरैस्ट डिपार्टमैंट में पता किया तो एक भी बंदर किन्नौर से नसबन्दी के लिए नहीं गया था। परन्तु फिर भी उत्तर में दिखाया गया कि कई बंदरों की किन्नौर में नसबन्दी हुई। तो यह मामला जैसे मुझसे पूर्ववक्ताओं ने भी यहां पर रखा क्योंकि वर्ष 2007 से नसबन्दी का अभियान चला हुआ है और इसमें करोड़ों रुपये खर्च हो गए हैं। यह मामला एक स्कैंडल की तरफ जा रहा है। क्योंकि मैं लिस्ट में देख रहा था कि बंदर पकड़ने वाले,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

26.08.2015/1445/जेएस/डीसी/1

उपाध्यक्षः-------जारी------

मैं देख रहा था कि बंदर पकड़ने वाले ज्यादातर यू.पी. के लोग हैं। 50-50 लाख रूपया एक-एक यू.पी. के आदमी को बंदर पकड़ने के लिए दे रखा है। इसके बजाय यह है कि सेक्शन-11 वाईल्ड लाईफ प्रोटैक्शन एक्ट 1972, जिसके तहत धूमल साहब की सरकार के समय गवर्नमैंट ने भी खुद यह किया था कि कोई अगर परमिट लेना चाहे तो उसको परमिट लेने की व्यवस्था हो पर आप जानते हैं कि सभी किसानों के पास बन्दूकें नहीं हैं। सभी किसान बन्दूकों से बन्दरों को नहीं मार सकते। फिर एक एन.जी.ओ. हाई कोर्ट में चला गया। वर्ष 2011 से हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। उसके बाद आज तक उस स्टे के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। अगर स्टे लगा था तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था या उसका रीविज़न करते और कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह कुछ भी नहीं हुआ। अब वाईल्ड लाईफ प्रोटैक्शन एक्ट के तहत वाईल्ड लाईफ एडवाईज़री बोर्ड बनाने का प्रावधान है। बोर्ड को सरकार की तरफ से कोई भी काम दिया जा सकता है। इसमें आज सबसे बड़ी जरूरत विधेयक लाने की है। आवारा पशुओं को एक निर्धारित सीमा तक समाप्त करने के लिए एक विधेयक आए और मैं समझता हूं कि विपक्ष के लोग भी ,हम सब मिलकर उस प्रस्ताव को पारित करेंगे और so called एन.जी.ओ. जो जानवरों के बड़े संरक्षक बनते हैं, उनके लिए भी एक चुनौती होगा। कानून बनने के बाद कोई रोक नहीं पाएगा। आपने दो इको बटालियन फोर्स डिपार्टमैंट में रखी हुई है, जिनके ऊपर करोड़ों रूपया खर्च हो रहा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आपकी अपनी दो बटालियन है। जिसमें सक्षम लोग है। पूरी गुरिल्ला कार्रवाई जानते हैं। उनको बन्दरों को मारने का ठेका दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश में 5 प्रतिशत बन्दर रखिये। हिमाचल में 4 लाख के करीब बन्दर है, आप कह रहे हैं कि सवा दो लाख के करीब हैं लेकिन मैं 4 लाख कह रहा हूं क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा ही 200 का है, तो इस तरह से तो सारे स्टेट का आंकड़ा ही गलत होगा। आप 5 प्रतिशत तक बन्दर रखिये। आप सेंक्चुअरी में ले जाने की बात करते हैं। बन्दर क्या मान जाएंगे सेंक्चुअरी में जाने के

26.08.2015/1445/जेएस/डीसी/2

लिए? वे सेंक्चुंअरी में रहने वाले नहीं हैं। जंगलों में 12 महीने फसल नहीं होती है। बन्दर कहां जाएंगे जब 12 महीने फसल नहीं होगी? कहीं न कहीं जहां नजदीक में फसल

होगी, वहां पर बन्दर माईग्रेट करेंगे। बन्दर है, चाहे ऐसी गाय है इन सबको कल्लिंग करना पड़ेगा। धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ कर अगर हमें गरीब लोगों की मदद करनी है और उनकी फसलों को बचाना है तो हमें धार्मिक भावनाओं से पीछे हटना पड़ेगा। रामयण के अन्दर भी जब आवश्यकता पड़ी भगवान राम ने बाली का वध किया। हमें भी इनका वधन करना पड़ेगा। यही मेरे सुझाव थे । माननीय मंत्री महोदय इसका कोई समाधान कीजिए। आप धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ कर कुछ कीजिए तभी जा करके इसका समाधान हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी सत्र में माननीय मंत्री जी विधेयक लाएंगे जिसके तहत कानून बनें और कुछ परसेंटेज तक जितने भी आवारा पशु हैं उनका सफाया करना पड़ेगा। कुत्तों के लिए भी हाई कोर्ट से स्टे लगा है। गायों के लिए हाई कोर्ट ने कह दिया कि गऊ सदन बना लो। बजट कहां है, पैसा कहां है? गायों को इकट्ठा कर देंगे उनको फिर भूखा मारेंगे जिससे गन्दगी फैलेगी। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 70-80 करोड़ रूपया उनकी खुराक के लिए उनके चारे के लिए चाहिए फिर एक और स्कैंडल लालू वाला, चारा खाने वाला तैयार हो जाएगा। इससे बेहतर है इसकी कल्लिंग कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26.08.2015/1445/जेएस/डीसी/3

अध्यक्ष अब श्री सुरेश भारद्वाज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय महेन्द्र सिंह जी ने और माननीय श्री रिखी राम कौंडल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस सदन में नियम-130 के अन्तर्गत लाई है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला में बन्दर जब से यह बना है शायद तब से ही हैं। लेकिन जब शिमला बना था, उसके बाद अनेकों वर्षों तक यह शिमला शहर बढ़ता रहा है। यहां पर देवदार के पेड़ लगे होते थे, बान के पेड़ होते थे। जाखू जैसे एरिया में वन थे। कोठियां होली लॉज से नीचे-नीचे होती थी ऊपर नहीं हुआ करती थी , वहां पर बंदर रहा करते थे लेकिन अब वहां पर कंकरीट के जंगल बन रहे हैं। देवदार खत्म हो रहा है। 150 साल से ऊपर उनकी आयु हो गई है। 1951 से ले कर आज तक वन महोत्सव मनाए जाते हैं। लाखों पेड़ उसमें लगाए गए लेकिन पेड़ लगे नहीं और अब तो माननीय मंत्री जी ने वन महोत्सव भी खत्म कर दिए हैं।

श्रीमती केएस द्वारा जारी---

1450/26.08.2015/केएस/डीसी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----
लाखों पेड़ उसमें लगाए गए लेकिन पेड़ नहीं लगे और अब तो माननीय मंत्री जी ने वन महोत्सव भी खत्म कर दिए हैं। इक्का-दुक्का रिचुअल के लिए हो जाता है बाकी तो अगर किसी एन.जी.ओ. ने भी अगर पेड़ लगाने का काम करना है तो वन विभाग पैसा दे करके पेड़ देता है वरन् पेड़ की नर्सरी नहीं देता। अब जब ये पेड़ ही नहीं लगाना चाहते तो जो पशु हैं वे तो आबादी में ही जाएंगें।

अध्यक्ष महोदय, अगर पेड़ कटते रहेंगें तो आवारा पशु, बन्दर या नील गाय आदि जानवर शहरी एरिया में ही आएंगें और यहां आकर ब्रैड, बन्द या चने ही खाते रहेंगें। आज इस बात की आवश्यकता है कि हमको पहले तो पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि जहां पर जानवरों की नैचुरल हैबिटेशन्ज़ थी, वहां पर हमने बसना शुरू कर दिया, मकान व आवाज करने वाली फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी तो वह पशु कहां रहेंगें? शहरों व गांव की ओर ही आएंगें। जंगल कट रहे हैं, मार्किंग 400 पेड़ों की होती है और 1800 कट जाते हैं और उस पर कुछ नहीं होता। जब पेड़ कट जाएंगें तो वहां से जंगली जानवर भी भाग जाएंगें, वे कहां पर रहेंगें? जिनको पेड़ों का काम दिया है वे न पेड़ों का संरक्षण कर रहे हैं न जंगली जानवरों का संरक्षण कर रहे हैं। इसके लिए जो बहुत बार यहां पर कहा जाता है कि नसबन्दी करके बंदरों को कम किया जाएगा, आज नसबन्दी केन्द्र भी लगभग पंगु हो गए हैं । यहां पर फीगर्ज़ दिए गए हैं कि वर्ष 2013-14 में टोटल 77 हजार नसबन्दी की हैं लेकिन मैं माननीय वन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि टूटीकण्डी का जो आपका नसबन्दी केन्द्र है वहां पर कितने एम्प्लाईज़ हैं ,जो वहां पर आजकल नसबन्दी का कार्य करते हैं? कितने बंदर पकड़ कर वहां पर वे ले गए जिनकी नसबन्दी की है? आज वहां नसबन्दी केन्द्र बन्द पड़ा हुआ है और ये फीगर्ज़ भी गलत दिए जा रहे हैं। कोई नसबन्दी नहीं हो रही है। नसबन्दी होती है, उसका आंकड़ा लेते हैं, सैंसस ठीक होती है या नहीं होती है यह अलग बात है लेकिन नसबन्दी के लिए जो आपने केन्द्र खोल रखे हैं, पैसा खर्च

1450/26.08.2015/केएस/डीसी/2

कर रहे हैं,वहां पर नसबन्दी केन्द्र ही नहीं चल रहे हैं, नसबन्दी हो ही नहीं रही है तो इसके फीगर्ज़ कैसे ठीक हो सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, शिमला में यह हालत हो गई है कि यहां पर बच्चे स्कूल को अकेले नहीं जा सकते। यहां तक कि उनकी मां भी नहीं जा सकती क्योंकि अक्सर देखा गया है कि महिला को बंदर ज्यादा खाने को पड़ते हैं। आज माल रोड़ पर जहां पर नगर निगम का दफ्तर है, उसके बाहर, गेयटी थियेटर के बाहर, स्कैंडल प्वाईंट के आस-पास आपको आवारा कुत्तों के पूरे के पूरे झुंड देखने को मिल जाएंगें। अध्यक्ष जी, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी विधान सभा के गेट के बाहर बहुत बुरी हालत है। जो यहां पर विधायक रहते हैं उनके बच्चों को बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। सदन के दौरान तो बहुत सी सिक्योरिटी और लोग होते हैं लेकिन आगे-पीछे यहां पर इतने बड़े-बड़े बंदर हैं कि आपको बाहर चलना मुश्किल हो जाता है। बंदरों के बारे में हम हमेशा सदन के अंदर भी और बाहर भी चर्चा करते हैं लेकिन इसके लिए प्रॉपर ऐक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मैं जगत सिंह नेगी जी से बिल्कुल सहमत हूं कि यह जो नसबन्दी का हमने टैम्परेरी काम शुरू किया था, इसको भी आपने बन्द कर दिया है और जब से वर्तमान वन मंत्री बने हैं तब से तो यह काम बिल्कुल ही बन्द पड़ा है क्योंकि इनको तो जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है तो ये आवारा पशुओं को कहां रोक पाएंगें?

अध्यक्ष महोदय, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और कानून जो माननीय जगत सिंह नेगी जी ने भी कहा, उसको लाया जाना चाहिए। फोरैस्ट एडवाईज़री बोर्ड प्रदेश में बनना चाहिए और जो केन्द्र में वाईल्ड लाईफ बोर्ड बना हुआ है उसकी मीटिंग सीक करनी चाहिए। वहां पर यह सारा वर्णन करना चाहिए क्योंकि आजकल तो बहुत सारे एन.जी.ओज़ जो इसी के नाम पर चलते हैं, वे हाई कोर्ट में पी.आई.एल. कर देंगें, आज हर चीज़ में पी.आई.एल. हो जाती है और इसके नाम पर सदन में भी चर्चा करने से मना कर दिया जाता है कि यह मैटर तो

1450/26.08.2015/केएस/डीसी/3

सब ज्यूडिस है इसलिए इस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। जानबूझकर, जो विषय उठना चाहिए, उस विषय को नहीं लाया जा सके---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.8.2015/1455/av/ag/1

श्री सुरेश भारद्वाज ------जारी

उस विषय को न उठाया जा सके इसलिए आज बहुत सारे लोग पी.आई.एल. के नाम पर पी.आई.एल. कर रह हैं। उस पर हाई कोर्ट का नोटिस हो जाता है। सरकार ने डॉक्टर्ज की हड़ताल खत्म भी कर दी और उस पर सदन में चर्चा भी हुई मगर हाई कोर्ट से उस पर एक नोटिस आ गया। इन विषयों की ओर ध्यान देना होगा क्योंकि केवलमात्र पी.आई.एल. से ही इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अल्टिमेटली उस ऑर्डर की इम्पलीमैंटेशन तो सरकार ने ही करनी है। इसलिए जिन ऑफिसर्ज ने वह इम्पलीमैंट करना है उन ऑफिसर्ज / सरकार को हाई कोर्ट के ऑर्डर देखे बिना कोई निर्णय लेना चाहए, कोई कदम उठाने चाहिए। एम.सी.शिमला को हाई कोर्ट का डॉग हट बनाने के लिए ऑर्डर हो गया है। टुटीकण्डी में डॉग हट बनाई गई और उस पर 45-46 लाख रुपये खर्च हुए। वहां पर कुत्तों को रखा भी गया मगर बाद में उनको वहां खाने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास तो कुछ नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास तो फण्ड नहीं है। अब तो माननीय मंत्री श्री सुधीर शर्मा जी आंकड़े गलत बनाकर स्मार्ट सिटी को शिमला से धर्मशाला ले जाना चाहते हैं। फिर यहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कुत्तों को खिलाने के लिए पैसा कहां से आयेगा? अब वह डॉग हट भी बंद हो गई है और सारे कुत्ते शहर में घूमते हैं। यहां पर आप सभी लोग इस बात को देखते हैं। इन विषयों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका कल्लिंग ही एक आसान तरीका है। यहां तो जो वर्मिन हो जाते हैं उनको भी डिक्लेयर करके नहीं मार रहे हैं। इनकी स्टरलाईजेशन होती है या नहीं होती है। बाद में सैनसिस होती है या नहीं होती है; क्योंकि आजकल पता नहीं स्टरलाईजेशन कहां होती है? पता नहीं भरमौरी जी कहां करवाते हैं क्योंकि एक बंदर की पीठ और पेट; दोनों तरफ बच्चे होते हैं। अब पता नहीं स्टरलाईजेशन पांगी-भरमौर में हो रही है, कहां हो रही है? यह समस्या बहुत गम्भीर है। जैसे यहां पर माननीय आशा कुमारी जी ने कहा कि आपको सोलंग नाला तक हर सड़क पर पशु मिल जायेंगे। वहां पर भी मैदान में बहुत सारे पशु

26.8.2015/1455/av/ag/2

खड़े रहते हैं। पूरे प्रदेश में आवारा पशु हो गये हैं। इसके लिए हाई कोर्ट ने कहा है कि सारी पंचायतों में गो-सदन बना दिए जाएं। यह बहुत अच्छा विचार है। हमारा माननीय

मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इसके लिए बजट ईयर-मार्क करके कि साल में कितने गो-सदन बनने चाहिए, उनको बनाया जाए। हमारे जो बड़े-बड़े मंदिर हैं उनमें करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है। उसके साथ अटैच करके गो-सदन बनाये जाने चाहिए और पशुओं की ऐन्युमरेशन होनी चाहिए। गाय-बैल की जब तक आवश्यकता होती है तब तक तो उसका इस्तेमाल होता है और आवश्यकता खत्म होने पर उसको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। कल को तो यही स्थिति आदमी की भी हो जायेगी। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जायेगा और किसी काम का नहीं रहेगा तो उसको भी बाहर फेंक दिया जायेगा जैसा विदेशों में होता है। वहां बूढ़े ओल्ड एज होम में जाते हैं। ऐसी स्थिति यहां पर भी आयेगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस विधेयक को पास करें। कल्लिंग की व्यवस्था करें। माननीय धूमल जी के समय में जो परमिट्स जारी किए गए थे उनकी ओर भी ध्यान दें। अगर हाई कोर्ट से कोई स्टे लगे हैं तो उसके लिए सरकारी वकीलों की वहां पर बहुत बड़ी फौज खड़ी होती है। उस फौज को कहें कि उस स्टे को वहां पर वेकेट करवाएं। हाई कोर्ट को बताएं कि क्या जरुरत है क्योंकि हाई कोर्ट में निर्णय देने वाले लोग भी उन्हीं गांव, जंगलों, शहरों और सड़कों पर घूमते हैं। उनको भी इसके बारे में जानकारी होगी। इसलिए इस विषय पर ध्यान दें। मेरा इतना ही निवेदन है कि शिमला शहर में बंदरों और आवारा कुत्तों की जो गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है उसके कारण सारा प्रदेश चिन्तित है। यहां पर कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता। शिमला में ही मालरोड पर आवारा कुत्तों ने कितनी ही महिलाओं और बच्चों को काट दिया है। आवारा कुत्ता जिसको काटता है तो उसका इंजैक्शन भी 15000 रुपये से कम में नहीं मिलता है। किसी गरीब आदमी के लिए उसकी व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार इसके लिए सीरियस एफ्ट्र्स करें। आप सारे समाज और सदन को साथ लेकर चलें। हम

26.8.2015/1455/av/ag/3

आपका पूरा साथ देंगे अगर आप इस तरफ प्रोपर ध्यान देंगे और प्रदेश का भला करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

श्री प्रेम कुमार धूमल जी श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

26/1500/08.2015.टीसी/ए0जी01/

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे पूर्व वक्कताओं ने कहा, हर सत्र में इस समस्या पर चर्चा करना एक रिचुव्ल बन गया है। चाहे हम सत्ता में हों या आप सत्ता में हों। एक बना बनाया उत्तर सरकार की ओर से मिल जाता है, चाहे सरकार हमारी हों या आपकी हों। समस्या कितनी गम्भीर हो चुकी है । जिन लोगों को दायित्व दिया गया है, इस समस्या के हल करने का, वह कितने लापरवाह हो चुकें हैं, यदि कोई भी चुना हुआ व्यक्ति फिल्ड में जाता है तो उसका अनुमान लग जाता है। किसी गांव में चले जाईये, पहला प्रश्न लोग यह करते हैं कि इन बन्दरों से और आवारा पशुओं से कब छुटकारा दिलाओगे। हम अभी तक इतिश्री करते हैं, अपने कर्त्तव्य की, यह कह कर कि हमने सदन में मामला उठा दिया। सरकार नसबन्दी कर रही है। गौशालाएं बना रही है। गऊ सदन बन रहे हैं। मुझे लगता है ये समाधान नहीं है। जब से 1978 से बन्दरों के इक्सपॉट पर प्रतिबन्ध लगा है जो रिसर्च के लिए एक्सपोर्ट किए जाते थे,तब से और जैसे सुरेश भारद्वाज जी ने भी कहा कि जब हमने उनके आवास को उजाड़ना शुरू कर दिया तो वह हमारे आवास को उजाड़ने आ गये । प्राईवेट पार्क पहले इसका एक समाधान समझा गया था। हमने तारा देवी के पास एक बनाया भी था। जिनमें तीन बार उनको खाने को भी देते थे, पानी का भी एक छोटा सा तलाब बना दिया था । लेकिन जितनों को वहां छोड़ा, वह भी उतर कर शोघी के बाजार में आ जाते थे। कानून बना है कि धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर बन्दरों को खाने का सामान न डालें । मंत्री जी उत्तर देंगे ज़रा आज एक फिगर दिजिएगा इस हाऊस में। आज तक कितने लोगों को आपने जुर्माना किया जिन्होंने बन्दरों को फीड किया है? कुलदीप जी के चुनाव क्षेत्र का बहुत बड़ा मन्दिर हैं, वहां श्रद्धालू आते हैं । जहां से पंजाब की सीमा शुरू होती है, वहां से ब्रैड लेकर बन्दरों को डालते हुए आते जाते हैं । आप कह रहे हैं कि हम ऐसे फलदार पौधे लगा रहे हैं जहां बन्दरों को खाने को मिल जाएगा। जब उनको ब्रैड और चने खाने को मिल रहे हैं ,तो फिर वह जंगल में क्यों जाएंगे। वे सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं । हर गाड़ी की ओर लपक्ते हैं कि अब कुछ डालेंगे । कानून तो हम बना रहे हैं। बोर्ड भी लगा रहे हैं।

26/1500/08.2015.टीसी/ए0जी02/

कृपया बन्दरों को कुछ मत डालिए । ये कानूनी अपराध है। लेकिन क्या किसी एक व्यक्ति को आज तक सज़ा हुई है? किसी को दोषी ठहराया गया? जहां तक मेरी

जानकारी है, मंत्री महोदय, बन्दर को खुँखार जानवर डिक्लेयर करने के लिए, वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए भारत सरकार ने आपको कहा है। आप क्षेत्र आईडैंटिफाई कर रहे हैं । हमें कृपया वह क्षेत्र आईडैंटिफाई करके बताईये जहां बन्दरों की प्रोब्लम नहीं है । 68 विधान सभा क्षेत्र के सभी विधायक यहां बैठें हैं । सबको पता है समस्या है। हाई कोर्ट का भी जो स्टे है उसको भी ----

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ----

26.08.2015/1505/NS/DC/1------

श्री प्रेम कुमार धूमल ------ क्रमागत।

हाईकोर्ट का जो स्टे है उसको भी एक्सप्लेन किया है कि जो खूंखार जानवर जो किसान के जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं उनको मारने के लिए हमारी स्टे का कोई असर नहीं होता। श्री जगत सिंह नेगी जी ने 2011 के स्टे के लिए ठीक कहा। आज के हालात में अगर कॉमन मैन जो अखबार नहीं पड़ता , समाचार नहीं सुनता वो भी इन समस्याओं से दो-चार हो रहा है। उसको पता है बंदरो और अवारा पशुओं की समस्या है तो फिर क्या हमारे माननीय हाईकोर्ट के जितने भी माननीय न्यायधीश हैं उनको भी इस समस्या का पता है। क्या हमने सरकार की तरफ से सीरियस ऐफर्ट किया ? श्री सुरेश भारद्वाज जी ने कहा कि इतनी बड़ी फौज आपके वकीलों की है। उनके जिम्मे लगाएं इस स्टे को वकेट कराएं। मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा बंदर आपको मारने नहीं पड़ेंगे। बंदर को पता लग जाता है कि फायर हो रहा है एक बंदर मरेगा तो बाकी सब भाग जाएंगे और कोई आबादी के बीच नहीं आएगा। हमने स्ट्रलाईजेशन पर बहुत जोर दिया। जब हम सत्ता में आए तो केवल एक स्ट्रलाईजेशन केंद्र था, टूटीकंडी में। जैसा कि श्री सुरेश भारद्वाज जी ने कहा कि वह अब बंद पड़ा है। हमने 4-5 और खोले। आप कुछ और खोल रहे हैं, कुछ में काम चला है, कुछ में चलने वाला है। मुझे लगता है कि सदन का प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि यह स्कीम फेल हो चुकी है। अगर लाखों का स्ट्रलाईजेशन हमने कर दिया है, चाहे वह हमारी सरकार के समय में हुआ, चाहे वह आपके समय में हुआ तो बंदरों की फौज़ बढ़ क्यों रही है? स्ट्रलाईजेशन अगर हो रही हो तो बड़े-बड़े, बूढ़े बंदर होने चाहिए। कतार में बड़े छोटे-छोटे बंदर,10-15 बंदर इक्टठे चले हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि यह कहीं न कहीं असफल हो रहा है। मैं मुख्य मंत्री और वन मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे अपने चुनाव क्षेत्र हमीरपुर में, हमारे समय में ही नसबंदी केंद्र खोला गया। चारों तरफ के गांव

की फसल उज़ड़ रही है। महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल पाती। खेतों में जा नहीं सकती। बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत हो गई

26.08.2015/1505/NS/DC/2------

है। हमारे जिन गांव , क्षेत्रों , शहरों में बंदर नहीं थे वहां भी बंदर हो गए हैं। मैंने स्वयं डी.एफ.ओ. वाईल्ड लाइफ, हमीरपुर को फोन किया और क्यों बड़े-बड़े बिल बना रहे हैं । किस तरह का भ्रष्टाचार है, एक तरफ तो बंदर पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमारी पेमैंट नहीं हो रही है। लाखों रूपये देय हैं, कितनी पेमैंट ड्यू है । विभाग ज़रा बताएगा तो अच्छा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अब कितना खर्चा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर किया गया है? जिन बंदरों की स्ट्रलाईजेशन हुई और निर्देश तो यह होते हैं कि जहां से पकड़ कर लाए वहां छोड़ो। वह अधिकारी कौन है जो ट्रक में बैठकर जाता है और चैक करता है। सांयकाल का समय होता है , ट्रक भरते हैं और आबादी के पास छोड़ कर चले जाते हैं। मैने डी.एफ.ओ. साहिब को दो बार फोन किया तो वह कहते हैं सर, मैं कुछ करता हूं। मैनें उनसे कहा कि हमारे प्राईमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में दिक्क्त हो रही है। आपने बंदर बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिए। 200 बंदर एक ही पेड़ के नीचे लटका हुआ मिलता है। लोग सब्जी खरीद रहे हैं वह हाथ से छीन कर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सर, मैं उनको वहां से कल ही गाड़ी भेजकर उठवाता हूं। वहां पर न ही तो कोई गाड़ी आई और न ही डी.एफ.ओ. साहिब का कोई फोन आया। आपके डी.एफ.ओ. चुने हुए प्रतिनिधियों को भी इग्नोर कर सकते हैं। हम लोगों की समसयाओं के लिए बोल रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है जैसे मैने कहा कि आप भी औपचारिकता निभा रहे हैं कि जो उत्तर आपको दे देंगे उसको आप पढ़ देंगे कि नसबन्दी कर दी। कृप्या इन बातों से ऊपर उठें। आओ सब मिलकर प्रदेश की जनता की समस्या को समझें। मैं श्रीमति आशा कुमारी से सहमत हूं कि किसान ने किसानी छोड़ दी। अब तो छोड़ रहे हैं कि पी.डी.एस. में मिल जाएगा क्यों खेती-बाड़ी करनी, कौन देखभाल करेगा खेती की। अगर सारे किसान इस तरह छोड़ कर जाएंगे तो पी.डी.एस. की सप्लाई के लिए राशन कहां से आएगा। यह समस्या राष्ट्र स्तर की हो रही है। अन्य प्रदेशों में ।

श्री नेगी द्वारा जारी ---

26.08.2015/1510/negi/as/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ... जारी...

अन्य प्रदेशों में भी जाओ वहां भी यह हो रहा है। हर चीज़ में लोग उठाते हैं। हाईकोर्ट में कोई पी.आई.एल. करता है जैसे कहा गया, डायरेक्शन सरकार को आ जाती है कि तुम ऐसा कर दो, वैसा कर दो। शहर की बात तो कही गई कि मालरोड़ पर आवारा कुत्ते काट रहे हैं। मेरे पास 4 दिन पहले 4-5 युवा लोग डोडरा-क्वार से आए, डोडरा-क्वार का हॉस्पिटल में डॉक्टर नही है। वैसे हमने वहां पर एस.डी.एम. पोस्ट की है। एक दिन में डोडरा-क्वार जैसे पिछड़े इलाके में 11 लोगों को पागल कुत्ते ने काटा। उन्होंने कहा वहां पर इन्जैक्शन लगाने वाला कोई नही है। समस्याएं आम आदमी के लिए कितनी गम्भीर हो चुकी हैं इसके प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा एक निवेदन है जब सारा प्रदेश प्रभावित है तो उनको खतरनाक वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए हमें कोई ज्यादा एक्सर्साइज़ करने की क्या आवश्यकता है। सारे हिमाचल में खतरा है और इन्सान की जिन्दगी के लिए बन्दर खतरनाक बन गया है चाहे शिमला का शहर हो, चाहे वह गांव हो, चाहे वो किन्नौर का इलाका हो, वहां भी लोगों को खतरा हो गया है। क्यों नहीं प्रदेश सरकार लिख करके भेजती है कि इससे सब जगह खतरा है और हमें इज़ाजत मिलनी चाहिए । इसी प्ली को लेकर अगर आप हाईकोर्ट में जाएंगे कि ये खुंखार हो गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय उच्च न्यायालय के न्यायधीश इस बात से सहमत होंगे और जो पाबन्दी लगी है वह हटेगी । जैसे मैंने पहले कहा कि ज्यादा बन्दर मारने नहीं पड़ेंगे बन्दर अपने आप भाग जाएंगे। जंगलों में जहां आप भेजना चाहते हैं वहां जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मेरा यही आग्रह रहेगा कि एक तो हाईकोर्ट से स्टे वैकेट कराया जाए और केन्द्र की सरकार को आप इनको वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए बिना किसी डिले के पूरे प्रदेश को खतरे में कह करके डिक्लेयर करवायें तभी यह समाधान होगा। आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

26.08.2015/1510/negi/as/2

अध्यक्षः अब श्री महेश्वर सिंह जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी ने नियम-130 के अन्तर्गत चर्चार्थ जो यह विषय इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और जन-मानस से जुड़ा है। जो जन-मानस आज इस ज्वलंत समस्या का सामना कर रहा है उसके समाधान हेतु यह चर्चा हो रही है। यह ठीक कहा कि लगभग हर सत्र में इसके ऊपर चर्चा होती है। समस्या एकदम उत्पन्न नही हुई, वर्षों से चली आ रही है। पूर्व सरकार ने स्टेरिलाइजेशन सेन्टर खोल कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। वर्तमान सरकार ने उनकी संख्या में बढ़ौतरी कर दी। इसके अतिरिक्त इस ओर अभी तक कोई ठोस कदम नही उठाए गये। फलस्वरूप, एक कहावत है कि ज्यों-ज्यों दवा थी त्यों-त्यों मर्ज़ बढ़ता गया। हर बार यहां पर मंत्री जी एक बात कहते हैं कि संख्या में कमी हो गई, नसबन्दी का बड़ा प्रभाव हो गया और आने वाले समय में समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि स्टेरिलाइजेशन जहां हो रही है, बार-बार मैंने इस सदन में कहा कि इमरजैंसी के समय में तो जन-मानस की नसबन्दी खुले में की गई, जंगलों में की गई और घराटों में की गई। लेकिन यह बन्दर इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि इसके लिए केन्द्र चाहिए और इसके पकड़ने के लिए लोग लगा दिए। क्या आप एक ड्राईव नही चला सकते कि जंगल में कैम्प लगाओ और जहां बन्दर मिले वही उसका स्टेरिलाइजेशन कर दो। ऐसा क्यों नही होता? आप जो संख्या देते हैं, आप तो इतने उर्तीण निकले कि यह भी बता दिया कि बन्दरियां कितनी है और बन्दर कितने हैं। पता नहीं कैसे तो गिनती की और कहां चमत्कार हुआ। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दूर जाने की जरूरत नही है । शायद माननीय सदस्य तथ्यों पर आधारित बात नही कर रहे हैं। हम सब इग्जिलरेट कर रहे होंगे कि नम्बर बढ़ गया। आप यहीं देख लीजिए विधान सभा की परिसर और विधायक सदन की परिसर...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

/1515/26.08.2015यूके/डीसी/1

श्री महेश्वर सिंह-- जारी

विधान सभा के परिसर और विधायक सदन के परिसर, आप कहते हैं एक लाख 12 हजार कुछ कहा है की संख्या कम हो गयी । कहीं जितनों की नसबन्दी हुई है वह मर तो नहीं गए? ये जीवित हैं, मंत्री जी, कहीं इन्ही को ही तो आप मृत घोषित नहीं कर रहे हैं ? क्योंकि आप यहां देखिए, बन्दरी की हालत क्या है, एक कंधे पर है, एक छाती मे चिपका है और एक अन्दर तैयार हो रहा है । तीन लेकर तो वो घूम रही है और आप

कहते हैं कि संख्या घट गयी है । हालात ऐसे हो गए हैं कि आज विधायक सदन में जाइए, खाने-पीने के समय में आ कर वे शीशा नॉक करते हैं । अब जब शीशा नहीं खोलते तो उसको तोड़ भी देते हैं । यदि दिन को कहीं खिड़की खुली रह गयी तो शाम तक खिड़की तोड़ देते हैं । बिल्कुल मेरे पड़ौस में एक दिन बन्दर ने शीशा तोड़ा और सारा घर और फ्रिज खोल कर सब कुछ तहस-नहस कर के चला गया । ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है और आप बार-बार यहां इतनी संख्या में फिगर्स देते हैं । आप कहते हैं कि हम वाटिका तैयार कर रहे हैं । जितने भी बन्दर आपने स्टरलाईज़्ड किए शुरू में हमको भी यह शंका हुई कि जब बन्दर द्रंग क्षेत्र और कुल्लू में थे तो हम कहते थे कि सरकार ने हमीरपुर से भेज दिए । आज सरकार कहती है कि आपने इधर भेज दिए । ये भेजे किसी ने नहीं है । ये कितने पकड़े आपने, कैसी स्टरलाइजेशन की भगवान जाने । जहां बन्दर भेजे वहीं बन्दर बढ़ गए । पता नहीं गाड़ी में अनस्टरलाईज्ड बन्दर भी भेज दिए, संख्या बढ़ती जा रही है । हालत ऐसी है और आप बोलते हैं कि संख्या कम हो गयी । हम बचपन में खेलेत थे, कांगड़े में तो एक सीख कर आए थे क्योंकि एक ही जिला था हमारा । बच्चे कहते थे कि "बूढ़ा भंडारिया कितना कर भार, इक मुट्ठी चुकी लये दूजी तैयार" । आप स्टरलाइजेशन में फंसे हुए हैं और बन्दर बढ़ते जा रहे हैं । इसका मतलब जैसा यहां माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि यह कोई समाधान का हल नहीं है और क्यों नहीं जो वर्मिंग घोषित कर दिया उसको मारने से कौन रोक सकता है? जो पब्लिक इन्टरस्ट लिटिगेशन हुई है, वर्षों से सुनते आ रहे हैं, ढाई-तीन साल हो गए कि इसका निर्णय हो रहा है, निर्णय हो रहा है । कोई निर्णय नहीं हो रहा है । जिन NGOs को काम नहीं

/1515/26.08.2015यूके/डीसी/2

हैं वे इस काम में लगे हुए हैं और हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं । " कलिंग" की बात यहां कही गयी, कलिंग शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है । जो बन्दर हमको मारे , आपको चीता मारे या भालू खाए तो हम क्या छाती तान कर उसके आगे बैठे रहें? बन्दूकें हमारे पास नहीं, आप लाईसैंस नहीं देते । वाईल्ड लाईफ सेंचुरी में कहते हैं कि 10 किलोमीटर के रेडियस की लिमिट है । तो क्या आत्म-समर्पण करें? इसलिए इन चीज़ों को गंभीरता से देखिए ।

महोदय, एक अभियान के रूप में यदि आप इस सारे कार्यक्रम को चलाते हैं तो बन्दर को पकड़ने वाले को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे । उन्हीं दिनों में अखबारों में यह खबर

छपी है कि बन्दर पकड़ने वाले बन गए लखपति और किसान बन गए कखपति। उनको आप पैसे दे रहे हैं और किसान की जो फसल नष्ट होती है, उसका कुछ नहीं। आज मैने प्रश्न संख्या 2311 के माध्यम से पूछा था जिसका मुझे सप्लीमेंटरी करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उसमें जो आपने कहा है, उसके आधार पर मैं कुछ बातें यहां पर कहूंगा। महोदय, 11 अप्रैल, 2015 से लेकर 31 जुलाई, केवल साढ़े तीन महीने में चार लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और एक सारी उम्र के लिए अपंग हो गया और जो आपने मुआवजा दिया, डेढ़ लाख आपने मृतक के परिवार व आश्रितों के लिए घोषित किया है वह भी किस्तों में दे रहे हैं। एक परिवार को 37015 रुपए दिए बाकी एक लाख बाद में देंगे। एक ही परिवार के आश्रितों को डेढ़ लाख दिए। जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गयी उसको आपने केवल एक लाख रुपया दे कर विदा कर दिया। सारी उम्र की अपंगता, वह एक लाख से क्या करेगा? कम से कम आप इसको, अब तो भारत सरकार ने 4 लाख कहा है, यहां माननीय राजस्व मंत्री ने कहा। यह प्राकृतिक आपदा है, इसको आप 4लाख करिए। जो आपका राजस्व मैनुअल है, जैसे पशुधन को क्षति होती है उसी अनुपात में आप भी दीजिए और ये किस्तें नहीं चलेंगी। उसको आपको एकदम से देना चाहिए, यह

/1515/26.08.2015यूके/3

प्राकृतिक आपदा है, इस पैसे को क्या आप किस्तों में देंगे? और पशुधन को कितनी क्षति पहुंची, उसमें यह कहा गया है।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी

26.08.2015/1520/sls-dc-1

श्री महेश्वर सिंह ...जारी

कि कुल 203 ऐसे केसिज आए। केवल 97 केसिज में अभी तक आपने जो पैसा दिया है, उसका विवरण यहां है। आपने कहा कि कुल-/2,48,750 रुपये अभी तक 97 केसिज में दिए। बाकी 106 लोगों को आपने कुछ नहीं दिया जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको राहत मिलेगी। अभी 3,23,500/- रुपये की राशि उनको भी देय है। अगर फसल नष्ट हो जाए लेकिन किसान की जान बच जाए तो आप एक फूटी कौड़ी नहीं देते। अब उस फसल की क्षतिपूर्ति आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके पाले हुए जानवर ही तो उनको तंग कर रहे हैं ,कोई और तंग नहीं कर रहा है।

जहां तक कुत्तों की बात कही गई, मैं कहना चाहूंगा कि दूर जाने की बात नहीं है, आप एक दिन हमारे पास आकर रहिए, आपके खान-पान की व्यवस्था हम करेंगे। बंदर दिन को तंग करते हैं और रात के ये छत में घुस जाते हैं, सारी रात सोने नहीं देते। जब बर्फ या वर्षा होती है तो सारे कुत्ते हमारे मेहमान बन जाते हैं। और-तो-और, यहां पर विधायक के बेटे को काट दिया। फिर यह कुत्ता पाला किसने? आपको इससे मोह क्यों है, यह मुझे मालूम नहीं। अगर काट लेता है तो इसकी बैक्सीन जो कसौली में बनती है, उसकी कीमत 15000 से 20000-/ रुपये तक है। कुत्ता वन विभाग के अंतर्गत नहीं है। अभी पशु पालन मंत्री जी भी आ गए हैं और कुत्ता इनके विभाग के अंतर्गत आता है। अच्छा हुआ कि ये आ गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने उस व्यक्ति की चिंता की जिसको कुत्ते ने काटा हो? अभी रोहड़ू और डोडरा क्वार का केस बताया गया। पिछले साल रामपुर में पागल कुत्ते ने 12लोग काटे। लोग इस बैक्सीन के लिए मारे-मारे फिरे। मैंने यहां कहा तो उस वक्त मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि पता करेंगे कि सही में ही यह बैक्सीन इतनी महंगी है। इतनी हो नहीं सकती। यह इतनी महंगी है। इसलिए कम-से-कम इसे निशुल्क तो दो। कौन इसकी कीमत देगा जबकि आपका पाला हुआ कुत्ता हमें काट रहा है? इसलिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ...(घंटी)...

26.08.2015/1520/sls-dc-2

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव दूंगा और अपनी बात संक्षेप में कहूंगा।

महोदय, जहां तक आवारा पशुओं का संबंध है ,यह आज की जटिल समस्या बनती जा रही है और अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। एक तो भविष्य में कोई पशु आवारा न बने, इसके लिए कड़े कानून बनाइए और इसके लिए सख्त-से-सख्त सज़ा घोषित करिए। एक दिन मैं अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ राज्यपाल महोदय के स्वागतार्थ गया। उन्होंने स्वयं एक बात कही कि इस पशु को आवारा पशु मत कहिए। माँ कभी आवारा नहीं होती ,बेसहारा होती है। जिन्होंने बेसहारा किया है उनको आगे से इनको बेसहारा मत करने दीजिए। क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है? कल अजय महाजन जी प्रश्न पूछ रहे थे तो पशु पालन मंत्री ऐसे असहाय दिख रहे थे कि पैसा कहां से लाएं और कहां से यह सब करें? फिर उन्होंने बड़े तैश में आकर कहा। इसका मतलब क्या है कि हम भी हाथ-पर-हाथ धर कर बैठें और आप भी हाथ-पर-हाथ धर का बैठे रहें? यह समस्या ऐसी है कि जाएं तो जाएं कहां? आप क्या

व्यवस्था करेंगे, मैं मानता हूं। अगर जगह देनी है तो आज वन अधिनियम आपके आड़े आता है। अगर जगह दे दी तो पैसे कहां से देंगे? पैसे देंगे तो चारा कहां से आएगा?

मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा ताकि अध्यक्ष महोदय को बार-बार घंटी बजाने का कष्ट न करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, अनेकों ही इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो इस ओर काम करना चाहती हैं और वह इन संस्थाओं को आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते हैं। प्रथम चरण में, जैसा यहां पर प्रतिपक्ष के नेता जी ने कहा कि जो हमारे मंदिर हैं, जो आत्मनिर्भर हैं, जिनके पास फालतू पैसा है ,वह आपसे कोई ग्रांट नहीं मांग रहे, केवल भूमि मांग रहे हैं। यहां पर बहन आशा जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आप उन संस्थाओं, जो रजिस्टर्ड हैं, के नाम ज़मीन न करें बल्कि उन्हें लीज पर ज़मीन दें। वह कंडिशन आप लगाइए और अगर वह नहीं चलाते हैं तो गौसदन वापिस लीजिए। मैंने कल कुल्लू का एक उदाहरण दिया था।

जारी ..श्री गर्ग जी

26/08/2015/1525/RG/AG/1

श्री महेश्वर सिंह-----क्रमागत

मैंने कुल्लू का एक उदाहरण आपको दिया था, धूमल जी को याद होगा कि वहां वैष्णो माता ट्रस्ट को भूमि दिलाने के लिए इन्होंने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की लूगणभट्टी में जमीन राजस्व विभाग के नाम कर दी। अब वह जमीन आगे केवल उस संस्था को देनी है और उस संस्था से यदि आप ऐग्रीमैंट करते ,तो उन्होंने कहा है कि हम फ्री डिसपैन्सरी भी देंगे और साथ में पार्क भी बनाएंगे ,उस जगह बाढ़ नियंत्रण का खर्चा भी वे वहन करेंगे और गौ-मूत्र एवं गोबर पर आधारित उद्योग लगाएंगे। तो फिर उनको भूमि क्यों नहीं देते? जैसा आपने कल आश्वासन दिया है, दीजिए। यहां शिमला में ही मान्यवर मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में ही इनसे यह संस्था मिली थी' त्रिगुणातीस शिक्षा चैरीटेबल ट्रस्ट' इन्होंने कुफ्री में खोला है और अन्य स्थानों पर भी चला है।- (घण्टी)- ये भी इसी प्रकार का सैल्फ फाइनैंसिंग का काम करना चाहते हैं। केवल इनको जगह दी जाए और महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा कि जहां तक धन के प्रबन्ध का सवाल है, तो यह नितान्त आवश्यक है। धन कहां से आएगा? सरकार और विभाग के सीमित साधन हैं। यदि इसको बढ़ाना है, तो एक सुझाव दूंगा। आज बिजली के यहां लगभग 25,00,000 उपभोक्ता हैं और वे एक चीज से

तंग हैं कि 90/-रुपये प्रति मास ये मीटर का रैंट लेते हैं और फिर सैन्ड्री चार्ज ,पता नहीं क्या चार्ज है ,वह भी लगता है। मतलब दाढ़ी से लंबी मूंछ है ,बिल से ज्यादा यह चार्ज लिया जाता है। महीने का बिल नहीं देते, उस अमाउन्ट पर भी सरचार्ज लगाते हैं ,दो महीने का बिल देते हैं। अगर सरकार इसमें राहत दे और यह नियम से आए-(घण्टी)-तो क्या एक रुपये प्रति मास प्रति मीटर सैस लगा दिया जाए और उसको कहा जाए कि जो आवारा पशु है यह उनके रिहैबिलिटेशन के लिए है, तो एक साल में लगभग तीन करोड़ रुपये आता है। ये बड़े-बड़े टैण्डर होते हैं। जहां टैण्डर होते हैं उन पर भी इस प्रकार का सैस लगा दिया जाए। यूं भी तो टैण्डर के समय में 500-500 या हजार-हजार रुपये खर्च करते ही हैं। क्या ये सौ रुपये उस गौ-सदन के नाम या पशु रिहैबिलिटेशन के नाम से नहीं दे सकते।- (घण्टी)-इसलिए आय के स्रोत हमें ढूंढने होंगे।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक सुझाव आपको और दूंगा कि आप विधायकों की एक समिति बनाएं ,वह गहन विचार करे केवल स्रोत पर कि किस प्रकार से हम रिसोर्सिज बढ़ाएं। उस पर अपनी चर्चा करके रिपोर्ट दे ताकि उससे आय भी बढ़े और समस्या का भी समाधान हो। कल आसन ने भी इस बात पर चिन्ता की कि ये बैल,

26/08/2015/1525/RG/AG/2

घोड़े इत्यादि इनका क्या करेंगे? आपने तो बकरी भी कहा ,लेकिन परमात्मा का लाख शुक्र है कि इसका समाधान करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। जिस दिन यह बकरा भी आवारा हो जाएगा ,उस दिन निश्चित रूप से बड़ी समस्या उत्पन्न होगी और ऐसा दिन मुझे नहीं लगता कि कभी आएगा। लेकिन इन समस्याओं के ऊपर विचार करने हेतु जो आप समिति बनाएं उसमें उन लोगों को रखें जो टी.ए. नहीं मांगे और उसमें आकर हम अपना योगदान दें ताकि आय के संसाधन बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

3/-

26/08/2015/1525/RG/AG/3

अध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे। आप कोई नई बात करें और अच्छी बात बताएं।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी एवं श्री रिखी राम कौंडल जी ने यहां जो प्रस्ताव चर्चा हेतु रखा है ,वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस पर काफी चर्चा हुई है और चर्चा की बात तो यह है कि जब से हम विधान सभा में आए हैं तब से हर सत्र में इस विषय पर चर्चा होती रही है। यह भी ठीक है कि हमारा प्रदेश ऐसा है जहां 90% किसान-बागवान रहते हैं और सारे किसान खेती-बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन बंदर, सुअर इत्यादि आज किसान की एक ज्वलंत समस्या बनती जा रही है। किसान खेती-बाड़ी करता है, यदि गांव के लोग खेतीबाड़ी न करें, तो उनका गुजारा नहीं है। एक तो उनकी यह समस्या हो जाती है कि कभी सूखा पड़ जाता है ,कभी फसल नहीं होती, कभी बरसात ज्यादा हो जाती है ,कभी आंधी-तूफान से उनकी फसल खराब हो जाती है। अगर फिर उनसे भी बच जाएं----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

26/08/2015/1530/MS/AG/1

श्री कुलदीप कुमार जारी----------

अगर फिर उनसे बच जाए, फसल हो भी जाए तो बंदर और अन्य जंगली जानवर फसल तबाह करके चले जाते हैं। बंदरों की समस्या बहुत गम्भीर बनती जा रही है। इसके लिए पिछली सरकार ने भी प्रयास किए और अभी हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके प्रति बड़े गंभीर रूप से प्रयासरत्त हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस समस्या का कोई-न-कोई हल अवश्य निकलेगा। कभी-कभी बंदरों का इश्यू चुनाव के समय भी बन जाता है कि बंदर हमीरपुर से ऊना आ गए हैं। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह एक बहुत ही ज्वलन्त समस्या है और हरेक आदमी इससे प्रभावित है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग खेती-बाड़ी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। सारे खेत वीरान हो रहे हैं। इससे एक तो किसानों का नुकसान हो रहा है और दूसरा प्रदेश का भी नुकसान हो रहा है। आगे-आगे जहां बंदर आते जा रहे हैं, वहां पर फसल को बीजना लोगों ने बंद कर दिया है और जब उनसे पूछते हैं कि आपने फसल की बीजाई क्यों नहीं की तो वे कहते हैं कि फसल बीजकर क्या करना? पहले तो दिन में बंदरों के लिए पहरा दो और रात को जंगली जानवरों के लिए पहरा दो। तो ऐसी स्थिति बन गई है। किसी ने ठीक कहा कि आज हालत ये है कि जंगलों में बंदरों की खुराक समाप्त हो रही है इसलिए बंदर सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। माननीय प्रतिपक्ष के

नेता ने बताया कि हमारे वहां पर काफी श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धा के तौर पर वे वहां ब्रैड लेकर आ जाते हैं। कइयों का तो ब्रैड और चने बेचने का बिजनैस चला हुआ है। हमने देखा है चाहे बरसात हो या बर्फ का मौसम हो, बंदर वहां पर चने और ब्रैड के इंतजार में बैठे रहते हैं। इसलिए यह बंदरों की समस्या वास्तव में ही बहुत गम्भीर है। यहां तक की बंदर घरों में घुसकर नुकसान कर रहे हैं। बच्चों को अकेले आने-जाने में खतरा हो गया है और घर में भी वे फ्रिज में रखे सामान को निकाल लेते हैं। इसलिए यह जो बंदरों की समस्या है, इसका गंभीरता से कोई-न-कोई हल हमें सोचना है।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

26/08/2015/1530/MS/AG/2

उपाध्यक्ष जी, जहां तक आवारा पशुओं की बात है। आज हालात यह है कि पशुओं को लोग खुला छोड़ देते हैं और फिर वे पशु सड़कों पर झुण्डों के रूप में बैठे रहते हैं। उनकी वजह से कई दुर्घटनाएं हो गई हैं और हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। दिन के समय वे पशु किसानों के खेतों में घुसकर फसल तबाह कर देते हैं।

यहां पर गौशाला बनाने की काफी बातें हुईं। गौशाला बनाने के लिए मंदिर ट्रस्टों की बात भी हुई कि इन मंदिर ट्रस्टों को गौशालाएं बनानी चाहिए तथा गौशाला बनाने के लिए जगह दी जाए। यह ठीक है कि गौशाला मंदिर ट्रस्ट वाले और एन0जी0ओज 0 बनाएं। परन्तु मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे वहां चिन्तपूर्णी मंदिर ट्रस्ट की एक गौशाला अम्ब में चल रही है। शायद उसके लिए सरकार ने जगह दी है। लेकिन वहां अगर ऐसे लोग काम करेंगे जिनकी श्रद्धा नहीं है, फिर वे वहां जाकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। मैं गर्मियों के दिनों में अचानक वहां पहुंच गया। जब वहां जाकर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। जब हम वहां एस0डी0एम0 को लेकर पहुंचे तो वहां जो 50-40गायें थीं, वे बोलना शुरू हो गई कि हमारी सुध लेने के लिए कोई आ गया। वहां एक चौकीदार था लेकिन उसने पहले ही बहाना लगा दिया कि मुझे सुनाई नहीं देता। फिर वहां पता लगा कि उस जगह के साथ ही दूसरी जगह पर उस चौकीदार ने अपने पशु रखे हैं और जो दान में चारा आता है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

26.08.2015/1535/जेएस/एएस/1

श्री कुलदीप कुमारः-----जारी-------

दान में जो हरा चारा आता है उनको वह अपने पशुओं को खिला देता है। मैंने जब उसका इन्चार्ज बुलाया उसने कहा कि मैं अभी यहां से गया था। मैंने उससे पूछा कि आप दिन में कितनी बार इन पशुओं को पानी देते हैं। उसने कहा कि 24 घण्टे में एक बार ही पानी देते हैं। मैंने उससे पूछा कि गर्मियों के दिनों में भी आप 24 घण्टे में एक बार ही पानी दे रहे हैं? उसने कहा कि हमारे पास पाईप ही नहीं है। मैंने कहा कि आपको पाईप के लिए कहना चाहिए था। गोबर की खाद भी उन्होंने बेचना शुरू कर दी । ऐसे लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा जो ईमानदारी से उन ट्रस्टों में काम करेगा। जिस एन.जी.ओ. की श्रद्धा हो वह जा करके गऊ सदन खोलें तब जा करके यह हल निकल सकता है। यहां पर बाघों की बात आई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊना में भी बहुत ज्यादा बाघ हैं। उन बाघों ने हमारे किसानों के पशुओं का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। वे बाघ कभी भी किसी भी गांव में घुस जाते हैं और कभी दूसरे गांव में घुस जाते हैं। इस वज़ह से वहां पर लोगों में भी बड़ी दहशत है। एक बार मेरे क्षेत्र में भी बाघ घुस गया। मैंने डी0एफ0ओ0 को इस बारे में टेलिफोन किया। डी0एफ0ओ 0कहने लगा कि हमारे पास एक ही पिंजरा है। वह पिंजरा कुटलैहड़ में वीरेन्द्र कंवर जी के इलाके में रखा हुआ है। हम वहां से ले कर आएंगे तब जा करके आपके वहां पर लगाएंगे। मैंने उनसे कहा कि जब तक पिंजरा आएगा तब तक तो वह बाघ भाग जाएगा। वहां पर यह हालत है। वहां पर पिंजरों का प्रॉपर इन्तजाम किया जाए इससे किसानों को नुकसान से बचाया जा सकता है। हमारे वहां नील गाय का भी बड़ा भारी प्रकोप है। झुण्डों के झुण्ड आते हैं । नील गाय की तो यह समस्या है कि चाहे कितना ही बड़ा बाड़ा हो वह छलांग लगा करके सारे के सारे झुण्ड कूद जाते हैं और एक ही बार में फसल को तबाह कर देता है। इसके अलावा जब कोई स्कूटर वाला या कार वाला चला हो उसके ऊपर नील गाय कूद जाती है और उससे एक्सीडैंट हो जाते हैं। इस तरह की कई समस्याएं हैं। जो बन्दरों की समस्या है इस बारे में हम जानते हैं कि सरकार बड़ी गम्भीर है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके प्रति गम्भीर है। सरकार

26.08.2015/1535/जेएस/एएस/2

प्रयासरत्त है और इन्होंने प्रयास किए भी होंगे। इसको हम प्राथमिकता के आधार पर लें । यह लोगों की गम्भीर समस्या है इस बारे में हमें केन्द्र सरकार को लिखें और जैसे यहां

पर कहा गया कि इनको हम खुंखार डिक्लेयर करें तभी इस समस्या का हल हो सकता है या फिर इनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। इस बारे में केन्द्र सरकार से हैल्प मांगी जाए। इनको चाईना लेने को तैयार है। हमारे यहां पर चाइनीज़ कम्पनी सड़क बनाने के लिए आई थी उन्होंने सारे के सारे कुत्ते साफ कर दिये और वे बन्दरों को भी साफ कर देंगे। वह तो उनकी डिमांड है। अगर इनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिल जाए तो फिर इन सारे के सारे बन्दरों से राहत मिल जाएगी। इसी के साथ-साथ हमारे किसानों की फसलों के लिए चाहे मनरेगा के अन्तर्गत, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के अन्तर्गत कांटेदार तार की फैंसिंग करवाई जाए उससे भी काफी जंगली जानवरों से बचाव होगा। इसी तरह अगर जगह-जगह बाड़ लगाई जाए वहां पर पशुओं/ बन्दरों को रखा जाए उससे भी कुछ हल हो सकता है। यहां पर नसबन्दी की बात की गई, मैं यहां पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इस बारे में काफी बातचीत हो चुकी है। नसबन्दी के बारे में मुझे श्री महेश्वर सिंह जी का सुझाव अच्छा लगा। बन्दरों को पकड़ने के बजाए इनके लिए जो नसबन्दी केन्द्र हैं वे इधर-उधर से बन्दरों को लाते हैं और दूसरे के इलाके में छोड़ देते हैं और वे खुंखार बन्दर हमारे इलाके में घुस जाते हैं। इसलिए आप इन बन्दरों की नसबन्दी के लिए जहां पर भी कैम्प लगवाने हैं, वे लगवाएं। इसके लिए आपने लगभग 3 करोड़ रूपया खर्च किया है। उससे पैसा भी बचेगा और उससे आऊटपुट भी निकलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी---------

1540/26.08.2015/केएस/डीसी/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत श्री महेन्द्र सिंह जी और श्री रिखी राम कौंडल जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, यह बहुत ही ज्वलंत और गम्भीर समस्या है। मैं पशुधन और आवारा पशुओं के बारे में चर्चा करने से पहले कहना चाहूंगा कि आवारा पशुओं में जो गाय है, हमारे देश में कहा गया है कि माता यानि कौन- गंगा माता, गीता माता, भारत माता और गऊ माता? इस सारी समस्या पर चर्चा करने के साथ-साथ जो गाय माता है, इससे सम्बन्धित जो पशु धन है उस पर विचार करना नितांत आवश्यक है। गाय आवारा नहीं होती। हम सब उसका दूध पीते हैं और जब वह दूध देना बन्द कर देती है फिर हम उसको आवारा बना कर छोड़ देते हैं। उसके बछड़ों को भी बाहर छोड़ देते हैं। जैसे महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि आज लोगों ने ट्रैक्टर

के माध्यम से खेती करना शुरू कर दिया है। इसके कई नकारात्मक परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह जो गऊ माता है यह यहां-वहां राह में भटकती रहती है। अभी पिछले दिनों हमारी लोक उपक्रम समिति टूअर पर गई थी, आशा कुमारी जी हमारी कमेटी की चेयरमैन हैं। हम मनाली से सब सोलंग नाला गए, जहां पर टूरिस्ट जाते हैं वहां पर इतने पशु इकट्ठा हो गए । बहुत सी गाय और छोटे-छोटे बछड़े वहां पर थे । उनको देखकर हमने उस दिन भी कहा कि बाकी कुछ हो न हो यह देखना जरूरी है कि समस्या क्या है क्योंकि कुछ दिनों में ठंड पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी उसमें गाय को खाने के लिए न घास मिलेगा न कुछ और चीज़ मिलेगी और कई गऊएं ऐसे ही मर जाती है और अब तो यहां तक हो गया है कि गाय और बछड़ों को लोग तो जंगल में छोड़ते ही है अब कुत्तों ने भी उनको काटना प्रारम्भ कर दिया है। एक दिन एक व्यक्ति का मुझे फोन आया कि आज मैं रोहतांग के नीचे मढ़ी की तरफ आ रहा था तो वहां पर एक गाय के पीछे कुत्ते पड़ गए और उसको काट रहे थे। हमने कुत्ते भगाए, वह एक छोटी बच्छी थी, उसको उठाकर मैं ट्रक में लाया और अब उसका उपचार करवा रहा हूं। ऐसी कितनी प्रकार की घटनाएं हो रही है । पिछले दिनों हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो गऊशालाएं चल रही हैं, तीन महीने के अंदर-अंदर इन सबको पर्याप्त फंड दो। डिप्टी कमिशनर को

कहा कि पैसों का प्रबन्ध करों और पंचायतों और लोकल बॉडीज़ को कहा कि तुम अगर नहीं करोगे तो तुम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगें लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, गऊंशालाएं ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो, वहां पर रहने वाले पशुओं का इलाज हो, उनको खाने के लिए चारा मिले और सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, इसके लिए धन कहां से आएगा? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं वहां पर गऊंशालाओं का कार्य कुछ समाजसेवी संस्थाएं, कुछ लोग जो समाज सेवा का काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं लेकिन समस्या क्या है कटरांई में जटेड़ विहाल के पास एक गऊशाला चलती है । वह लगभग पांच-सात बीघा भूमि में चलती है और जब भारी बर्फ पड़ती है, दो सौ के करीब पशु वहां पर इकट्ठा होते हैं, सांसद निधि से, विधायक निधि से छोटा-छोटा पैसा इकट्ठा करके वहां पर काम किया बाकी जो व्यक्ति वहां पर काम कर रहे हैं उन्होंने यहां तक किया है कि 50 लाख तक अपना हाऊसिंग लोन बना करके वह भी खर्च कर दिया। समस्या यह है कि अब कहते हैं कि वह वन विभाग की भूमि है

अब लैंड ट्रांसफर होनी है पशु पालन विभाग के नाम लेकिन पशु-पालन विभाग कहता है कि एन.पी.वी. का पैसा हमारे पास नहीं है। अब 13-14 लाख एन.पी.वी. का अगर पैसा होता है और अगर लैंड ट्रांसफर होती है तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया जा सकता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.8.2015/1545/av/dc/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ------जारी

ठीक किया जा सकता है। ऐसी ही समस्या बंदरौल की है वहां पर सर्दियों में लोग एक छोटी सी गोशाला चलाते हैं। फल उत्पादक संघ अपना पैसा इकट्ठा करके उसको दान करते हैं। इसलिए एन.पी.वी. के पैसे का प्रबंध हो और लैंड ट्रांसफर जल्दी हो तथा वहां पर ठीक प्रकार की व्यवस्था हो; उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं; यहां पर महेश्वर सिंह जी भी बैठे हैं। मैं तो यह निवेदन भी करुंगा कि हमारे बहुत से देवी-देवताओं के पास अपार धन-सम्पदा है। क्या यह सारी धन सम्पदा केवलमात्र बड़े-बड़े मंदिर / भवन बनाने के लिए ही है या वह ऐसी सेवा के काम भी आ सकती है? आपको देवी-देवताओं के कारदारों से मिलकर बात करनी चाहिए कि क्या ऐसी सेवाओं में भी हमारा कुछ धन लग सकता है।

यहां पर शिमला शहर में बंदरों और आवारा कुत्तों की वजह से उत्पन्न हुई समस्या का जिक्र हुआ। यहां पर बंदर और आवारा कुत्तों के बारे में एक आकलन है कि एक महीने में बंदरों द्वारा लगभग सौ लोगों को काटा जाता है और 60 कुत्तों के द्वारा काटे हुए व्यक्ति अस्पताल में आते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि यह कितनी भयानक समस्या है। भारत के अंदर प्रतिवर्ष रेब्बिस से लगभग 20000लोग मारे जाते हैं। हमें बंदरों और कुत्तों को ऐक्सपोर्ट करने में छूट मिलनी चाहिए। यहां पर अभी उपाध्यक्ष महोदय ने एक बहुत अच्छा विचार रखा कि हम क्यों न इस बारे में विधान सभा में विधेयक लाएं। बंदर, कुत्ते, सूअर इत्यादि सभी जानवर जो किसानों और बागवानों की फसलों का नाश कर रहे हैं उस बारे में यहां पर विधेयक लाया जाए। मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहूंगा कि शायद विधायिका और कार्यपालिका को भी आदत पड़ गई है। जब हम कोई चीज़ तय करते हैं तो उसमें तेज गति से काम नहीं होता और जब

26.8.2015/1545/av/dc/2

उन्हीं बातों को न्यायपालिकाएं बोलती है तो बिना सोचे-समझे हम भी कहीं-न-कहीं उनके साथ चल पड़ते हैं। इसलिए उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

26.8.2015/1545/av/dc/3

श्री राकेश कालिया : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 130 के तहत जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह और श्री रिखी राम कौंडल जी लेकर आए हैं मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसे सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में भी बंदर, नीलगाय और आवारा गाय-बैल की समस्या है वैसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र गगरेट में भी यह समस्या ज्यादा बढ़ गई है। जो गांव में पहले कूल्हे होती थी, हम तो कूल्हे ही कहेंगे बाकी जगह पता नहीं क्या कहते होंगे। उस पानी लगती जमीन में बिजाई बंद हो गई। हमारे वहां से लोग रेत ले जाते हैं। कई दूसरे जिलों जैसे कांगड़ा, बिलासपुर से वे अपने ट्रकों में गाय या बैल भरकर ले आते हैं और वहां छोड़ देते हैं जिस कारण से हमारे यहां आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमने सुना है कि पंजाब से भी ट्रक भरकर हमारे वहां गाय-बैल छोड़ जाते हैं। मेरे इसके लिए दो-तीन सुझाव हैं। उसमें एक तो अम्ब में जो मंदिर ट्रस्ट ने गोशाला बनाई है क्योंकि चिन्तपूर्णि मंदिर के पास बहुत पैसा है। जब तक हम लोग संजीदा नहीं होंगे और अधिकारियों को सख्ती से नहीं बोलेंगे कि इसकी केपेसिटी बढ़ाओ। मैंने वहां एक गाय भेजी मगर उन्होंने कहा कि हम तो दूध देने वाली गाय लेते हैं। जब मैंने वहां दूध देने वाली गाय भेजी तो उन्होंने कहा कि हमारी गोशाला की केपेसिटी फुल हो गई है। उनका हाल इस तरह का है। वहां टैम्पल ट्रस्ट की सौ करोड़ की प्रोपर्टी है। सारी एफ.डी.आरज. हैं और उसके लिए बैंक आपस में लड़ते हैं कि हमारे को एफ.डी.आर. दो, हमें दो। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप दो-तीन गोशाला तो उसी से बनवा दो। ऊना जिला का तो सारा बर्डन माता चिन्तपूर्णि का मंदिर ही उठा लेगा। अगर आप उसको कहीं हाई-वे साइड पर बनवाते हैं क्योंकि मैंने इसके लिए मुख्य मंत्री जी से कई बार प्रार्थना की है। उसका सारा भार अपने आप गोशाला उठा लेगी ।

उसमें पैसा श्रद्धालू दे देंगे और जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि वहां लोग आकर भी काम करेंगे। हमारे वहां श्री हरदीप नामक एक टीचर है। उन्होंने एक ऐक्सपैरिमैंट किया है कि गेंदे के फूल से बंदरों को एलर्जी होती है। मेरे घर में एक तालाब है और हम उसमें कभी-कभी नहा भी लेते हैं। मैंने अपने तालाब के आस-पास अब गेंदे के फूल लगा दिये हैं। अब बंदर उस तालाब के पास नहीं आते। उस फूल में उनका एक-दो बार हाथ लगा मगर अब बंदर उसके आस-पास बिल्कुल नहीं आते---

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

26/1550/08.2015.टीसी/डी0सी01/

श्री राकेश कालिया--- जारी

अब उसके आसपास बिल्कुल बन्दर नहीं आते । मेरा यह एक सुझाव रहेगा कि किसानों को अगर आप ये गेंदे के फूल का बीज प्रोवॉइड करवांए ताकि उनके खेतों में कम से कम बन्दर नुकसान न कर सकें । रोड़ साईड़ पर जो लोग ब्रैड इत्यादि बेच रहे हैं, यह ठीक है कि इससे कुछ लोगों को रोजगार तो मिलता है, लेकिन उनकी वज़ह से पेरशानी भी आ रही । इसके साथ ही जो श्रद्धालू पंजाब से आते हैं ये बन्दरों को फीडिगं कर रहे है, केले ला रहे हैं, ब्रैड ला रहे है। इतना फास्ट फूड उनको मिलता है तो फिर वह जंगलों में क्यों जाएंगे? जैसे माननीय धूमल जी ने कहा, मैंने भी कई बार अधिकारियों को फोन किया कि मेरे घर के पास भी बहुत सारे मंकीज़ है। जब हम गांव के लिए निकलते हैं तो बच्चों को भी वहां पर नहीं छोड़ सकते है। मैने दो तीन बार उनको आग्रह किया कि उनका जो पिजंरा है उसको यहां पहुँचाये और जो बन्दर यहां पर है उनको पकड़े और उनकी स्टैरेलाईजेशन भी करें । लेकिन इसके बावजूद भी वह वहां नहीं आये। जैसे आपने कहा कि जो वन है उनमें फल बगैरह बहुत कम हो गये हैं। वन क्षेत्र तो है, लेकिन उनके खाने-पीने का सामान वहां पर नहीं है। इसलिए फलदार पौधे लगाकर दो-तीन तरह से प्रयास करने की आवश्यकता है। एक तो इनको आबादियों और खेतों में जाने से रोका जाये और बन्दरों को कैसे खदेढ़ा जाये । दूसरे, क्या आपकी स्टैरेलाईजेशन कामयाब हो रही है। हमें तो लगता है कि कामयाब हो रही है। कुछ थोड़ी बहुत कमी तो आई है। पहले विधान सभा में भी बहुत बन्दर होते थे, अब हम आते हैं तो उतने नहीं हैं। गांव में भी थोड़े कम हुए हैं । लेकिन जो कार्यक्रम आपने

चलवाया है, इसको और तेजी से चलाएं । मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन जानवारों से लोगों को निजात दिलाएं । क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि और तो छोड़ो पहले हमें इन आवारा गायों और बन्दरों से निजात दिलाओ । ज्यादा न बोलता हुआ मैं आग्रह करूँगा कि आप सब लोग मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले । इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद ।

26/1550/08.2015.टीसी/डी0सी02/

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। पहले बन्दरों को गेंदे के फूलों से एलर्जी होती थी। कल मैंने स्वंय पीटरहॉफ में लंगूर और बन्दर को साथ-साथ देखा। उनकी भी मित्रता हो गई है और जो गेंदे के फूल का पौधा है दोनों उसकी कोंपलों को चबा-चबा कर खा रहे थे । आन्नद ले रहे थे, इसलिए यह सफल नहीं होगा।

26/1550/08.2015.टीसी/डी0सी0/3

श्री इन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत जो विषय माननीय ठाकुर महेन्द्र सिंह और श्री रिखी राम जी ने इस मान्य सदन में लाया है उसमें भाग लेने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूँ । जैसा सभी सदस्यों ने कहा, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। माननीय उपाध्यक्ष जी यह चर्चा इस मान्य सदन में पता नहीं कितनी बार हुई । उपाध्यक्ष महोदय, वही विषय,वही ऑरगुमैंट यहां पर सुनने को मिलते हैं। कोई ठोस नतीजा, कोई इफैक्टिव सेल्युशन अभी तक सामने नहीं आया है। उम्मीद है जल्दी ही आएगा। बन्दरों को की बात यहां लॉरज स्केल में हुई है, मैं भी उसमें कुछ एड करना चाहता हूँ । इस माननीय सदन में आज ही बन्दर शब्द का उच्चारण कितनी बार हुआ? मेरे ख्याल से जितनी बार बन्दरों का उच्चारण यहां पर हुआ, उतने तो बन्दर ही नहीं हैं। लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। नसबन्दी की बात हुई। पता नहीं यह नसबन्दी कैसी है, इसमें भी कोई गोलमाल हो रहा है। इसकी प्रक्रिया ठीक भी है या नहीं । मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको मॉनिटर करिए कि ऑपरेशन होते भी है या नहीं । इसका एक्सपेरिमैंट कहीं करिए पर करके दिखाई। अब समय आ गया है कि इस प्रॉब्लम का सेल्युशन कुछ किया जाये। मेरे विचार में नसबन्दी इसका कोई सेल्युशन नहीं है। इसका सेल्युशन कलिंग या एक्पोर्ट है। इसके लिए आप इफेक्टिव

कदम उठाइये, ये मेरी इस मान्य सदन से रिक्वेस्ट रहेगी । माननीय महेश्वर सिंह जी ने आवारा शब्द को मॉडिफाई करके लावारिस कर दिया है, बेसहारा कर दिया है। बेसहारा सैंकड़ों पशु और बैल हमको सड़कों में मिलते हैं। नलवाड़ का मेला खत्म -----

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी----

26.08.2015/1555/AG-NS/1

श्री इन्द्र सिंह --------- क्रमागत।

नलवाड़ का मेला खत्म हुआ तो आधे वहीं छोड़ के चले जाते हैं। यह एक गंभीर समस्या है सर बिल्कुल गंभीर समस्या है। जब तक गाय दूध देती है तो हमारी, दूध बंद तो सरकारी। रास्ते पर आ गई। सड़क पर बैठी हुई मिलती है। कई दुर्घटनाएं होती हैं। ड्राईवर लोग तो कहीं पर इनकी टांगों के ऊपर से गाड़ियां निकाल कर ले जाते हैं। बड़ा दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता है । इसका यदि कोई सल्यूशन है तो केवल गौ सदन है। मेरे चुनाव क्षेत्र में हमने दो गौशालाएं चलाई हैं। तकरीबन 150 जानवर उन दोनो गो सदनों में हैं और दोनों गौशालाएं फाइनैंशिली सस्टेनिंग हैं। हम उनका वर्नीकल्चर करते हैं, उसको बेचते हैं, गौमूत्र भी बेचते हैं और उसी से उनको चला रहे हैं। लोकल एड हो जाती है। मैं समझता हूं कि ऐसी ही गौशालाएं Where there is a will, there is a way. अगर चाहें तो बाकि जगह भी चल सकती हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान मक्की की फसल का होता है। रात को सुअर अधिक संख्या में आते हैं और जिस खेत में आ गए वह खेत तबाह हो गया। क्या हमारे वैज्ञानिक कोई ऐसा कैमिक्ल नहीं बना सकते हैं। जिसको हम खेत में रखें और वह सूंघ कर भाग जाएं। आप से मेरा यह निवेदन है कि आप इस दिशा में कुछ कीजिए। अगली बात यह है कि यह समस्या पैदा कैसे हुई। This is a man made problem.जीव ही जीव का भोजन है। नेचर पर सन्तुलन बना कर रखता है। जब मनुष्य नेचर से छेड़छाड़ करता है तो बैलेंस को डिस्टर्व करता है, अपने शोर्ट टर्म गेन के लिए डिस्टर्व करता है तो प्रोबैल्म शुरू हो जाती है। जैसे ही हमने जंगलों को पतला/थिन किया , पेड़ काट दिए तो शाकाहारी जानवर बस्तियों की तरफ भागे और उनके पीछे शायद मांसाहारी भी भागे होंगे। उनको भी तो जीना है। उसकी वजह से तेंदुएं,नील गाय हमारे गांव में आ गई और उससे बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को होने लगा। इसलिए इसका मात्र एक ही उपाय है कि आप मिक्स जंगल लगाएं। चीड़ के जंगलों मे कोई फल नहीं होता। अगर फल नहीं होता तो बंदर वहां रहकर क्या करेंगे? आप पुराने जमाने में मिक्स जंगल होते थे। बान का

26.08.2015/1555/AG-NS/2

जंगल, दूसरे जंगल होते थे जहां बंदरों को कुछ न कुछ खाने को मिलता था। बंदर चीड़ के पेड़ों में क्या खाएगा? इसलिए यह जरूरी है कि कृप्या आप चीड़ न लगा करके, चीड़ जहां लग जाती है वहां कुछ पैदा नहीं होता वहां पर मिक्स जंगल लगाने के बारे में सोचिए ताकि उनको वहां खाना मिलेगा तो आपके पास क्यों आएंगे जहां आप डंडे मारते हैं उनको। जिससे हमारी खेती बचेगी। दूसरी बात आजकल हमारी खेती मकैनिक्ल हो गई है। मकैनिक्ल खेती से हमारा भी फायदा है क्योंकि हमारा बहुत समय बच जाता है लेकिन उससे नुकसान भी ज्यादा है। मेरे इलाके में हर घर में बैल होते थे। एक जोड़ी बैल की कम-से-कम होती थी। आज बैलों के दर्शन नहीं होते। सड़क में भटकते हुए मिलते हैं। इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा और साथ में जिन गऊओं ने दूध देना बंद कर दिया है उनका कृत्रिम गर्भाधान अनट्रेंड व्यक्ति करते हैं। वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ट्रेंड व्यक्ति कृत्रिम गर्भाधान करें तो वह ड्राई नहीं रह सकती है। इसमें ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है। ऐसा मैं समझता हूं। पशुओ के पंजीकरण की बात भी इनइफेक्टिव है। कान में ठप्पा लगाएं तो लोग कान काटकर फैंक देते है, अगर पीछे ठप्पा लगाएं तो वहां तेजाब फैंक देते हैं। हमारे हयूमैन वैल्यूज़ में थोड़ी डिग्रेडेशन आ गई हैं। इसके लिए जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आटे में कोई चिप मिलाकर उनको खिला दो जो उनके पेट में रह जाएगा तो उसकी नीयर एबाउट का पता चलेगा कि किस हालत में हैं, कहां है। हाईकोर्ट ने भी इस विषय में इंटरवीन किया है और सरकार ने भी विभिन्न विभागों को most impractical orders दिए हैं।

श्री नेगी द्वारा ------ जारी।

26.08.2015/1600/negi/ag/1

श्री इन्द्र सिंह .. जारी..

यह युटोपियन आइडियाज़ हैं। You cannot act on the ground practically and physically. यह तो सरकार ने पोस्ट ऑफिस का काम किया है। जो हाईकोर्ट ने बोला वह आपने आगे पास कर दिया। कम से कम इसमें सोचा तो जाए । आपने लिखा कि जो पशुओं पर अत्याचार करते हैं पुलिस उनको पकड़े। कौन पता करेगा कि किसने उसके ऊपर तेज़ाब फैंक दिया और किसने उसके सींग पर डंडा मार करके सींग तोड़ दिया। These are not practical things. लोक निर्माण विभाग को आपने आर्डर दिया कि सड़कों पर से आवारा पशुओं को हटाया जाए। वहां से हटा करके वह कहां ले जाएंगे? मेरे चुनाव क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी आए, जिस-जिस सड़क से उन्होंने जाना था,

जो उनका रूट बना हुआ था उस रूट से तो पशु हट गए । जैसे ही इनका काफिला निकल गया फिर पशु वहां वापिस भेजवा दिये। What is this? These are all fictitious things. अगर आपने आर्डर देने है तो प्रैक्टिकल आर्डर्ज़ विभागों को देंगे तो अच्छा रहेगा। आपने पंचायती राज इंस्टीट्युशन्ज़ को कहा कि आप गौ-सदन का निर्माण कीजिए। एक गौ-सदन चलाने के लिए you need lot of money. शेड बनाना है, वहां नौकर रखने हैं और उसके साथ चारे का बन्दोबस्त करना है। So many things are involved on this. सिम्पल आर्डर देने से कुछ नही बनेगा। फिर आपने पशु-पालन विभाग को आर्डर दिया कि आवारा पशुओं के उपचार के लिए आप सुनिश्चित कीजिए। पशु-पालन विभाग कहां-कहां घूमता रहेगा। All these orders are utopian. You cannot put them into practice. तो ऐसा आर्डर देने का क्या मतलब है। मेरी आपसे विनती है कि आप जो भी काम करें उसका कोई रिजल्ट तो निकलना चाहिए। आवारा पशुओं के रोकथाम के लिए एक और सरकार ने नीति बनाई है। यह नीति भी हंसने लायक है और यह पढ़ने लायक भी नही है। इसलिए कृपा करके वो आर्डर दीजिए जो प्रैक्टिकल हो और ऑन दि ग्राउंड हम उसको इम्पलीमैन्ट कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

26.08.2015/1600/negi/ag/2

उपाध्यक्षः अब श्री राम कुमार इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम कुमारः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत माननीय महेन्द्र सिंह जी और रिखी राम कौंडल जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है उसपर मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से चर्चा की और यह भी बताया कि इससे पहले कई वर्षों से इसपर गहन चर्चा हुई है लेकिन हम लोग किसी भी नतीज़ा पर नही पहुंच पाये ,चाहे सरकार इनकी आई या हमारी आई। प्रयास हुए ,लेकिन वे कामयाब नही हुए। पूरे प्रदेश में जहां बन्दरों का आतंक है, कई क्षेत्रों में सांड़ों का आतंक है, कई क्षेत्रों में गायों का आतंक है और कई क्षेत्रों में सुअर और अन्य जंगली जानवरों का आतंक है। प्रदेश के लोगों ने हम लोगों के ऊपर विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमें दी। मैंने देखा कि पिछले 3-2 टर्म पहले एक नैना-देवी से विधायक चुन करके आए थे- श्री के.के. कौशल जी , उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया कि इस क्षेत्र में जो यह बन्दरों की समस्या है उस समस्या से मैं आपको निजात दिलाऊंगा। लोगों ने विश्वास करके उनको वोटें दी और

वह विधायक बन करके इस सदन में आ गये। माननीय सदन के सभी सदस्य पक्ष और विपक्ष के इस बात से चिन्तित है और चिन्तन कर रहे हैं और चिन्ता सरकार को भी है। लेकिन एक कंक्रीट डिसीजन लेने की और एक ऐसी पॉलिसी लाने की जरूरत है जिससे इस भयंकर समस्या का समाधान हो सके। मेरा क्षेत्र पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में बंटा हुआ है। कुछ क्षेत्र पहाड़ी है वहां बन्दरों का आतंक है। जो मैदानी क्षेत्र है वहां गाय और सांड जो एक तरफ फसलों को नुकसान कर रहे हैं और दूसरी तरफ रोड़ में बाधा बन करके लोगों की जान से भी खेल रहे हैं। रात के समय जब गायों का झुंड सड़क पर होता है तो ट्रैफिक के कारण पता नही लगता है कि आगे गाय खड़ी है और एक्सीडेंट होता है। कई बाईकर्ज़ की वहां पर मौत हुई है। तो मेरा सुझाव सरकार से यही है, जैसे कहा गया कि वर्ष 2011 में माननीय न्यायालय ने बन्दरों को मारने के लिए एक रोक लगा दी । जैसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने सुझाव दिया, क्योंकि कानून बनाना विधान सभा का काम है

26.08.2015/1600/negi/ag/3

और उसे लागू करना माननीय न्यायालय का काम है। जब सभी हम लोग इस बात से सहमत हैं कि इसपर कानून आना चाहिए।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

26.08.2015//1605यूके/1

श्री राम कुमार--जारी

कि इस पर कानून लाना चाहिए । बंदर आतंकी हो गए हैं । आवारा पशुओं से हमारे जन-मानस को बहुत सारी समस्या हो गयी है, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है । कई ऐसे परिवार जो आज अपनी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं । क्योकि उनके पास एक-दो खेत थे और जो उसमें फसल होती थी वह भी बन्दर खा जाते हैं । आज माहौल ऐसा बन गया है कि यदि खेतों की राखी भी करने जाते हैं तो बन्दर या पशु हमला कर देते हैं । तो इस भयंकर समस्या के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी भी चिंतित है । मेरा माननीय वन मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिए एक ऐसी पॉलिसी इसी विधान सभा सत्र में लाएं जिससे इसका परमानेंट समाधान हो सके । प्रदेश की जनता ने जो हमें जिम्मेवारी सौंपी हैं, बार-बार जब विधान सभा के चुनाव आते हैं तो हम उस समय लोगों

से वायदा करके आते हैं कि हम इस बात को सदन में उठाएंगे और सरकार से उठाएंगे और इस समस्या का समाधान हम करवाएंगे । तो जिम्मेदारी हम सब की है, तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए सरकार का कर्तव्य है कि कोई ऐसी पॉलिसी लाएं जैसे नसबन्दी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बन्दरों को पकड़ते हैं, छोडते हैं, नसबन्दी हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें लोगों को बहुत शंका है । जो बन्दरों की नसबन्दी हो रही है उसमें कामयाब हो रहे हैं या नहीं इसकी कोई चैकिंग मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुई है । तो इस पर भी मंथन करने की जरूरत है । जो नसबंदी हुई है वह कितने परसेंट कामयाब हुई है और कितने बन्दरों की हुई है, किस क्षेत्र से बन्दर पकड़े गए और पुनः उनको किस क्षेत्र में छोड़ा गया और कितने लोगों ने पकड़े । क्या जहां से पकड़े वहां के स्थानीय लोगों को और वहां के जन प्रतिनिधियों को साथ में लिया या नहीं । यदि लिया तो उन लोगों से वह चीज़ दरयाफ़त की जाए कि आपके बाकी क्षेत्रों से बन्दरों को पकड़ा गया या नहीं । अगर दोबारा छोड़ा गया तो कहां छोड़ा गया ? इसके लिए हमारे जन प्रतिनिधि और पंचायतों के लोगों की सहभागिता इन्वाल्व करना मैं समझता बहुत ज्यादा जरूरी होगा ।

26.08.2015//1605यूके/2

मैं एक और सुझाव दूंगा कि फोरस्ट के अलावा एक एजेंसी हायर की जाए, इसका पूरा अध्ययन करके, सरकार के समक्ष सही तथ्य लाएं कि उनकी क्या संख्या है, किस क्षेत्र में कितने बन्दर हैं? कितनी गौएं हैं और कितने आवारा सांड हैं और उनके लिए क्या ट्रीटमैंट हम कर सकते हैं । जैसे अभी गौ-सदन की बात आयी । हमारे क्षेत्र में 3-4 गौ-सदन हैं जो कई धार्मिक संस्थाएं चला रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से चला रही हैं । जैसे माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि गौ-मूत्र बेच रहे हैं, दूध तो शायद नहीं बेचते और उसमें कई दानी लोग कई किस्म का सहयोग करते हैं। तो कई जगहों से मांग आती है कि सरकार जगह देने के लिए सरलीकरण कर दे, शीघ्र उन्हें जमीन ट्रांसफर हो जाए तो उसमें लोग भी सहायता करने के लिए तैयार है क्योंकि इस समस्या से सरकार चिंतित है और समाधान भी करना चाहती है। लेकिन इसका फ्रूटफुल सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं । तो मरा माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इसका कंक्रीट समाधान करने के लिए ,जैसे अभी यहां एक सुझाव भी आया कि विधायकों की एक कमेटी गठित करके किया जाए । मैं समझता हूं जो हमारे दो-ढाई वर्ष बचे हैं, इसमें इसका सॉल्यूशन करके अगले चुनाव में उतरने से पहले हम लोगों को

यह बताएं कि हमने इसका यह समाधान किया है और उसके ये रिज़ल्ट आए हैं । धन्यवाद ।

26.08.2015//1605यूके/3

उपाध्यक्षः अब श्री गोविन्द शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे ।

श्री गोविन्द शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर तथा श्री रिखी राम कौंडल जी ने प्रदेश में जंगली जानवरों और आवारा पशुओं के बारे में जो प्रस्ताव लाया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आपने समय दिया, आपका धन्यवाद ।

सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव यहां पर दिए और मैं समझता हूं कि जंगली जानवरों की समस्या पूरे प्रदेश की समस्या है और आवारा पशुओं की समस्या भी लगभग पूरे प्रदेश में है । जैसा कि सभी ने कहा कि बहुत दफा चर्चा हो गयी लेकिन चर्चा के बावजूद सामने कुछ नजर नहीं आया । लेकिन पहली दफा मैं देख रहा हूं कि दोनों पक्षों की तरफ से

एस0एल0एस0 द्वारा जारी

26.08.2015/1610/sls-as-1

श्री गोविन्द राम शर्मा... जारी

दोनों पक्षों की ओर से बहुत अच्छे सुझाव आए। आदरणीय धूमल जी ने भी अच्छे सुझाव दिए और सत्ता पक्ष से भी आदरणीय उपाध्यक्ष जी आपकी तरफ से, बहन आशा कुमारी जी और अन्य सभी के अच्छे सुझाव यहां पर आए। अगर हम केवल इसमें राजनीति न करें, सब मिलकर आम जनता की समस्या के बारे में सोचें तो इसमें हम सफल हो सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा हम पक्षपात करते हैं। अभी बंदरों की बात चली। मैं नेशनल हाईवे पर रहता हूं। वहां कभी बंदर नहीं होते थे लेकिन अभी लगभग दो सालों से वहां भी बंदर आ गए हैं। हमारा बातल गांव बहुत बड़ा है। वहां तो लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां खेती नहीं हो रही है। लोगों ने मक्की या धान की जगह अरबी इत्यादि लगाना शुरू कर दिया लेकिन इस फसल को सुअर नहीं छोड़ता। मैंने इस बारे में वन विभाग में भी बात की। मैंने अपनी बात भी कही। एक दिन मेरी बहू

गौशाला में गउओं को घास देने के लिए गई और उसके साथ साढ़े दिन साल की छोटी-सी बच्ची भी थी। बंदरों ने जब झपट्टा मारा ,उसको खंरोच तो आई लेकिन उसने बच्ची को बचा लिया। मैंने विभाग के अधिकारियों से बात की। आजकल यहां डी.एफ.ओ. साहब सैक्रेटरिएट में बैठते हैं। ये मेरे क्षेत्र में भी रहे हैं। मैंने इनसे भी रिक्वैस्ट की। इन्होंने विभाग में फोन किया और मैंने स्वयं भी किया लेकिन विभाग ने कुछ नहीं किया। यह केवल मेरे क्षेत्र की बात नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की बात है। विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे क्षेत्र में बाघ ने दो व्यक्तियों को काट दिया। एक को दो महीने हो गए और एक को छः महीने हो गए। नवगांव में काटा। अभी तक उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। इसकी भी हम सबको चिंता करनी चाहिए। बंदरों की स्टरलाईजेशन का जो कार्यक्रम चला है वह न के बराबर है। वर्ष 1975- 76में केंद्र सरकार ने एक स्टरलाईजेशन का कार्यक्रम चलाया था जैसे कि आदरणीय महेश्वर सिंह जी यहां बता रहे थे। जो जहां जा रहा है, जैसे कोई सर्विस को जा रहा है उसको पकड़ लेना; कोई बेलदार है दिहाड़ी लगाने जाता है, उसको पकड़ लेना; कोई खेतों में जा रहा है उसको पकड़ लेना। उस कार्यक्रम को अभियान के तौर पर लिया और

26.08.2015/1610/sls-as-2

स्टरलाईजेशन्ज हुईं। हो सकता है उसका लाभ भी हुआ हो और कहीं विरोध भी हुआ होगा। अगर हम इस तरह की बंदरों की स्टरलाईजेशन का कोई अभियान चलाएं तो उससे भी लाभ हो सकता है। लेकिन यह काम हम सब मिलकर करें। यह करने की आवश्यकता है। अभी सैल की बात कर रहे थे ,अगर सैल मक्की के खेत में आए तो वह मक्की को काटती रहती है, नीचे बिछा देती है और एक रात में ही सारे-के-सारे खेत का नुकसान कर देती है। उसके बारे में वर्ष 2011 में कोर्ट ने कोई स्टे दिया है। उसको वैकेट करने के लिए सरकार प्रयास करे तो उसका लाभ हो सकता है। अभी जो आवारा पशु हैं या जिनको बेसहारा कहते हैं ,उनके लिए हम लोग ही दोषी हैं। गाय जब दूध देती है तो उसको पालते हैं लेकिन जब वह दूध देना बंद करती है तो छोड़ देते हैं। इसके लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। महेन्द्र सिंह जी बता रहे थे कि सरकार ने प्रयास किया ,उनके कान में टैग लगा दिए। लेकिन कई लोग कान ही काट देते हैं। पापी लोग भी समाज में हैं। इसके लिए कुछ-न-कुछ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। मेरे ध्यान में है, माननीय मुख्य मंत्री जी और वन मंत्री जी ध्यान दें ..

जारी ..श्री गर्ग जी

गोविन्द राम शर्मा-----क्रमागत

माननीय वन मंत्री जी आप थोड़ा ध्यान दें, तो बहुत सी ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो इस ओर ध्यान दे रही हैं, चिन्ता कर रही हैं और उन्होंने अपने बलबूते गौशालाएं बनाई भी हैं। एक टूटू के नजदीक है, एक कुफ्री के नजदीक है और मेरे क्षेत्र धुंधन में भी कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनको जमीन नहीं मिल रही। जिस जमीन पर उन्होंने गौशाला बनाई है उसके लिए उन्हें नोटिस आ गया और उसको वैकेट करने के लिए कहा जा रहा है। वे कई बार आपसे भी मिले होंगे एवं माननीय पंचायती राज मंत्री जी से भी मिले होंगे और अन्य लोगों से भी इस बारे में मिले होंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि जो ऐसी संस्थाएं हैं उनको अनुमति दी जाए ,उनको लीज पर जमीन दी जाए या सरकार जैसा चाहे, वैसा करे ,लेकिन उनको इसके लिए जमीन मिल जाए, तो वे भी उन गऊओं को पालने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। वे पालना चाहते हैं। क्योंकि गऊ को हम माता भी कहते हैं और हमारे यहां एक मालपुण्य होती है जो दीवाली से 15 दिन पहले मनाई जाती है। उस दिन बहुत धूमधाम के साथ गऊ का पूजन करते हैं ,गऊ के गले में माला डालकर, उसको नहलाकर, उसको खाने की अच्छे-अच्छी चीजें, चावल इत्यादि देते हैं। हमारी सबकी यह संस्कृति है कि गऊ हमारी माता है। यदि गऊ हमारी माता है, तो उसकी रक्षा के लिए हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरफ हम ध्यान दें। कोर्ट ने भी पंचायतों को आदेश दिए थे कि वहां गौ-सदन बनाया जाए। शायद सरकार के पास इतना पैसा न हो ,लेकिन सरकार उसमें कुछ सहायता करे और मैं तो यह भी कहूंगा कि विधायक भी इसके लिए विधायक निधि से अपनी ओर से इसमें सहायता करें।-(घण्टी)-इसके अतिरिक्त जो बड़े-बड़े मंदिर हैं जिनकी काफी आय है उनसे भी हम लोग बात करें ,तो उससे भी हमारे गौ-सदन बन सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो बंदरों की नसबंदी की बात है इसके लिए हम एक मोबाईल वैन यदि चलाएं, तो अच्छा रहेगा। ये 5-7 स्ट्रलाइजेशन के केन्द्र बनाने से बात नहीं बनती। या तो ये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में बने। अगर नहीं, तो कम-से-कम एक मोबाईल वैन के माध्यम से ही चलते-चलते उनकी स्ट्रलाईजेशन की जाए। उसका भी लाभ हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

26/08/2015/1615/RG/DC/2

उपाध्यक्ष : अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री इन्द्र दत्त लखनपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों द्वारा जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान के बारे में जो प्रस्ताव चर्चा हेतु इस सदन में लाया गया है ,उसमें काफी चर्चा यहां पर हुई है और सभी ने अपने मूल्यवान विचार इस पर रखे हैं। पिछले अढ़ाई वर्षों से इस सदन में हर वर्ष किसी-न-किसी रूप में जंगली जानवरों को लेकर चर्चा होती रहती है और मैं समझता हूं कि पिछले दस वर्षों से यह जंगली जानवरों का विषय अत्यन्त गंभीरता के साथ निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार ने भी लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के काफी प्रयास किए हैं और कर भी रही है, लेकिन जहां तक मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूं कि जब तक इन कार्यक्रमों में आम-जनता की सहभागिता नहीं होगी, हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। जहां तक गौ-सदनों की यहां सभी करते हैं कि गौ-सदनों के लिए सरकार मंदिर के ट्रस्ट्ज से पैसा दे या विधायक निधि से विधायक पैसा दें और हम ऐसा प्रयास करते भी हैं। बहुत से गौ-सदन हमारे प्रदेश में चल भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह आती है कि सरकार पैसा भी लगाए, गौ-सदन भी बनाए ,लेकिन उनका रख-रखाव कौन करेगा? सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है। जब आम-जनता की सहभागिता के लिए या पंचायत स्तर पर सहभागिता के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उस समय आम-जनता भी मूक-दर्शक बन जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि पंचायत स्तर पर गौ-सदन बनाने की बात जो आजकल चल रही है-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

26/08/2015/1620/MS/AG/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (मुख्य संसदीय सचिव)जारी----------

उसमें ज़मीन देने के लिए कोई मुश्किलात नहीं है। मुश्किलात यह है कि उसको चलाना कैसे है। गौ-सदन बन जाएंगे, उसमें पशु भी आ जाएंगे लेकिन उसमें चारा कहां से आएगा? कुछ समय तक तो चारा सरकार देगी लेकिन मेरा यह मानना है कि जो आम जनता है, जो किसान लोग हैं इसमें उनकी सहभागिता होना बहुत जरूरी है। जब गौ-सदन खुल जाते हैं तो लोग नौकरी के लिए दौड़ पड़ते हैं कि इस गौ-सदन में मुझे

नौकर रखा जाए। उसका पैसा कहां से आएगा? जब तक पंचायतों के अंदर कम्युनिटी फण्ड तैयार नहीं होंगे ,पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जब तक इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, जब तक पंचायतों में सेमिनार नहीं लगेंगे और लोगों को इसके साथ ज्यादा-से-ज्यादा जोड़ा नहीं जाएगा, मैं समझता हूं कि ये गौ-सदन हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। मैं जब कहीं जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत से गौ-सदनों में जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी तो बहुत सेवा की जाती है लेकिन जो पशु दूध नहीं देते या जिन्हें हम सांड कहते हैं, उन्हें लेने से वे मना कर देते हैं। उसका नतीजा यह निकलता है कि फिर वही सांड खेतों में इधर-उधर जाकर फसल तबाह करते हैं और लोगों को मारते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही इन दो-अढाई वर्षों में इन सांडों के हमले से लगभग पांच आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। चाहे पशु पालन विभाग है, चाहे वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, जब हम उनसे बात करते हैं कि इनको कहीं ठिकाने लगाया जाए तो वे भी निःसहाय और निरूत्तर हो जाते हैं। उनको भी कोई उपाय नहीं सूझता कि इनको पकड़कर कहां ले जाएं। सरकार के पास भी ऐसा कोई साधन नहीं है जहां इनको पकड़कर रखा जाए। कभी-कभी तो वे इतने आक्रामक हो जाते हैं कि अगर एक-दो भी वे कहीं इकट्ठे कर दिए जाएं तो वे आपस में ही इतनी भिड़न्त करते हैं और इतनी आवाजें निकालते हैं कि उससे आदमी सहम जाता है। यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसलिए इस हेतु गंभीरता से निर्णय लेने की जरूरत है। यह सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ देना भी न्यायोचित नहीं होगा। इसमें आम जनता की सहभागिता, चुने हुए प्रतिनिधियों की सहभागिता बनाई जानी बहुत जरूरी है। बहुत सी एन0जी0ओज0

26/08/2015/1620/MS/AG/2

भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। जैसाकि यहां चर्चा में भी आया कि एन0जी0ओज0 इस पर काम कर रही हैं। परन्तु बहुत सी एन0जी0ओज0 ऐसी हैं जो लाभ वाले कार्य की तरफ ज्यादा आकर्षित रहती हैं। उपाध्यक्ष जी, यह समाज सेवा से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। यदि सही तरीके से इसको चलाना है तो हमें कार्य संस्कृति के ऊपर बल देना चाहिए।

आज गांव के अंदर बंदरों और आवारा पशुओं की वजह से खेत बंजर हो रहे हैं। वह एक कारण है लेकिन बहुत सी ऐसी भी समस्याएं देखने को आती हैं जैसे हमारे गांव के अंदर कार्य संस्कृति समाप्त हो गई है। लोग ताश खेलने में अपना समय व्यतीत करते हैं और चर्चा-परिचर्चा में कि सरकार किसकी है और किसकी आगे बनेगी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन जब काम करने की बात आती है और कहा जाता है कि काम करो

तो वे यही सोचते हैं कि हमें इस काम के बदले में कुछ मिलना तो है नहीं, क्यों अपना समय व्यर्थ गवाएं। यह भी एक बहुत बड़ी कमी हमारे समाज के अंदर पैदा हो गई है। जहां तक बंदरों की बात है। आज बंदरों को जंगलों से शहरों की तरफ लाने के लिए भी मैं समझता हूं कि हम लोग काफी भागीदार हैं। आज जो वन-महोत्सव किए जा रहे हैं उसके तहत जंगलों में नये-नये पौधे लगाए जा रहे हैं, फलों वाले पौधे रोपित किए जा रहे हैं लेकिन अभी उनको बनने में समय लगेगा परन्तु तब तक जो बंदरों का टेस्ट है, वह ब्रैड, पकौड़े, हलुआ-पूरी और चने खाने का हो जाएगा। वे फिर जंगल में क्यों जाएंगे? आज लोगों को इतने ग्रह हो गए हैं कि वे सब ग्रहों का टाला करने के लिए बंदरों को चने, गुड़, ब्रैड और रोट बनाकर खिला रहे हैं। पड़ोसी भूखा मर रहा है उसको नहीं खिला रहे हैं लेकिन बंदरों को खाना डाल रहे हैं। जब बंदरों के मुंह में ये सारी चीजें लग जाएंगी तो फिर बंदर जंगलों में क्यों जाएंगे? जंगलों में आग लगाई जा रही है। अपने लाभ के लिए जंगलों को जलाया जा रहा है। इसके लिए कहीं-न-कहीं हम भी दोषी हैं। ये सारी चीजें हम सरकार के ऊपर ही डाल दें कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

26.08.2015/1625/जेएस/एजी/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपान (मुख्य संसदीय सचिव)-------:जारी----

इन सारी बातों को अगर हम सरकार के ऊपर ही डाल दें और कह दें कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है इसमें आम जनता को भी सोचने-समझने की जरूरत है। साथ में हमें भी गम्भीरता से और सकारात्मक रूप से लोगों के साथ मिल कर इस कार्यवाही को अन्जाम देने की जरूरत है। जहां तक सरकार की बात है हम इसके ऊपर गम्भीर है और हमारे पक्ष व विपक्ष के माननीय लोग जो यहां पर बैठे हैं ये सभी इस बारे में गम्भीर हैं। इसमें मेरा सुझाव है और यहां पर मेरे से पहले के जो वक्ता थे उन्होंने भी अपने सुझाव रखे, मैं भी उनमें अपने आपको शामिल करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि पक्ष व सत्ता पक्ष के लोग आपस में कमेटियां बनाएं और उसके ऊपर निरन्तर मीटिंग की जाएं और सुझाव लिए जाएं कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जाए। यह समाज से से जुड़ी हुई समस्या है और सभी विधायकों को अपने इलाको में जाते हुए इस समस्या से जूझना पड़ता है । इस समस्या का समाधान मिल-बैठकर ही होगा । केवलमात्र सदन के अन्दर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें धरातल पर

व्यवहारिक रूप से गांवों के अन्दर जा कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा। इस पर काफी लम्बे समय से चर्चा हो रही है और सभी माननीय विधायकों ने यहां पर अपने-अपने सुझाव रखे हैं। सरकार ने भी अपने आंकड़ें प्रस्तुत किए हैं। लेकिन इसका समाधान तभी हो सकता है जब हम मिल बैठ कर चर्चा करें और नये-नये प्रयोग इसके लिए किए जाएं ताकि इस विकराल समस्या का समाधान हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जयहिन्द।

26.08.2015/1625/जेएस/एजी/2

उपाध्यक्षः श्री नरेन्द्र ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जिस गम्भीर समस्या के ऊपर सुबह से चर्चा हो रही है, आपने उस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। सुबह से दोनों पक्षों द्वारा बड़ी पॉजिटव-वे में बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। पिछले सैशन में भी इतनी ही डिटेल से डिस्कशन हुई थी, लेकिन कमी कहां आई उस सैशन से आज तक इस समस्या की जो पॉजिटिव एग्ज़ीक्यूशन होनी चाहिए थी वह नहीं हुई और यह समस्या पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। अब यह समस्या नहीं रही बल्कि विकराल रूप ले चुकी है। एक लिमिट होती है। यह समस्या डेंजरस प्वाईंट को क्रॉस कर चुकी है। जब कोई समस्या डेंजरस प्वाईंट को क्रॉस कर जाए तो हमारे पास क्या विकल्प बच जाता है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

हमारे पास दो ही विकल्प बच जाते हैं या तो हम उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वहां से भाग कर कहीं और चले जाएं या फिर किसी भी ढंग से उस समस्या का वहीं पर बैठ कर मुकाबला किया जाए। हम भाग तो सकते नहीं हैं। अब इस समस्या का समाधान हमें यहीं बैठ कर ढूंढना पड़ेगा। यह ठीक है सारे प्रदेश में यह समस्या है लेकिन हमीरपुर जिला इस समस्या से सबसे बुरी तरह प्रभावित है। बदकिस्मती से हमारी मेन क्रॉप मक्की की फसल है और चाहे बन्दर है, चाहे सूअर हैं, चाहे आवारा पशु हैं इस फसल का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। एक तो आधे से ज्यादा किसानों **ने**

फसल बीजना बन्द कर दी है और जो फसल बीजी भी है मैं दावे से कहता हूं कि 10 प्रतिशत फसल भी किसान अपने घर लेकर नहीं आ पाएंगे। यह नैचुरल फिनोमिना है। जब कोई स्पीशिज़ लुप्त होने के कगार पर आ जाए तो सरकार का यह फर्ज़ बनता है इसको प्रोटैक्ट करने के लिए लाखों-करोड़ों रूपया खर्च करना पड़ता है, लेकिन जब कोई स्पीशिज़ जिसकी आबादी लिमिट से

26.08.2015/1625/जेएस/एजी/3

ज्यादा क्रॉस कर जाए तो उसको कन्ट्रोल करने का भी सरकार का फर्ज़ बनता है।

श्रीमती के.एस.द्वाराजारी----------

26.08.2015/1630/केएस/एजी/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी---
उसको कंट्रोल करना सरकार का फर्ज़ बनता है। अब जब स्पीशिज़ को बचाने के लिए उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो स्पीशिज़ की संख्या कम करने के लिए भी सरकार गम्भीरता से सोचे। जहां तक मेरा विचार है, कानून में यह कहीं नहीं लिखा है । अब यह समस्या हमारी जान के लिए खतरा बन चुकी है। कानून ने भी हमें राईट ऑफ प्राईवेट डिफैंस दिया हुआ है और हमारी जान को यदि किसी आदमी से भी खतरा हो जाए और हम उसका मर्डर कर दें तो भी ऑफैंस नहीं होता लेकिन ये तो जानवर है और यह अधिकार तो कानून ने हमें दिया है। अभी तीन महीने के जिस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने आए हैं तो क्या हम अपनी जान बचाने के लिए उनको मार नहीं सकते? आप जो मर्जी कर लीजिए चाहे नसबन्दी कर लीजिए, चाहे उनको बाड़े में बंद कर लीजिए यह समस्या हल होने वाली नहीं है। चाहे आज कीजिए या देर से कीजिए किलिंग के अलावा इस समस्या का कोई हल नहीं है। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गांव में सैल्फ प्रोटैक्शन के लिए, क्रॉप्स की प्रोटैक्शन के लिए जो लोग लाईसैंस के लिए अप्लाई करते हैं उनको लाईसैंस दिया जाए और सरकार भी इस बारे में सोचें कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है और दोनों पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर सोचें और हाई कोर्ट में हम इस ढंग से अपने केस को प्लीड करें कि इनसे ह्यूमैन लाईफ को खतरा है और हम

उनको डैटा बताएं। पिछले चार महीनों के आंकड़े जो आज आए हैं, उनके अनुसार चार आदमियों की जान गई हैं, 45 घायल हुए हैं और एक परमानैंट हैंडिकैप हुआ है यह तो हमारी चार महीने की रिपोर्ट है और अगर हम पूरे साल का इस तरह का डैटा इकट्ठा करके हाई कोर्ट में अपना केस प्लीड करें तो हाई कोर्ट भी यही कहेगा कि सैल्फ प्रोटैक्शन के लिए जब ह्यूमैन लाईफ खतरे में है तो उसको प्रोटैक्ट करने के लिए इनकी किलिंग अलाऊ कर देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इसके लिए हमें हाई कोर्ट में अपना केस सही ढंग से प्लीड करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी सुझाव आए उनकी तरफ भी सरकार विचार करें। जैसे अभी लखनपाल जी ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि

26.08.2015/1630/केएस/एजी/2

गऊओं का संरक्षण कैसे किया जाए। ज्यादा न बोलता हुआ मेरा सरकार से यही निवेदन है कि मेरे हिसाब से किलिंग के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इस बारे में सरकार सोचें और जो नसबन्दी के बारे में कहा जा रहा था, पता नहीं किस ढंग से नसबन्दी हो रही होगी क्योंकि कल मैं माल रोड़ पर घूम रहा था, मैंने देखा कि हर बन्दर के पास एक बच्चा है । अगर नसबन्दी का कार्य इस ढंग से हो रहा है तो मैं नहीं समझता कि इससे पॉपुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा। जैसे संजय गांधी ने नसबन्दी का कार्यक्रम शुरू किया था, उसी ढंग से बूढ़े, नौजवान, बच्चे और फीमेल बन्दरों की सबकी नसबन्दी की जाए तब कोई हल निकलेगा अदरवाईज़ कोई हल नहीं निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

26.08.2015/1630/केएस/एजी/3

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत इस माननीय सदन में श्री महेन्द्र सिंह और श्री रिखी राम कौंडल जी ने प्रस्ताव रखा है कि "प्रदेश में जंगली जानवरों व आवारा पशुओं द्वारा जान-माल एवं फसलों को ही रही क्षति से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करें।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सुबह से ही इस माननीय सदन में विस्तार से चर्चा हुई है। जहां तक आवारा पशुओं का प्रश्न है, पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह-जगह आवारा पशु देखने को मिलते हैं और जो बेसहारा गऊंएं हैं, हमारी जो

धार्मिक भावना थी, गाय को हम माता मानते थे और माता तो बेसहारा थी ही, साथ में माता के साथ बैल यानि पिताजी भी आ गए और उनके साथ महा-पिताजी यानि सांड भी आ गए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

26.8.2015/1635/av/ag/1

श्री किशोरी लाल ------जारी

सांड भी आ गये जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में विकराल समस्या पैदा हो गई है। पशु किसके हैं? पशु हम लोगों के हैं। हम लोगों ने धार्मिक भावनाओं से हटकर इन बेसहारा गायों को आवारा छोड़ दिया है। अब जो आवारा गाय हैं उनके खाने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। ये आवारा पशु हमारे शहरों और कस्बों में जगह-जगह पर पड़ी हुई गंदगी को खाते हैं। ये आवारा गाय-बैल किसान की फसल को नष्ट करते हैं और पकड़े जाने पर इन्हें बेरहमी से पीटा जाता है और इससे हमारे यहां के लोगों को धार्मिक आघात पहुंचता है। अगर हम बेसहारा पशुओं को समय रहते सहारा नहीं देंगे तो यह समस्या और ज्यादा विकराल हो जायेगी। हमारे प्रदेश और देश में, खासकर हिमाचल प्रदेश में गाय का वध नहीं होता। मुस्लिम देश में आवारा पशुओं को काटकर खाया जाता है। मगर हमारे हिन्दू धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यहां पर यह समस्या बढ़ी है। यह ठीक है कि जो किसान बैलों से खेती करते हैं, जिनके पास दो बैल हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बैलों के साथ एक आवारा पशु बांधे और उसके लिए उसको कुछ राहत राशि दी जाए। इस तरह से इस समस्या से काफी राहत मिल सकती है। गोसदन में भी गाय पालना आसान नहीं है क्योंकि हमारे प्रदेश में तो ज्यादा तूड़ी नहीं होती है। तूड़ी पंजाब से लानी पड़ती है और तूड़ी का भाव 8-10 रुपये प्रति किलोग्राम है। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे में गोसदन में कितने पशु रखे जायेंगे और उनके लिए पैसा कहां से आयेगा? इसका एक समाधान हो सकता है। जैसे हम टैक्स लगाते हैं, उसमें गो-टैक्स के नाम से कोई टैक्स जोड़ा जाए ताकि खजाने में इजाफ़ा हो तथा उससे और गोसदन खोले जाएं। जहां तक बंदरों से उत्पन्न समस्या का प्रश्न है तो मैं बैजनाथ की बात करना चाहता हूं। बैजनाथ में बंदर पहले से थे मगर वे सिर्फ शिव मंदिर के आस-पास दिखाई देते थे। परंतु अब गांव में भी बंदर फैल गये हैं। वहां बंदरों की संख्या में इजाफ़ा हुआ है। जहां तक इनकी नसबंदी का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि नसबंदी से इनकी संख्या में कोई कमी या रुकावट आई हो। इनकी संख्या में दिन-

26.8.2015/1635/av/ag/2

प्रतिदिन इजाफ़ा होता जा रहा है। अब बंदर भी कोई हनुमान नहीं रहे ये इनसान को भी काट रहे हैं। इनसान को काटने से जो अब स्थिति उत्पन्न हुई है वह धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि इनको खत्म कर दिया जाए और यही इस समस्या का समाधान है। पशुओं को आप बांध सकते हैं मगर बंदरों को आप कहां ले जायेंगे? न तो इनको ऐक्सपोर्ट किया जा रहा है और न ही इनको यहां रखने का स्थान है। अब जंगलों में फलदार पौधे नहीं रहे। पहले घरना, आखा, कैथ, जंगली आम इत्यादि कई फल हुआ करते थे। मगर अब ये फल देखने को नहीं मिलते क्योंकि जंगल को काटने वाले लोगों ने लकड़ियों के लिए उन फलदार पौधों को तबाह कर दिया है। जिसके कारण अब उनको जंगलों में खाने को कुछ नहीं मिलता और बंदर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को समय रहते एक योजना बनानी होगी ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसान खेती से जुड़े रहें तो उनको राहत पहुंचाने के लिए हमें कोई योजना बनानी होगी। यह बहुत ही जरुरी है। अगर हम समय रहते कोई योजना बनायेंगे तो हमारी खेती बचेगी। हमारे अब छोटे-छोटे खेत रह गये हैं क्योंकि समय-समय पर परिवार अलग-अलग होते चले गये और बंटवारा होने से हमारे खेत भी छोटे होते चले गये। उन खेतों को ठीक ढंग से मेन्टेन करने के लिए ------

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

26.08.2015/1640/टीसी/ए0एस0/1

श्री किशोरी लाल--- जारी

उन खेतों को ठीक ढंग से मन्टेन करने के लिए जो उन खेतों के मालिक है उन्हें ट्रेनिंग देने होगी, कि वह खेती से हटकर ऐसी कोई खेती तैयार करें जिससे उनका रूझान बढ़े। हमारे इलाके में बरसात के दिनांक में केवल धान की फसल होती है और सर्दियों में गेहूँ की फसल होती है। इससे हटकर कोई नई तकनीक अपनाई जाये, ताकि जो हमारे युवा है वह उसकी ओर रूख्सत हो। तभी हमें लाभ मिलेगा। खेती से मुहँ मोड़कर आज हमारे खेत विरान होते जा रहे हैं। एक साल हम खेती नहीं करेंगे तो वहाँ पर फूलणू जमेगा, कांटेदार झाड़ियां जम जाएगी और हमारे खेत विरान हो जाएंगे। हमारे जो किसान है वह खेती से मुहँ मोड़ लेगें। इससे हमारे प्रदेश को बहुत भारी नुकसान होगा। मेरा आग्रह रहेगा कि इस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र सरकार प्रयत्न करें। ताकि

लोगों के जान-माल का नुकसान न हों। मैं इतना कहता हुआ, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया धन्यवाद, जयहिन्द।

अध्यक्षः हमारे पास कुल 20 मिनट हैं। इसमें जबाव भी देना है। मैं कहूँगा कि बहुत सारे मैंबर्ज बोल चुके हैं। अब यदि मैंबर्ज दो-दो मिनट बोलें तो अच्छी बात है। अगर ज्यादा बोलेंगे तो मैं माईक बन्द कर दूँगा।

26.08.2015/1640/टीसी/ए0एस02/

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, नियम-130 के अन्तर्गत हमारे वरिष्ठ विधायक ठाकुर महेन्द्र सिंह जी और श्री रिखी राम कौंडल जी ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है, मैं उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष जी, मेरे नाचन विधान सभा क्षेत्र में भी जंगली जानवरों का आतंक बहुत बड़ी संख्या में है। इसके साथ ही आवारा पुशओं से भी लोगों को बहुत सी पेरशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, यदि मैं नाचन विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो कोई भी क्षेत्र, कोई भी पंचायत, कोई भी गांव और कोई भी शहर, गली-महौला ऐसा नहीं बचा है, जहां पर जंगली जानवरों व आवारा पशुओं का आतंक नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र नाचन में बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने इन जंगली जानवरों के कारण खेती करना छोड़ दी है। क्योंकि पूरी की पूरी खेती/फसलें जंगली जानवर तबाह कर देते हैं। अध्यक्ष जी, यदि कुछ किसान खेती करते भी हैं तो उन किसानों की खेती की थोड़ी बहुत फसल जो जंगली जानवरों से बच जाती है ,उस फसल को आवारा पशु नहीं छोड़ते । अब तो आलम यह हैं कि पहले जंगली जानवर फसलों को तबाह करते थे, परन्तु अब तो ये जंगली जानवर मनुष्य को भी शिकार बनाने लगे हैं। अध्यक्ष जी, हम आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि बन्दरों ने दो महिलाओं को घायल कर दिया। मेरा सरकार से निवेदन है कि पिछले अढ़ाई या तीन वर्षों से, हर बार विधान सभा सत्र के दौरान जंगली जानवरों और आवारा पशुओं को लेकर चर्चा करते हैं।

श्रीमती एन0ए0 द्वारा जारी ---

26.08.2015/1645/DS-NS/1

श्री विनोद कुमार ---------**क्रमागत।**

अवारा पशुओं को लेकर चर्चा हमेशा करते हैं मगर सरकार ने शायद चर्चा के सिवाए इस विषय को लेकर कुछ नहीं किया है। यदि सरकार ने इस दिशा को लेकर ठोस कदम उठाए होते तो शायद कुछ हद तक इस समस्या हल निकल सकता था। मगर सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यदि हम किसानों का भला करना चाहते हैं, हम किसानों की मदद करना चाहते हैं तो जिस तरह भारी बरसात, बाढ़ आने के कारण, ओलावृष्टि होने के कारण, और बादल फटने के कारण हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं तो उन किसानों को सरकार उचित मुआवज़ा देती है। मैं चाहूंगा कि उसी की तर्ज़ पर उन किसानों को भी उचित मुआवज़ा मिले जिनकी फसलें जंगली जानवरों द्वारा तबाह की जाती हैं या अवारा पशुओं द्वारा तबाह की जाती हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार कोई ऐसी नीति बनाए ताकि जंगली जानवरों और अवारा पशुओं से हो रहे नुकसान से निज़ात मिल सके। चर्चाओं से नहीं काम करने से बात बनेगी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए समय दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

समाप्त।

26.08.2015/1645/DS-NS/2

अध्यक्ष महोदयः कृप्या पांच मिनट का समय लें।

श्री रवि ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंर्तगत प्रस्ताव श्री महेन्द्र सिंह जी व श्री रिखी राम कौंडल जी ने रखा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मैं अपना वक्तव्य आपके सामने रखूंगा। अभी ज्यादातर जंगली जानवरों व अवारा पशुओं की बातें हुई उसमें लाहौल-स्पिति ऐसा इलाका है जो कि बहुत दुर्गम और दूर-दराज़ क्षेत्र है। यह सभी को मालूम है कि मौसम के हिसाब से वहां भारी हिमपात होता है। मगर यह इलाका भी अवारा पशुओं और जंगली जानवरों से अछूता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वहां पर जो जंगली जानवर होते हैं उसमें मैमल्ज़ में ब्राउन बीयर, रैड बीयर, हिमालय आईबैक्स, ब्लू शीप, स्नो लैपर्ड ,तिब्तीयन वोल्फ , रैड फोक्स, कॉमन फोक्स, मस्कडियर और पक्षियों में चोकोर, स्नो कॉक, चुग (पीज़न)

जो कॉमन में हैं, वाटर पोंडज़ और इस तरह से हमारे वहां ये पक्षी हैं। ये वहां पर फसलों को क्षति पहुंचाते हैं। इसमें खासतौर से जैसा कि यहां बंदरों की समस्या ज्यादा है तो मैने यह पाया कि मैं जब भी कुल्लू-मनाली से लाहौल-स्पिति जाता हूं तो वहां पर कभी भी बंदर नहीं होते थे। मगर उस इलाके में भी बंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस समस्या पर जो मुझसे पूर्व सीनियर्ज जो हमारे वक्ता और विधायक हैं उन्होंने इस पर चर्चा की है। अध्यक्ष जी, उससे अवश्य हमें फायदा होगा। मैं सिर्फ लाहौल-स्पिति में जो दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा परेशानी हमें भालू से है। वहां पर लाल और काला भालू बहुत ज्यादा होते हैं। इन्होंने क्या किया है कि भरमौर की तरफ जो कुगती और पांगी सेतु सैंक्चुरी है वहां से जितने भी भालू आ रहे हैं वह हमारी फसलों को नष्ट कर रहा है और ज्यादातर खेतों में रात को फैमिलीज़ की फैमिलीज़ आती हैं और हमारे वहां पर जितने भी सेब के पेड़ हैं उनको तोड़ देते हैं और सेबों को नष्ट किया जा रहा है। इसी तरह से वहां पर जब हम मटर के बीज लगाते हैं तो वह रात को आकर उनको भी खा रहे हैं। भालुओं से बचने के लिए हमने वहां पर करंट की तारें भी लगाई हैं कि रात का भालू आएं तो उनसे बचाव हो सके। मगर उससे भी

26.08.2015/1645/DS-NS/3

ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। भालू इटिंग लाइव स्टॉक को भी खत्म कर रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर इटिंग लाइव स्टॉक के एक फैंस बनाया जाए उससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। वहां पर वन विभाग के लोगों के पास ट्रैंक्यूलाईज़र गन हो ताकि बेहोश करके उनको केज़ में बंद करके जू में भेजा जा सकता है। उसके ऊपर विचार करना होगा। नहीं तो वहां पर बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। वहां पर लोग शाम को घूम नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें भारी भय रहता है कि कब भालू सामने से आ जाए और उन्हें जानमाल का नुकसान पहुंचा दे। इसी तरह से वहां पर स्नो लैपर्ड हैं । स्नो लैपर्ड तकरीबन 25 से 30 की संख्या में हैं और स्पिति घाटी में भी स्नो लैपर्ड बहुत हैं। स्नो लैपर्डने हमारे याक और घोड़े तकरीबन खत्म कर दिए हैं। किब्बर की तरफ और ऊपर की तरफ टैरेन है जैसे पिन वैली में हमारे थोड़े बहुत पशु रहे हैं। वहां पर लोग याक से बहुत ज्यादा फायदा लेते हैं। हल बगैरा जोतने के लिए।

श्री नेगी द्वारा ------ जारी।

26.08.2015/1650/negi/DC/1

श्री रवि ठाकुर.. जारी..

वहां पर हमारे लोग याक से बहुत ज्यादा फायदा लेते हैं । याक हल वगैरह जोतने में भी बहुत ज्यादा काम आता है। लेकिन स्नो लैपर्ड से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। स्नौ-लैपर्ड के लिए हम लोग ऊंचे-ऊंचे जगहों पर, पहाड़ों पर वाटर पौंडज़ बना सकते हैं जिससे कि वे नीचे न आएं और उनकी प्यास वहीं पर ही बुझ सके। घोड़ों और याक के लिए शैड बनाए जाएं-याक शैड, उसकी फैंसिंग होती है। स्पिति घाटी में और लाहौल घाटी में जो वैजिटेबलज़ हैं, सेब है और मटर है। ...(घंटी) ..इनको ज्यादा नुकसान भालू से पहुंच रहा है। हमारे माननीय पशु-पालन मंत्री यहां बैठे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे वहां पर कुछ समस्या कुत्तों से भी है। वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में आवारा कुत्ते हैं। पूरे स्पिति घाटी में जितने भी कुत्ते हैं लोग रात को उनको काज़ा में छोड़ देते हैं और रात को वे सोने नहीं देते हैं। आपका जो स्टेरिलाइजेशन का ड्राईव चला है, माननीय मंत्री जी अभी महेश्वर सिंह जी से बात करने में बिजी हैं, मेरा मंत्री जी से यही गुजारिश है । मैं ऐक्शन प्लान में यह भी चाहूंगा कि हमारे फोरेस्ट मिनिस्टर पटाखों का भी इन्तज़ाम करें और अवैयरनैस शिविर भी लगाएं कि किस तरह से इनको डरा करके भगाया जा सकता है। पटाखों से और केज़ बनाने से काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा हमारे यहां पेड़ उगाये जा सकते हैं।...(घंटी)... जैसे जामुन के पेड़ हैं, कैक्टस के पेड़ हैं, कैंथ के पेड़ हैं ताकि वर्डज़ तथा अन्य जानवर इन पेड़ों के फलों को खा सकें और ये हमारे खेतों में नुकसान न पहुंचाये। इसी के साथ, क्योंकि समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद, जयहिन्द।

26.08.2015/1650/negi/DC/2

अध्यक्षःअब श्री सुरेश कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष जी, नियम-130 के तहत माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी व श्री रिखी राम कौंडल जी ने जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखा है, मैं भी उसपर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं और बन्दरों की स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और ज्यादातर लोग यहां कृषि करते हैं । परन्तु जनसंख्या की वृद्धि **और**

जंगली जानवरों के आतंक के कारण आज लोगों का मोह कृषि से भंग होता जा रहा है। आज जंगली जानवर, चाहे बन्दर की बात है, लंगूर है, शैल है, खरगोश है या अन्य जंगली जानवर हैं, पूरे प्रदेश में हमारे किसान भाईयों की खेती को नष्ट कर देते हैं। हमारे किसान भाई मुख्यतः मेरे क्षेत्र में हमारी जो परम्परागत खेती थी मक्की की या धान की खेती जो इस सीजन में होती थी लोगों ने उसको बन्द करके कैश क्रॉप्स की ओर ध्यान देना शुरू किया था। परन्तु आज दुर्भाग्य इस बात का है कि आज के समय में बन्दर और दूसरे जंगली जानवर टमाटर और शिमला-मिर्च की कैश-क्रॉप्स जो हमारे इलाके में होती हैं उसको भी नष्ट करने में लग गये हैं। दिन में बन्दर और लंगूरों का आतंक होता है और रात के समय में सुअर और शैल व दूसरे जंगली जानवर किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसानों के पास आज कोई अल्टरनेट इससे बचने का नही रहा। पिछले 3 सत्रों से लगातार हम भी इस चर्चा में इस सदन में भाग ले रहे हैं। हर बार सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाते हैं, हर बार तथ्य दिये जाते हैं कि बन्दरों की संख्या में कमी आ रही है और दूसरे जंगली जानवरों की संख्या में कमी आ रही है। परन्तु वास्तव में ऐसा नही है। जहां तक बन्दरों की नसबन्दी की बात की जाती है, मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा हो रहा है। जिन बन्दरों की नसबन्दी भी की जाती है वे और ज्यादा भयानक रूप धारण कर लेते हैं । बन्दरों को पकड़ कर...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

26.08.2015//1655यूके/1

श्री सुरेश कुमार--जारी

बन्दरों को पकड़ कर नसबंदी के लिए ले कर जाते हैं और वापिस ला कर उन्हें छोड़ दिया जाता है जिससे वहां पर जो पहले से बन्दर होते हैं उनको भी एक प्रकार से उन बाहर से आए बन्दरों के प्रति एक दुर्भावना आ जाती है और उन बन्दरों में आपस में भी भयंकर रूप से लड़ाई होती है और ये बन्दर और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेते हैं । आज यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसका एक मुख्य कारण यह है कि हमने प्राकृति के साथ छेड़छाड़ की, जंगलों को काट दिया जिससे हमारे जंगली जानवरों को जंगलों में खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता । परिणामस्वरूप उन्हें गांवों तथा शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है । हमें आज इस गंभीर स्थिति पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रकार से इन जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, हमारे किसान भाई कृषि से विमुख हो कर गांवों से पलायन कर रहे हैं । जहां तक

आवारा पशुओं, गाएं ,बैल आदि की बात है, इससे भी स्थिति और ज्यादा भयानक हो रही है । हमारे लोग जो पशु दूध देना बन्द कर देते हैं उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं । इससे न केवल दुर्घटनाएं हो रही है, बल्कि पिछले दिनों मेरे चुनाव क्षेत्र में एक गाय को एक वाहन ने टक्कर मारी जिससे गाय की मौत हो गयी और रात को जब टमाटर से लदी गाड़ी उस गाय के पास पहुंची तो उस गाड़ी का टायर जैसे ही उस गाय के ऊपर गया वैसे ही गाड़ी पलट गयी और उसमें दो नौजवानों की मौत हो गयी । इस प्रकार से अनेक दुर्घटनाएं आज आवारा पशुओं के कारण हो रही हैं । तो मेरा इस सरकार से और मंत्री महोदय से भी निवेदन रहेगा कि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए । न केवल इस सदन में इसकी चर्चा हो परन्तु कोई ठोस कदम उठाए जाएं ताकि इस बन्दरों की समस्या और आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिल सके । हमारे किसान भाई बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको भी इससे निज़ात दिलायी जाये । ऐसा मेरा आह्वान रहेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

26.08.2015//1655यूके/2

श्री बिक्रम सिंह जरयालः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो आज नियम 130 के अर्न्तगत जो प्रस्ताव हमारे आदरणीय श्री महेन्द्र सिंह जी और श्री रिखी राम कौंडल जी इस सदन में लाए हैं, यह अति चिंताजनक विषय है । हमें खेद है कि यह प्रदेश की जटिल समस्या चर्चा समस्या बन कर रह गयी है, इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है । हम सब हिमाचल प्रदेश के साथ जो भी माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं, जनता के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं केवल चर्चा ही करते हैं इसके ऊपर कोई ठोस नीति नहीं बनाई जा रही है । न कोई अमल हो रहा है । मैं मुख्य मंत्री महोदय और वन मंत्री महोदय से यह आग्रह करता हूं कि जिला चम्बा बाकी क्षेत्रों से हट कर के है । यहां पर आवारा पशु, बन्दर सुअर के अलावा भालू, रीछ, बाघ और सेहल का भी बहुत आतंक है । हमारे यहां अधिकतर माइग्रेट और घुमंतु लोग हैं जो 6 महीने के लिए ऊपर के क्षेत्र में और 6 महीने के लिए नीचे के क्षेत्र में रहते हैं । उनकी एक साल में एक ही फसल होती है । उसको भी जंगली जानवर नहीं छोड़ते । यहां पर जो चम्बा के विधायक व मंत्री जी बैठे हैं वे इस बात से अवगत हैं । मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इन लोगों को जंगली जानवरों से बचने के लिए गन लाइसैंस मुहया करवाया जाए । कई लोगों ने एप्लाई किया हुआ है लेकिन उनको वह समय पर नहीं मिल रहे हैं । उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा

है । हाल ही में 13 अगस्त को मेरी एक काहली पंचायत है वहां मनीषा सुपुत्री स्वर्गीय श्री कमल लाल, यह 11 साल की लड़की है । एक लंगूर ने इसके ऊपर हमला कर दिया वो लड़की खेत में मक्की की रखवाली के लिए गयी थी, छुट्टी का दिन था । उसको चुवाड़ी से टांडा रैफर किया गया और फिर टांडा से आई0जी0एम0सी0, शिमला में रैफर किया गया वहां पर वह 12 दिन रही है और उपचार के बाद उसको वापिस भेजा गया । इसी तरह से 17 अगस्त को काहली पंचायत में एक महिला नत्थो देवी वाईफ ऑफ लाहोलू राम, गांव रखेड़, ग्राम पंचायत काहली, इसके ऊपर 4-4 बंदर पड़ गए ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी

26.08.2015/1700/sls-ag-1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल...जारी

बंदरों ने हमला किया। उसको डलहौजी रैफर किया गया जहां से फिर उसे आगे चम्बा रैफर किया गया। चम्बा में 15 दिन तक वह अस्पताल में दाखिल रही। इसलिए हमारे जो ऊपरी क्षेत्र के लोग हैं उनको गन लाइसैंस मुहैया करवा जाने चाहिए ताकि वे अपनी खेती, भेड़-बकरी, गाय-भैंस और अपनी सुरक्षा कर सकें। ऊपरी क्षेत्र से आए दिन समाचार आते हैं कि 20 भेड़-बकरियां बाघ ने मार दीं या गायं मार दी। जब मुआवजे की बात की जाती है तो पशु पालन या वन विभाग के लोग उस इंटिरियर इलाके में नहीं जाते क्योंकि वहां 20-25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। इसलिए उन गरीब लोगों को समय पर उचित मुआवजा नहीं मिलता क्योंकि उनका कोई निरीक्षण नहीं होता; उस मुआवजे के लिए सरकार हर प्रकार के डाकुमैंट्स मांगती है जो तैयार नहीं हो पाते और लोग मुआवजे से वंचित रहते हैं।

अध्यक्ष : जरयाल जी, आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं।

अगर माननीय सदन की अनुमति हो तो सदन की बैठक को आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। अभी मंत्री जी उत्तर भी देंगे।

(सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई।)

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, इस चर्चा का उत्तर कल दिया जाए। सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। विभाग इस पर पूरा मंथन करने के बाद माननीय मंत्री जी, बल्कि हम चाहेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी कल इसका जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष : अभी एक और माननीय सदस्य बोलने के लिए शेष हैं। जरयाल जी, आप वाईंड अप कीजिए।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर चर्चा में भाग लिया और अपने विचार रखे। आज प्रदेश में कुत्तों की भी संख्या बढ़ रही है। वर्ष

26.08.2015/1700/sls-ag-2

2009, 2010 या 2011 की बात है। मैं उस समय जिला परिषद् में था। पंचायतों को और नगर निकायों को आदेश होते थे और आवारा कुत्तों को मारने की उनको अनुमति होती थी। इसके लिए हैल्थ डिपार्टमैंट दवाई देता था। उनको मारा जाता था। नगर निकाय उनको जंगल में ले जाकर दबा दिया करते थे। यह प्रावधान दोबारा से किया जाए ताकि लोगों को पागल कुत्तों के काटने से निजात मिल सके। प्रदेश में गरीब लोग हैं जबकि इसका इंजैक्शन 1500, 2000 या 3000/- रुपये में मिलता है। जब कुत्ता काटता है तो ज्यादातर अस्पतालों में इंजैक्शन नहीं मिलता और फिर बाहर से खरीद कर यह इंजैक्शन लगाना पड़ता है। मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध है कि स्वास्थ्य केंद्रों में इन इंजैक्शन्स का प्रावधान किया जाए।

गौसदन की बात हो रही है। मेरे क्षेत्र की काफी पंचायतों के प्रधानों ने आवेदन दिया है कि फलां स्थान पर ज़मीन उपलब्ध है और वह अच्छी ज़मीन है जिसमें पानी साथ है; खेत भी हैं जिनसे घास का प्रावधान भी हो सकता है। मैंने प्रशासन में भी बात की। लेकिन एस.डी.एम., तहसीलदार और कानूनगो नहीं चाहते। जब तक हम ज़मीन का ततीमा, ख़तौनी बगैरहः काटकर आगे नहीं देंगे तब तक लैंड ट्रांसफर नहीं होगी और यह गौसदन नहीं बन सकेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया जिसके लिए आपका धन्यवाद।

26.08.2015/1700/sls-ag-3

अध्यक्ष : अब अंतिम वक्ता श्री जगजीवन पाल जी चर्चा में भाग लेंगे। आप संक्षेप में अपनी बात रखें। इसके पश्चात माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री जगजीवन पाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र सिंह और श्री रिखी राम कौंडल जी ने जो चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा है, आज मुझे उसमें सातवीं बार बोलने का मौक़ा मिल रहा है। मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं कि दोनों ओर से गंभीर चर्चा हो रही है। हम अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जाते रहते हैं। सब देख रहे हैं कि अब किसान हमारे पीछे पड़ गए हैं। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके पीछे अब लोग लग गए हैं। सबको उम्मीद है ,चाहे वह सरकार की ओर से हों या विपक्ष के विधायक हों। बहुत हैल्दी और गंभीर चर्चा हो रही है। जहां तक पशुशाला, गौशाला का प्रश्न है, मैं गौशाला न कहकर इन्हें पशुशाला कहूंगा। गउएं नहीं हैं बल्कि उसमें सब जानवर रहते हैं। आदरणीय हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया है..

जारी ..श्री गर्ग जी

26/08/2015/1705/RG/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री जगजीवन पाल)-----क्रमागत

गऊएं नहीं हैं, उसमें सब हैं। आदरणीय उच्च न्यायालय ने भी फैसला लिया है और आदेश दिए हैं कि पंचायतों में भी गऊशालाएं खोली जाएं। गऊशालाएं खोलना एक विषय है। गौशाला का जो सबसे गंभीर विषय है कि जब पशु मर जाता है, तो मुश्किल होती है। अगर घर में किसी का पशु मर जाए, तब तो वह इन्तज़ाम कर लेता है। आजकल पंचायत या नगर पालिका में यदि कोई पशु किसी दुर्घटना में मर जाता है, तो सब ऐसे ही निकलते जाते हैं, गाड़ियों वालें निकलते जाते हैं, लेकिन यदि घर में मर जाए, तो सबको बदबू आती है और वह कोई-न-कोई इन्तजाम तुरन्त करता है। अगर सड़क पर कोई पशु मर जाए, तो एस.डी.एम. को फोन करो या किसी को फोन करो, तो कोई परवाह नहीं मारता, गाड़ियां निकलती जाती हैं, यदि पशु बीच में पड़ा है, तो

उसको कुचल कर निकल जाती हैं। बहुत ही बुरा हाल देखने को मिलता है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि पशु या गौशाला चलाना, चले या न चले, वह अलग विषय है, लेकिन मर जाए, तो उसके बाद उसकी डिसपोज़ल क्या है, वह एक गंभीर समस्या है। मेरा सुझाव है कि सरकार और हम सब इस पर गंभीरता से सोचें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक आवारा पशुओं के बारे में यहां चर्चा आई है, तो आवारा पशुओं में भैंसें, गाय, बैल, छोटे-छोटे बछड़े, कुत्ते, घोड़े, खोते, गधे इत्यादि हैं, लेकिन ये जानवर हैं। यदि आप प्रैक्टिली देखें, तो न आपको भैंस मिलेगी, न आपको भैंसा मिलेगा, न आपको भैंस का कोई कटरा मिलेगा, न आपको घोड़ा मिलेगा, न आपको गधा मिलेगा, न खोता मिलेगा और न ही आपको बाकी चीजें मिलेंगी। केवल बैल, गाय और बछड़े ही मिल रहे हैं। इसका क्या कारण है? आपको बकरा भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि वे कहीं-न-कहीं तो जा रहे हैं, कहीं-न-कहीं तो उनका सदुपयोग हो रहा है। हमारे लिए समस्या है, यहां गौशाला की बात आई है। मैं थोड़ा सा गंभीर होकर ही कहना चाहता हूं कि यह जो गौशाला का सुझाव आदरणीय उच्च न्यायालय से भी आया है, गौशाला आवारा पशुओं के लिए न खुले। मेरा यह सुझाव है। यह आवारा पशुओं के लिए नहीं बल्कि उन पशुओं के लिए खुले जो पंजीकृत हैं। वह जो व्यक्ति उन जानवरों का मालिक है अगर वह चाहता है कि उसका पशु नकारा हो गया है और अब मैं इसको नहीं पाल सकता--(व्यवधान)---पहले आप मेरी बात तो सुन लें, यदि आप रिजैक्ट करना चाहते हैं, तो करिए। तो मैं कह रहा था कि वह गौशाला में जाए और वह वहां जाकर कहे कि मेरा यह पशु पंजीकृत है और अब मुझे इसको घर में रखने की हिम्मत नहीं है। उससे पैसे लिए

26/08/2015/1705/RG/2

जाएं। जब तक उसका पशु गौशाला में रहता है, उससे पैसे लिए जाएं और उसकी डिसपोज़ल तक का पैसा भी मालिक से लिया जाए। क्योंकि आजकल सभी मालिक खाते-पीते घरों से हैं और जो लोग आवारा पशु सड़कों पर छोड़ रहे हैं, वे अच्छे-अच्छे लोग हैं और पैसे वाले हैं। मेरा एक सुझाव तो आ गया है। इसके लिए फिर शोर मचेगा। मैं चाहता हूं कि वन टाईम रिलीफ किसानों को दिया जाए और वह क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जितने आवारा पशु हैं, उनको तुरन्त ठीक जगह पहुंचाया जाए। जहां जिसकी जरूरत है, उसको वहां पहुंचाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में पिछली बार भी आने का मौका मिला है। अभी बंदरों पर आए हैं। कर्नल साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, लेकिन ये इंगलिश में बोल रहे थे। इन्होंने यह नहीं कहा कि बंदरों को मार दो। इन्होंने 'मास कलिंग' शब्द का उपयोग किया। अभी आया है। यह धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ विषय है, कोई बात नहीं। लेकिन आहिस्ते-आहिस्ते हम सब लोग इस विषय पर गंभीर होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पीछे जनता है। मैं अनुरोध करुंगा कि जो हमारे माननीय पशुपालन मंत्री जी हैं, वे भी इसके बारे में सोचें। अगर हम आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं खोलेंगे, तो हम इसको और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पशुओं को आवारा छोड़ दो, इनका प्रबन्ध सरकार कर लेगी।

श्री रिखी राम कौंडल : आपके क्षेत्र में नहीं होंगे।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री जगजीवन पाल) : मेरे यहां बहुत भारी हैं, बहुत बुरा हाल है। कल एक बैल ने हमारे यहां भोडा पंचायत में एक बुढ़िया को मारा। फिर वहां वैटरिनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्ज आए------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

26/08/2015/1710/MS/AS/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव)जारी------

उन्होंने पहले उसको गन से बेहोश किया। उसके बाद हमारे वैटरिनरी के डॉक्टर और एस0डी0एम0 महोदय आए। उन्होंने फिर उस बैल का इलाज किया और उसके सींग काटे। -(व्यवधान)-यह समस्या हर जगह है। रिखी राम कौंडल जी यह गम्भीर विषय है। आप इसको सदन में चर्चा हेतु लाए हैं be serious. मैं आपको जोर से नहीं बोल सकता लेकिन आपने यह विषय रखा है। जो ये आवारा पशु हैं ये केवल आदमियों को ही नहीं मार रहे हैं बल्कि इनकी वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। सड़क में जहां भी इनको सूखी और थोड़े अंधेरे वाली जगह मिलती हैं ये वहीं पर झुण्ड में बैठ जाते हैं और आगे से अगर बाइक वाला आ रहा है तो वह सीधा ही इनसे टकराकर गिर जाता है। अध्यक्ष जी, जो बड़े-बड़े बैल हैं उन्होंने ऐसा खतरनाक रूप धारण कर लिया है कि वे लोगों की गौ-शालाओं में घुसकर दुधारू पशुओ को मार रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रावधान

किया जाए (घण्टी) कि ये जो आवारा पशु हमारी गौ-शालाओं में जाकर दूसरे पशुओं को मार रहे हैं उसका मुआवजा उनके मालिकों को दिया जाए।

आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय मेरा एक और सुझाव है। बंदरों की स्टरलाइजेशन हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आहिस्ता-आहिस्ता कामयाबी मिलेगी और हम एक दिन कामयाब होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके समय में यह प्रक्रिया शुरू हुइ्र थी और अभी भी चल रही है। धीरे-धीरे कामयाबी मिलेगी, एकदम तो ये खत्म नहीं होंगे। जो सुझाव मैंने पिछली बार दिया था इस बार वह सुझाव सभी ने दे दिया है। न्यूजीलैण्ड और ऑस्ट्रेलिया में इनकी संख्या को कम करने के ऊपर एक प्रयोग हुआ है और उसके डॉक्टर हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं जो इस वक्त शिमला में पोस्टिड हैं। जिनका नाम श्री सुशील सूद है। उन्होंने एक दवाई तैयार की है और न्यूजीलैण्ड गवर्नमैंट ने उनको सम्मानित भी किया है। उस दवाई की कोई गंध नहीं है। उसको पशु की खुराक में मिलाकर खिलाया जा सकता है। उससे पशुओं की बच्चे देने की क्षमता खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल में अगर उस दवाई को इन आवारा पशुओं/बंदरों को खिलाया जाए तो नतीजे बहुत

26/08/2015/1710/MS/AS/2

अच्छे आएंगे। मेरा मुख्य मंत्री जी और पशु पालन विभाग के मंत्री जी से निवेदन है कि इन डॉक्टर से सम्पर्क साधा जाए और इनको विश्वास में लिया जाए। उन्हें इस सदन के कई माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते भी होंगे। यह बहुत ही अच्छा सुझाव यहां गंभीरता से आया है। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय और चाहूंगा। यदि आप मुझे यह समय दे देंगे तो मैं आपका बहुत धन्यवादी रहूंगा। आदरणीय महेन्द्र सिंह जी सदन के बड़े सीनियर और सीरियस मैम्बर हैं, तभी तो ये इस विषय को आज यहां चर्चा के लिए लाए हैं। आपने भी कहा कि पहले बंदरों का एक्सपोर्ट होता था। बिल्कुल होता था। जब हम छोटे-छोटे होते थे तो उस वक्त हमने ऐसा सुना है और अब भी हर नागरिक हिमाचल का ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान का जो होश में है, वह यह चाहता है कि हम सब ऐसी ताकत लगा दें ताकि इनको एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल जाए। आपने कहा कि 50,000 बंदर पहले हिमाचल से एक्सपोर्ट होते थे बल्कि मैं तो कहता हूं कि ज्यादा होते थे। अगर 50,000 बंदर भी एक साल में बाहर चला जाएगा तो मुझे लगता है कि पांच-छः सालों में हमें इनसे निजात मिल जाएगी। अभी दिल्ली में एन0डी0ए0 की सरकार है और यहां कांग्रेस की सरकार है। इसलिए हम सब मिलकर

एक जोर लगाते हैं कि अगर यह काम हो जाए तो इससे बढ़िया काम कोई और हो ही नहीं सकता। अगर बंदरों को एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल जाए तो इससे अच्छा किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

अंत में जहां तक एन0जी0ओज0का सवाल है कि कुत्तों पर रोक लगी है। मैं उस वक्त प्रधान था। हमारे बी0एम0ओ0 के दफ्तर से लोग आते थे और वे एक दवाई को पकौड़े में डालते थे। उस दवाई के असर से कुत्ते को मरने में 15 मिनट नहीं लगते थे। हमने दवाएं दलवाई हैं और कुत्तों को दबाया भी है। लेकिन अब जो एन0जी0ओज0 हैं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

26.08.2015/1715/जेएस/डीसी/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव):------**जारी**--------

ये जो एन.जी.ओज़. हैं मेरे अपने तुजुर्बे के मुताबिक इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गांवों में खेतीबाड़ी करता है। सब लोग बड़े-बड़े घरों से हैं और अमीर हैं। वे केवल एन.जी.ओ. में पैसा कमाने के लिए आए हैं और हमारे ज़मीदारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा इस माननीय सदन से निवेदन है कि आदरणीय हाई कोर्ट से निवेदन किया जाए कि पालतू कुत्तो और आवारा कुत्तों में बहुत ज्यादा फर्क है। मैंने कई बार माल रोड़ में देखा कि कई लोग गोद में कुत्तों को उठा कर के चले होते हैं। काटने वाले वे कुत्ते नहीं हैं, काटने वाले तो वे कुत्ते हैं जब आप गांवों में चलते हैं तो एकदम से ऐसे दौड़कर आते हैं एक को खाएंगे, दूसरे को खाएंगे, तीसरे को खाएंगे और गांव में त्राहि-त्राहि मचा देते हैं। उन कुत्तों को मारने की परमिशन मिलनी चाहिए। इन एन.जी.ओज. वालों से मैं भी मिलने की कोशिश करुंगा कि हमारा दर्द समझो। आप क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, सूअर,साम्भर, बारह-सिंघा,नील गाय, वन गाय आदि नई चीज आई है। हमारे इलाकों में 10-15 साल पहले ये चीजें नहीं थी। आजकल आई हैं नील गाय, वन गाय और साम्भर। दिन को तो कुछ ठीक है लेकिन रात को तो बेबसी होती है।

अध्यक्ष: गधे और खोते में क्या फ़र्क होता है?

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, एक ही चीज़ है वैसे मेरे पास तो इसका कोई ज़वाब नहीं है शायद आप मेरे से ज्यादा तुजुर्बेकार हैं। लेकिन ये जो चीजें आई हैं इससे किसानों ने खेती-बाड़ी करना बन्द कर दिया है। हमारे सुलह

चुनाव क्षेत्र में तो वाकई ही खेती-बाड़ी बन्द कर दी है। किसानों को राहत देने के लिए आज बहुत ही गम्भीर विषय के ऊपर चर्चा हुई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे थोड़ा ज्यादा समय दिया जिसके लिए मैं आपका आभार

26.08.2015/1715/जेएस/डीसी/2

व्यक्त करता हूं । हमारे आदरणीय महेन्द्र सिंह जी और श्री रिखी राम कौंडल जी यहां पर जो यह चर्चा का विषय लाए हैं इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी अच्छी चर्चा की है और सभी ने इस पर अच्छी चर्चा की है। आपने समय दिया, धन्यवाद।

26.08.2015/1715/जेएस/डीसी/3

अध्यक्षः अब माननीय मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। आपसे मैं भी निवेदन करूंगा कि यह चर्चा इस माननीय सदन में कई सालों से चल रही है आप इसका कोई समाधान निकालें।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और श्री रिखी राम कौंडल जी ने नियम-130 के तहत जो मुद्दा यहां इस माननीय सदन में उठाया है, उसके लिए मैं इनका और जिन सभी साथियों ने इस पर मूल्यवान सुझाव दिए और विपक्ष के नेता ने भी मूल्यवान सुझाव दिए, उनका भी इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और हम इन मुद्दों पर गौर करेंगे। जैसे कि हाऊस में यह ऊभर कर सामने आया है कि सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझाव के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के जितने भी माननीय विधायक हैं उनकी एक कमेटी का गठन किया जाए और वे अपने-अपने मूल्यवान सुझाव दें। इसके साथ-साथ चाहे गऊओं की बात है, जंगली जानवरों की बात है, चाहे आवारा पशुओं की बात है, इनसे कैसे निज़ात दिलाई जाए और गऊशाला के लिए पैसे का कैसे प्रावधान किया जाए इस पर भी वह कमेटी सुझाव दें।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी------

26.08.2015/1720/केएस/डीसी/1

वन मंत्री जारी---
गऊशाला के लिए पैसे का कैसे प्रावधान किया जाए, इस पर भी वह कमेटी सुझाव दें और इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय गौर करें उसके बाद गवर्नमैंट को वह भेजें और उसके अनुसार कोई निर्णय लिया जाए। यह बहुत अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त मुद्दे से सम्बन्धित सूचना इस प्रकार हैः-

प्रदेश में बंदरों व अन्य जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं के द्वारा फसलों व जान-माल को हो रहे नुकसान से सरकार भली भान्ति परिचित है तथा सरकार द्वारा इस बारे निरन्तर ठोस तथा कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। मनुष्य जंगली जानवरों में विरोधाभास (conflict) कुदरत में खाद्य श्रृंखला (food chain) में हुए असंतुलन से उत्पन्न हुआ है। जंगली जानवर विशेषकर बंदर अपने प्राकृतिक वास-स्थल में भोजन में आ रही कमी के कारण कृषि व बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जंगली जानवरों द्वारा कृषि व बागवानी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

वर्तमान में बागवानी के अंतर्गत 2.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र है तथा फलों का अधिकतम उत्पादन 10.28 लाख मी. टन हो गया है। प्रदेश की पहाड़ी भौगोलिक परिस्थिति के कारण यह क्षेत्र ओलावृष्टि, सूखा, भूस्सखलन, तेज आंधी, अत्यधिक वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से अछूता नहीं है। इन सभी आपदाओं के अतिरिक्त सबसे अधिक नुकसान फल-फसलों को जंगली जानवरों/बंदरों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 1141 ऐसे ज्वलंत क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां जंगली जानवरों से बागवानी फल-फसलों को भारी नुकसान हो रहा है जिसके प्रति सरकार चिंतित है। जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा वासस्थल सुधार के उद्देश्य से वनों में जंगली फलों व झाड़ियों के पौधों को रोपित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। बंदरों तथा जंगली जानवरों की खाद्य सामग्री की समस्या के समाधान हेतु कैंथ, बेर,

26.08.2015/1720/केएस/डीसी/2

गरना, जामुन, फेगड़ा, खनोर इत्यादि फलदार पौधे रोपित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें उनके प्राकृतिक वासस्थल में ही भरपूर खाना उपलब्ध हो सके। इस किस्म की प्रजातियां जिन पर पहले वानर निर्भर रहते थे, तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं

और 60 प्रतिशत मिक्स प्लांटेशन की जा रही है, जैसे कर्नल साहब ने सुझाव दिया और 40 प्रतिशत फ्रूट और हर्बज़ प्लांट पैदा किए जा रहे हैं ताकि उनके प्राकृतिक वास-स्थल में ही खाना उपलब्ध हो सके।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 9 जंगली जानवरों एवं पक्षियों जिसमें सूअर, सेहल, साम्भर, चीतल, खरगोश, गीदड़, बन्दर, तोता एवं नील गाय शामिल हैं, को फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियां घोषित किया गया है।

किसान अपनी फसलों की रक्षा कर सकें इसलिए फसल को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों जिसमें बंदर भी शामिल है, को मारने हेतु परमिट जारी करने के लिए समस्त वन मण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारियों को वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (बी) के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.पी.संख्या 8149/2010 people for Animals and another Vs. State of Himachal Pradesh and others के अंतर्गत दिनांक 06.01.2011 के अन्तरिम आदेशानुसार, जो जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें मारने के लिए परमिट देने पर अस्थाई रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 19.12.2011 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 06.01.2011 को अंतरिम आदेश अन्य क्रूर जंगली जानवरों पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा किसानों की जान को खतरा है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

26.8.2015/1725/av/ag/1

वन मंत्री ------ जारी

खतरा है उन्हें मारने के लिए परमिट देने पर अस्थाई रोक लगा दी गई है। मान्य उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2011 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 6.1.2011 का अंतरिम आदेश अन्य क्रूर जंगली जानवरों पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा किसानों की जान को खतरा है। बंदरों के उत्पात की रोकथाम हेतु रबड़, बुलैट व अल्ट्रासोनिक मशीन का प्रयोग भी किया गया था जो कि ज्यादा सफल नहीं हुआ। बंदरों के उत्पात को कम करने और उनकी संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने टुटीकण्डी, हमीरपुर, गोपालपुर, कांगड़ा, ऊना, सोलन, मण्डी, चम्बा, पांवटा साहिब, सिरमौर में नसबंदी केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों में दिनांक 16.8.2015 तक 96,709 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कानिया और नालासैंज में बंदर नसबंदी केंद्र

का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश सरकार ने बंदरों के उत्पात को देखते हुए बंदरों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने बारे तथा इन्हें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 62 के अंतर्गत वर्मिन घोषित करने का मामला प्रभारी तरीके से केंद्र सरकार से उठाया गया था। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर क्षेत्र विशेष में बंदरों को वर्मिन घोषित करने हेतु प्रस्ताव मांगा है। हाल ही में माह जुलाई, 2015 में बंदरों की गणना का कार्य सम्पन्न हुआ है जिसके परिणाम अक्तूबर माह के अंत तक आ जायेंगे। गणना के परिणामों के आधार पर जहां-जहां पर बंदरों की संख्या अधिक है तथा इसका उत्पात अत्याधिक है उन स्थलों पर बंदरों को वर्मिन घोषित करने हेतु मामला भारत सरकार को पुनः भेजा जायेगा और उसको परसू किया जायेगा ताकि उस पर जल्दी अमल हो जाए। विशेषकर बंदरों एवं अन्य वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक वास स्थल में ही खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु एक वृहद योजना हेबिटेट एनवायर्नमैंट प्लांटेशन मोडल प्लान को (---व्यवधान---)

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पिछली बार का ही जवाब दे रहे हैं। आज जो चर्चा हुई है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।

26.8.2015/1725/av/ag/2

वन मंत्री : माननीय सदस्य, जिन-जिन सदस्यों ने यहां चर्चा में बोला है उनके जवाब अलग से दे दिए जायेंगे। (---व्यवधान---) अलग से दिए जायेंगे। (---व्यवधान---) वही दिए जायेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : हम तो वर्ष 2013, 2014 और 2015 से यही जवाब सुन रहे हैं।

Forest Minister: This is a continuous process.

श्री महेन्द्र सिंह : आप जो जवाब दे रहे हैं हमने इसको कई बार सुना है। (---व्यवधान---)

वन मंत्री : अच्छा सुनिए। (---व्यवधान---) जो जानवर जैसे वाद्य रीछ मनुष्य के लिए घातक हो जाते हैं उन्हें मुख्य वन्य प्राणी संरक्षण मारने की अनुमति प्रदान करता है। स्टरलाईजेशन ऑप्रेशन के परिणामस्वरूप वाद्य तेंदुए कई किलोमीटर चलकर वापिस

अपने क्षेत्र में चलकर आ जाते हैं। दूसरी जगह छोड़ने पर ऐसे जानवर क्षेत्र से भली-भान्ति परिचित नहीं होते तथा ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस पर पूरा अध्ययन हुआ है। बंदर के अतिरिक्त सूअर, नील गाय, साम्बर, सोहल, तोता को प्रदेश सरकार ने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर घोषित किया है------

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

26.08.2015/1730/टीसी/ए0एस0/1

वन मंत्री --- जारी

जानवर घोषित किया। उन्हें मारने का भी प्रावधान है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के कारण परमिट जारी नहीं किए जा सकते। (--व्यवधान---) आप सुन तो लीजिए । आपको डेटें चाहिए तो डेटें दे दी जाएगी । माननीय उच्च न्यायालय में इस रोक को हटाने बारे में सरकार ने शपथ पत्र दायर किया है तथा एडवोकेट जनरल के माध्यम से इसकी पेरवी की जा रही है। आपको डेट अभी देते हैं।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप और कितना समय लेंगे?

वन मंत्री : सर, 15-20 मिनट लगेंगे ।

अध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक 6.00 बजे तक बढ़ाई जाती है।

वन मंत्रीः गौ-सदन के निर्माण हेतु सरकारी भूमि नियमों के अनुसार दी जाएगी। सरकारी वन भूमि जहां वृक्ष न हो, उसे वन संरक्षण अधिनियम के मध्यनज़र स्वीकृति प्रदान करने हेतु मामले को पूरी तरह से छानबीन के बाद लीज़ पर दिया जाएगा। बन्दरों की गणना माह जुलाई, 2015 में करवाई गई है।, इसमें प्राईवेट एक्सपर्ट को शामिल किया गया है। गणना के आंकड़ों का विश्लेषण प्राईवेट एक्सपर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। पहले जबाव तो सुन लो।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी बैठ जाईये।

26.08.2015/1730/टीसी/ए0एस0/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने सुझाव दिए थे। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार ने आपको कहा है कि कौन-कौन से क्षेत्र है, जहां बन्दरों को वर्मिन डिक्लेयर करना चाहिए। मैंने आपसे यही पूछा था कि जब सारे प्रदेश में ही खतरा है, हर विधायक ने इस बात को माना है, आप तो उस पर बोल ही नहीं रहे हैं आप तो पुरानी बात सुना रहे हैं। क्या आप सारी स्टेट में इनको वर्मिन डिक्लेयर करेंगे, भारत सरकार को लिखेंगे और परसनली जाकर फ्लोअप करेंगे?

26.08.2015/1730/टीसी/ए0एस0/3

वन मंत्री : हमने सर्वे करवाया है और कहां सेंन्सिटव जगह है, कहां ज्यादा वानर हैं, उन जगहों के नाम हम दोबारा से भेज रहे है। पहले भी भेजें है वर्मिन के लिए। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि हम सारे प्रदेश में इसकी परमिशन नहीं देंगे। केवल लिमिटिड चयनित स्थान के लिए ही परमिशन दी जाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि अक्टूबर, 2014 में हमने वानरों की जो लेटेस्ट गिनती की है, उसकी जो वास्तविक गिनती आ रही है, उसके बाद भेजेंगे। ये है वस्तुस्थिति । गणना के आंकड़ों का विश्लेषण हमने प्राईवेट एक्स्पर्ट से करवाया है जिससे वास्तविक संख्या का पता चलेगा। उसके बाद हम भारत सरकार को भेजेंगे । अक्तूबर में एक्चुअल कितने वानर है, और कहां-कहां सेंन्सिटव प्वाँट है, कहां-कहा ज्यादा वानर हैं? फिर वह वर्मिन डिक्लेयर करेंगे। (--व्यवधान-) वह पहले केस गया हुआ है। हमने सारे प्रदेश का केस भेजा है, तीन या चार लाख के आंकड़ जो आप बता रहे हैं, उसका केस भेजा है। इससे पहले 2004 और 2013 में इसकी गणना की गई थी। एक्सपोर्ट का मामला केन्द्र सरकार से उठाया गया है। एक्सपोर्ट 1978 में भारत सरकार द्वारा ------

श्रीमती एन0एस0 ----जारी

26.8.2015/1735/ns/1

वन मंत्री -----**क्रमागत**

वर्ष 1978 में भारत सरकार द्वारा बंद किया गया था न कि प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। बंदरों को वर्मिन घोषित करने का मामला भी केंद्र सरकार से उठाया गया है।

क्षेत्र विशेष में बंदरों की संख्या फसलों के नुकसान व मनुष्यों पर हो रहे हमलों के नुकसान व अन्य प्रजातियों पर जो हमले होते हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार को मामला भेजा जायेगा। जुलाई, 2015 में हुई गणना के आंकड़ों का विश्लेषण पूर्ण होने पर प्रस्ताव दोबारा भारत सरकार को भेजा जायेगा। सरकार की नीति है कि जहां से बंदर नसबंदी के लिए पकड़े जाते हैं उन्हें नसबंदी उपरांत वहीं छोड़ा जाए न कि दूसरी जगह छोड़ा जाए। बंदरों को वन्य प्राणी क्षेत्रों में नहीं छोड़ा जा सकता। शहरी क्षेत्रों के बंदर वन्य प्राणी क्षेत्रों में अन्य जंगली जानवरों में बीमारी इत्यादि फैला सकते हैं। वन्य प्राणी क्षेत्रों में कई वन्य जीव पहले से ही बीमार होते हैं और उनको वहां नहीं छोड़ा जा सकता। प्रदेश में आठ स्टरलाईजेशन केंद्र कार्यरत है। स्टरलाईजेशन सुचारु रूप से चल रही है। इसे सुचारु रूप से देखा जा रहा है। फसलों की निगरानी का कार्य भारत सरकार ने मजदूरी प्रदान करने हेतु स्वीकार नहीं किया है। बाद में इस मामले को भारत सरकार से उठाया है लेकिन उन्हें मान्य नहीं हुआ। यह गलत है कि किन्नौर के बंदरों की स्टरलाईजेशन नहीं की गई। किन्नौर एक ऐसा जिला है जिसमें दूसरे जिलों की अपेक्षा सबसे कम बंदर है। जिले में जहां-जहां बंदर हैं वहां पर स्टरलाईजेशन की गई है। टुटीकण्डी क्षेत्र में 2007 से 2015-16 तक लगभग 2500 बंदर स्टरलाईज किए गए हैं। इस केंद्र पर 7 पशु चिकित्सक, 1 फार्मासिस्ट, तीन वन रक्षक व एक उप वन रक्षक तैनात है तथा कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। यह ठीक है कि स्टरलाईजेशन की संख्या कम हो रही है जिसका मुख्य कारण बंदरों को पकड़ने में आ रही समस्या है।

26.8.2015/1735/ns/2

अध्यक्ष : मंत्री जी, ऐसा है जो आप बोल रहे हैं इसको आप कई वर्षों से कर रहे हैं। आप यह बताइए कि स्टरलाईजेशन या कोई और उपाय करने के क्या परिणाम रहे हैं? उन उपायों के कारण बंदरों की संख्या बढ़ी है या घटी है? या आप उसके लिए कोई और तरीका निकालिए ताकि बंदरों की संख्या कम हो जाए। मुझे लगता है कि स्टरलाईजेशन के प्रोसैस से यह काम नहीं चलेगा। आपने इसके बारे में पहले भी ऐक्सपीरियंस ले लिया है। अब इसके लिए आप क्या कदम उठायेंगे?

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा हो रही है जिसका हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण और जनजीवन से सम्बंध है। यह समस्या गम्भीर है। बंदरों और आवारा पशुओं की वजह से जो आज स्थिति पैदा हुई है उससे

किसान और सरकार; दोनों परेशान है। अभी तक हमारे पास जो उपाय थे वे बहुत जगह पर इस्तेमाल हुए हैं और हमने भी ----

यूके द्वारा जारी

26.08.2015/1740/यूके/एएस/1

मुख्य मंत्री-----जारी---

हमने उनको इस्तेमाल किया । बन्दरों की नसबंदी कोई हिमाचल में पहली बार नहीं हुई है और जगहों में भी इसका प्रयोग हुआ है और इसके मिले-जुले नतीजे निकले हैं। कहीं पर यह सफल हुआ है, कहीं पर सफल नहीं हुआ है ।

इसके साथ-साथ यहां पर यह भी सुझाव आया है कि हमारे प्रदेश में गौ-शालओं को खोला जाए ताकि आवारा पशुओं को वहां पर रखा जा सके । यह एक ट्राई एंड टैस्टिड तरीका है और उसके लिए हमारी कोशिश है कि प्रदेश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा गौ-शालाएं खोली जाएं, जिसके लिए सरकार भी मदद करेगी । यह एक तरीका है । मगर आज तक जितनी भी गौ-शालाएं खोली गयी हैं ज्यादातर निजी क्षेत्र में और सरकार की मदद भी उनको मिली है, लेकिन फिर भी जितनी आवारा गायें और पशु हमारे पास हैं उनके लिए अभी वह स्थान पर्याप्त नहीं है । तो यह समस्या है और मैं चाहूंगा कि हम खुद, जो ऐक्सपर्ट्स हैं, दूसरे विभागों में, वे भी इसके ऊपर सोच रहे हैं । मैं यह चाहूंगा कि हम उसके लिए राज्य स्तर के ऊपर एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें विपक्ष के नेता भी होंगे, कई और सदस्य भी होंगे और सरकार की ओर से भी कुछ लोग होंगे, ऐक्सपर्ट्स भी होंगे ताकि हम मिल जुल कर इस समस्या का अंतिम समाधान क्या है उसको निकाला जाए । उसके लिए । seek your cooperation. There is no one solution. We have to see by which way we can solve this problem. विषय गंभीर है । कोई यह कहे कि सिर्फ गौ-शालाएं ही बनाई जाएं तो सैंकड़ों गौ-शालाएं भी बन जाएं फिर भी इसका समाधान नहीं होगा ।

जहां तक बन्दरों का सवाल है, उनकी फर्टिलिटी को कम करके ही समस्या का समाधान कर सकते हैं । मगर मैं कुछ वर्ष पहले लंदन गया था वहां ट्रेफालगर स्क्वेयर है, जहां पर कि सारे कबूतर इकट्ठे होते हैं और कबूतरों की तादाद इतनी बढ़ गयी थी कि लोगों के लिए यह समस्या परेशानी बन गयी । वहां पर जो बड़े-बड़े भवन हैं उनके ऊपर वे बीट कर देते थे और सारी गंदगी फैलाते थे । तो उन्होंने उनको मारा नहीं, उनको जो दाना देते हैं, उस दाने में ऐसी दवाइयां इस्तेमाल की

26.08.2015/1740/यूके/एएस/2

गयीं जिससे उनकी फर्टिलिटी कम हो गयी और समस्या का हल हो गया। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हिमाचल में भी इस तरह का प्रयोग किया जाए। बन्दरों को बजाय कहीं से उठा कर कहीं और छोड़ा जाए बल्कि उनको खुराक देने के लिए कोई जगह बनाई जाए, खासकर के शिमला जैसे नगर में ताकि जो उनको खुराक दी जाएगी उसमें उनकी फर्टिलिटी को कंट्रोल करने की दवा का भी उसके साथ उसमें मिश्रण होगा और ऑटोमैटिकली कुछ वर्षों के बाद उनकी आबादी कम हो जाएगी। साईंटिफिक तरीके भी हमको अपनाने पड़ेंगे। गौ-शालाएं भी बनानी पड़ेंगी। अल्टीमेटली हमें यह भी देखना पड़ेगा कि गाय किस की है, कौन हैं वे लोग जो अपने पशुओं को बाहर छोड़ देते हैं ? पहले कई किस्म की स्कीमें आयीं, कि उनको ठप्पा लगा जाए, नम्बर दिया जाए ताकि पता लगे कि यह किस का पशु है। मगर लोग बड़े होशियार हो गए हैं। जहां वह ठप्पा लगता है, वे उसी को जला देते हैं ताकि पता ही न चले। अब मालूम हुआ है कि एक लेटेस्ट चिप आया है जिसको माईक्रो चिप कहते हैं, जिसको आटे की गोली के साथ पशु को खिला दो तो वह पशु के पेट में एक तरफ रहता है और वहीं चिपक जाता है और बाद में उस चिप के द्वारा पता लग जाता है कि किसकी गाय है, किस गांव से और किस पंचायत से आयी है और इसका मालिक कौन है। तो इस किस्म की भी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। लेकिन अभी हमने फैसला नहीं किया कि कौन सा तरीका अपनाया जाए। हरेक आदमी अलग-अलग तरीका अपनाना चाहता है। अगर हम यह कहें कि जितने बंदर हैं उनको गोली मार दो, यह भी समस्या का हल नहीं है।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

26.08.2015/1700/sls-dc-1

माननीय मुख्य मंत्री ..जारी

हाँ, जहां पर बंदर फ़सलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, निःसंदेह वहां पर कलिंग की आवश्यकता है। कलिंग का मतबल किलिंग नहीं है। कलिंग का मतलब है - किसी की संख्या को घटाना। यह प्रयोग भी किया जा सकता है। मगर उस पर भी आज कानूनी

प्रतिबंध है; चाहे हाईकोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है। उनके ऑर्डर्ज़ हैं कि बंदरों को आप नहीं मार सकते; उनको आप साईंटिफिक तरीके से घटा सकते हैं। इस तरह के जो तरीके हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मसला है जिसमें सरकार चाहेगी कि जो हमारे विपक्ष के साथी इससे कन्सर्ड हैं; हमारे विपक्ष के नेता प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल जी हैं जो एक तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं और जो दूसरे लोग इस मसले के बारे में कन्सर्न रखते हैं, हम उनकी एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे और उनकी राय से जो मैकेनिज्म बनना है, वह तय करेंगे और उसके बाद इस मसले की देख-रेख करेंगे कि जो यह तरीका हमने अपनाया है वह रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा हैं या इसमें कुछ तरमीम करने की ज़रूरत है। This is a problem of the State. This is not the problem of one Party or other Party. This will be a permanent Committee for some time. साथ बैठेंगे और तय करेंगे जब तक इसका समाधान हमारे सामने नहीं आता और हम प्रभावी तौर आवारा पशुओं या ऐसे जानवरों, जो हमारी फ़सलों को नष्ट कर रहे हैं, उनकी रोकथाम का हम एक कारगर रास्ता निकालेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। It is not a matter of one man show. हम सभी को इस बारे में सोचना है और इसके लिए नीति का निर्धारण करना है। इसमें ऐक्सपैरिमैंट करना पड़ेगा कि कौन-सा तरीका कहां पर कारगर होगा।

यहां पर एक्सपोर्ट की भी बात कही गई है। एक्सपोर्ट के बारे में कहना चाहूंगा कि एक वक्त था जब बंदरों का एक्सपोर्ट होता था। वह ऐक्सपैरिमैंट के लिए होता था। जो दवाइयां बनती हैं या इलाज होते हैं, उनका ऐक्सपैरिमैंट बंदरों के ऊपर किया जाता था लेकिन बाद में सरकार द्वारा इस बात को इसलिए बंद कर दिया

26.08.2015/1700/sls-dc-2

गया कि पशुओं का ऐक्सपैरिमैंट के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, यह उनके प्रति cruelty है। इसलिए इसको बंद कर दिया गया। मगर आज भी दुनिया में कई ऐसे मुल्ख हैं जहां उनका प्रिय भोजन बंदर हैं। जिन मुल्खों में इनको खाते हैं उन मुल्खों में भी इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है तथा दूसरे मुल्खों को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन यह फ़ैसला तो भारत सरकार ने करना है। जो बैन लगाया गया है वह कोई राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है। दूसरी बात यह है कि बंदरों की किलिंग के ऊपर जो बैन लगाया गया है, वह हाईकोर्ट के द्वारा लगाया गया है, सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है। इसलिए कई अड़चने बीच में आती हैं। मैं समझता हूं कि

एक साईंटिफिक तरीके से हमें इस मसले का समाधान करना है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना है, तभी जाकर इस समस्या का स्थाई समाधान होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो ऐक्सपैरिमैंट किया गया कि बंदरों की संख्या को बढ़ने से कैसे रोका जाए, उसके लिए उनको पकड़कर उनकी स्टरलाईजेशन का कार्यक्रम चलाया गया था, मगर वह भी इतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ जितनी की आशा थी। दूसरा तरीका कलिंग का है। तीसरा तरीका है कि इनकी खुराक में कोई ऐसी चीज़ शामिल करें जिससे कि उनकी फर्टिलिटी कम हो जाए और धीरे-धीरे उनकी संख्या कम हो जाए। यह सब बातें सोचने की हैं। इसके लिए मैंने यह मुनासिब समझा है कि हम एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे जिसमें मैं खुद भी हूंगा, हमारे विपक्ष के नेता होंगे, और भी दूसरे जानकार लोग होंगे ताकि एक स्थाई और ठोस नीति बनाई जा सके which can be applied. Thank you.

अंग्रेजी के बाद हिंदी में प्रोo धूमल जी ..श्री गर्ग जी द्वारा

26/08/2015/1750/RG/DC/1

मुख्य मंत्री की अंग्रेजी के पश्चात

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने एक समिति के गठन का जिक्र किया है। कबूतरों की प्रजनन शक्ति को कम करने के लिए जो किया गया, तो लंदन में वह एक पर्टिकुलर स्क्वेयर है।

मुख्य मंत्री : उसको Trafalgar Square कहते हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : हां, मैं भी वही कह रहा हूं, तो वहां एक जगह ही कबूतर आते हैं और उन्हें दाना डाल दिया जाता है। इसलिए ऐक्सपैरीमैंट सफल हो गया। सारे हिमाचल के जंगलों में, खेतों में और बस्तियों में कहां-कहां यह डाला जाएगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि जो प्रैक्टिली सुझाव दिए गए थे कि इन्हें वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए कहना ठीक है। स्कूलों के नजदीक शिमला शहर में जहां पर ये ऑपरेशन के खूंखार हो रहे हैं। यहां पर ऐसे उदाहरण आए भी हैं जहां लोग गिरकर मर गए, डरकर मर गए, उनके काटने से मर गए, तो ये खूंखार तो हो गए हैं। जब समिति बनेगी, वह तो अपना काम करती रहेगी, चर्चा होती रहेगी, उसके सुझाव आते रहेंगे, लेकिन समितियों में समय लगता है। मैंने स्पेसिफिक पूछा था, मुझे पता था कि भारत सरकार ने कहा है

कि कुछ एरियाज़ बताओ, मैंने सुझाव यह दिया था कि शिमला शहर को सजेस्ट करिए। कुछ जगह जहां ज्यादा हो गए हैं और वहां अगर एक बार अनुमति देंगे, तो ठीक है, सारे मारे नहीं जाएंगे। वे तो राइफल देखकर भाग जाते हैं और मारने वाले को देखकर भाग जाते हैं और यहां तक की एक-दो फायर होंगे, तब भी बंदर भाग जाएंगे। लेकिन यह करने की तुरन्त आवश्यकता है। क्योंकि अब यह समस्या बहुत गंभीर हो गई है। आपसे भी कई बार लोग डेपुटेशन के रूप में मिलना चाहते हैं, कई बार मिलने नहीं देते। हम विधायकों के साथ भी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, लोग घेरकर खड़े हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारी फसल तबाह हो गई। इसलिए इनको वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए मेरा निवेदन है। आप अक्तूबर का इन्तजार मत करिए कि अक्तूबर में जनगणना हो जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे कि कहां-कहां ज्यादा हैं। आपको शिमला शहर को डिक्लेयर करवाने में क्या दिक्कत है? ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां-जहां बहुत ज्यादा हैं। इसलिए विधायकों से लिस्ट लेकर आप भारत सरकार को वहां के लिए लिख दीजिए।

26/08/2015/1750/RG/DC/2

अध्यक्ष महोदय, दूसरी जो बात क्रूएलिटी की बात कही गई। क्रूएलिटी की बात थी जब ऐक्सपैरीमेंट इन पर होते थे, वे तो रोक दिए गए। वह भी क्रूएलिटी है, लेकिन यदि इनको वहां कोई लोग खाते हैं, उनकी अच्छी डाईट ही बंदर है, तो अन्य पशुओं का मास ऐक्सपोर्ट होता है उसमें क्रूएलिटी नहीं है, तो बंदर इस परपज़ के लिए जो आपने कहा कि ऐक्सपोर्ट हो जाएं, तो इसमें भी कोई क्रूएलिटी नहीं होगी। जब इन्सान की जिन्दगी को ही खतरा पैदा हो गया है, तो धार्मिक भावना किसकी प्रभावित हो रही है? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनको वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं और अक्तूबर का इन्तजार मत कीजिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो भी ऐक्सपैरीमैंट होगा, वह एक जरूरी स्थान पर होगा और वहां का जो फेल्योर या सक्सैस है उसके आधार पर आगे नीति बनाएंगे।-हां, शिमला ठीक है, ऐक्सपैरीमैंट करके कि यदि यहां असर हो सकता है, तो और जगह भी असर होगा। यह बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि कई मुल्क हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बंदर का जो मीट है, it is a delicacy. कुत्ते को भी खाते है, वह भी डेलीकेसी है, तो जहां उसकी खपत है वहां भी भेजा जा सकता है। जहां भी उनकी

संख्या घटे, उनका प्रजनन या पैदाइश घटे, उसके लिए भी इसको हमें देखना चाहिए। अब तो नए-नए ऑर्डज आ गए हैं, नए-नए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के जजमैंट्स आ गए हैं। वर्ना जो हमारे पास ऐक्ट है उसमें जो बंदर है, जो पशु है उसको pest माना जाता है, उसको मारने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। Under law there is no ban at all. मगर इस समय we are bound by the rulings of the court. We cannot do anything in defiance of these rulings.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : इसकी अरजैन्सी देखकर हाई कोर्ट में इसकी ऐपलीकेशन दी जा सकती है।

मुख्य मंत्री : ठीक है, करेंगे वर्मिन के लिए, मैं यह कह रहा हूं कि यह ऐसी चीज है

Contd. By AG in English . . .

26/08/2015/1755/MS/AG/1

Chief Minister continues. . . .

where we have to come together and make a policy. No politics is involved in it. In the present situation which we have faced today, we have to come together and find a way how to solve this problem.

अध्यक्षः इससे पहले कि मैं इस मान्य सदन की बैठक स्थगित करूं। एक माननीय सदस्य की ओर से सुझाव और निवेदन आया है कि अगले सप्ताह के सोमवार को, उस दिन सत्र की समाप्ति भी होगी। वे चाहते हैं कि उस दिन सदन की बैठक 2.00 बजे अपराह्न शुरू करने के बजाए 11.00 बजे पूर्वाह्न शुरू की जाए ताकि सदन की कार्यवाही जल्दी समाप्त हो जाए। अगर सदन की अनुमति हो तो सोमवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न सत्र की बैठक शुरू कर ली जाए?

मुख्य मंत्री एवं सभी माननीय सदस्यगणः अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

Speaker: The august House will meet at 11'o clock on Monday, the 31st day of August, 2015.

अब इस मान्य सदन की बैठक कल दिनांक 27 अगस्त, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमलाः 171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 26 अगस्त, 2015 **सचिव**